DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1980-81—*Contd.*

[13.05 hrs

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 47 to 57 relating to the Ministry of Home affairs for which 10 hours have been allotted. Hon. Members whose cut motions to the Demands for grants have been circulted may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motion they would like to move.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Can the affairs of "home" be discussed in the House?

MR. SPEAKER : That is what it is !

Motion moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 47 to 57 relating to the Ministry of Home affairs."

Demands for Grants (General), 1980—81 in respect of the Ministry of Home Affairs submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 14-3-1980		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House.	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
[47.	Ministry of Home Affairs. .	1,06,37,000	..	2,20,19,000	..
48.	Cabinet	41,71,000	..	90,32,000	..
49.	Department of Personnel and Administrative Reforms . . .	3,37,68,000	..	5,51,64,000	..
50.	Police	87,18,87,000	3,29,67,000	178,41,28,000	6,59,33,000
51.	Census	6,47,40,000	..	13,20,28,000	..
52.	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	76,63,60,000	37,83,54,000	245,75,34,000	62,74,77,000
53.	Delhi	56,61,64,000	32,94,83,000	115,25,78,000	65,89,67,000
54.	Chandigarh . . .	9,41,77,000	5,25,68,000	19,31,60,000	10,51,35,000
55.	Andaman and Nicobar Islands	10,20,68,000	6,39,25,000	20,61,20,000	12,78,49,000
56.	Dadra and Nagar Haveli .	1,01,22,000	1,20,91,000	2,04,79,000	2,41,81,000
57.	Lakshadweep . . .	2,18,47,000	59,78,000	5,37,41,000	1,19,59,000

MR. SPEAKER : Shri Dhanik Lal Mandal

श्री धनिक लाल मंडल (मंझारपुर) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनदान की मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

13.06 hrs

[MR DEPUTY SPEAKER *in the chair*

श्रीमन्, मेरा इस सम्मानित सदन से अनुरोध होगा कि गृह मंत्रालय को एक पैसा भी न दिया जाए... (**व्यवधान**)... क्यों नहीं दिया जाए, यह सुन लीजिए इसलिए नहीं दिया जाये कि विधि और व्यवस्था के नाम पर विधि समाप्त है और व्यवस्था के नाम पर महोदय, घोर अव्यवस्था है, अमन और चैन के नाम पर चारों तरफ अशान्ति फैली हुई है और गृह मंत्री का मन–मौजीपन चल रहा है।

श्रीमन्, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : आपके जमाने से बहुत कम है।

श्री धनिक लाल मंडल : श्री भगवत झा आजाद साहब आप सुन लीजिए। जैसा मैंने ऊपर कहा कि विधि नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की की कोई चीज नहीं है और गृह मंत्री जी का मन–मौजीपन चल रहा है। इस सरकार के पावर में आने के बाद तुरन्त ही इन्होंने नौ राज्यों में, सभी कानून और कायदों को तोड़कर राष्ट्रपति शासन कायम कर दिया और पुन. ये धमकी दे रहे हैं कि जहां-जहां कांग्रेस की हकुमत नहीं है, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा की सरकार हो, जहां कहीं भी नान–कांग्रेसी हकुमत है, वहां चुनाव कराये जाये। इन लोग ने सब कायदे कानून को ताक पर रख दिया है यहीं नहीं गृह मंत्री जी ने सब कायदे कानून को तोड़कर श्री भिण्डर को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया और उन्होंने इस प्रकार 150–200 अफसरों को सुपरसीड कर दिया—यह गृह मंत्री जी का मन–मौजीपन है। जिसको चाहे नियमों को ताक पर रखकर कुछ भी बना सकते है।

मैं बागपत के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये लोग मौके पर घटना को देखने के लिये गए थे, लेकिन इनके वहां जाने से क्या स्थिति बनी वह मैं आपको बताता हूं वहां जाकर इन्होंने कुछ नहीं किया। और जुडिशियल इन्कवारी की स्थापना कर दी। वहां के एस०पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बयान दिया, यह सब जानते है, उन्होंने कानून को तोड़ा है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे काम इनके इशारे पर हो रहे हैं। यह एक उदाहरण है कि किस ढंग से आज देश में कोई भी कायदा और कानून नहीं है।

अब मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो बड़े पैमाने पर बिहार में अफसरों का तबादला किया गया, जब कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था, अनप्रिसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह किस लिए किया गया, यह प्रकट हो गया है। जब बिहार विधान सभा के 81 स्थानों पर चुनाव हो गए, तो चुनाव के परिणामों को रोक लिया गया, इस दौरान जितने बड़े पैमाने पर हिंसक घटनायें हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थीं। लगभग 81 स्थानों के चुनाव परिणामों को रोक लिया गया और सभी कायदे–कानूनों को तोड़ कर मनमाने ढंग से बिहार में कांग्रेस गवर्नमेंट की स्थापना करवाई, जहां उसकी कोई सम्भावना नहीं थी..

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Dhanik Lal Mandal, your party has been allotted 37 minutes, and there are four Hon. Members from your Party alone to speak. There fore, stick to the subject properly.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैं इनके मनमाने ढंग के उदाहरण देता हूं—जब से देश में यह गृह मंत्री आये है साधारण लोगों की क्या हैसियत हो गई है? मैंने पहले भी कहा था छोटे आदमी और बड़े आदमी के बीच में पहले से फर्क है। छोटे आदमी की इस देश में कोई हैसियत नही है। लेकिन जब से माननीय गृह मंत्री जी आ गये है छोटे आदमी की हैसियत तो और भी ज्यादा खराब हो गई है। आज किसी भी औरत की इज्जत महफूज नहीं है, हरिजनों की रोज हत्यायें हो रही है और आज कोई भी आदमी ट्रैवल करता हुआ मारा जा सकता है। हमारे देश में पांच वर्ग के लोग ऐसे हैं जो छोटे आदमी कहे जाते है–आदिवासी, हरिजन, अल्पसंख्यक और मुसलमान, ये सारे लोग छोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं, जिन पर आज आफत आ गई है। आज उनकी हैसियत कुछ भी नहीं रह गई है, "जीरों" हो गई है—इन मंत्री जी के आने से।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं—बागपत में क्या हुआ। महिला को छेड़ा गया। वह महिला जबरदस्ती अपनी इज्जत की रक्षा के लिये तन गई तो क्या परिणाम हुआ? मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन्होंने जुडीशियल एन्क्वायरी बहाल कर दी है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं—उस महिला का दोष इतना ही था कि जब उस को छेड़ा गया तो उसने सम्मान के साथ उसको रोका और वह खड़ी हो गई, क्यों कि वह अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहती थी, लेकिन इसके लिये उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी न केवल उसकी इज्जत को लूटा गया, बल्कि उस के सारे लोगों को जान से मार डाला गया। यह गृह मंत्री हैं—जो उन को कोई सजा नहीं दे

[श्री धनिक लाल मंडल]

पा रहे है, बल्कि हमारे सामने आकर कहते हैं कि इनके टाइम में ला-एण्ड-आर्डर में सुधार हुआ है। ये हम को आंकड़े दिखला रहे हैं उस दिन ये हमको कुछ आंकड़े दिखला रहे थे और कह रहे थे कि पहले से काफी सुधार हुआ है। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े दिखलाने से बात साबित नहीं होती है। जिस तरह की घटना हुई है-चाहे बागपत की हो या आज अखबारों में आया है—करसनवा की घटना हो—जितनी जघन्यता इनमें दिखलाई देती है, उतनी पहले कभी नहीं थी। इन घटनाओं में जितनी जघन्यता है, बर्बता है, अमानुषिकता है, जंगलीपन है, वहशीपन है, शर्मनाक हैं—इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिये आंकड़े देकर हमको न बतलायें कि घटी है या बढ़ी है, लेकिन जिस तरह की घटनायें घट रहीं हैं—ये सचमुच शर्मनाक हैं।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं—पहले भी घटनायें घटी हैं, लेकिन मैं उनमें एक डिफरेंसियेशन करना चाहता हूं। पहले भी कुछ लोग गिरोह बना कर, समूह बना कर दूसरे समुह पर, दूसरी जातियों पर हमला करते थे, यह बात सही है अपने देश में कुछ लोग किस सीमा तक जंगली बन जाते हैं... (**व्यवधान**)...आप मेरी बात सुनिये, पहले भी इस तरह की घटनाये हुई है, कुछ लोग गिरोह बना कर, जातीय आधार पर, गिरोह बना कर हमले करते थे, जैसे बेलछी में हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ, लेकिन उस समय गिरोह द्वारा हुआ था, लेकिन आज यह काम पुलिस कर रही है। गृह मंत्री जी मेरी बात को सुन नहीं रहें है। आज जो बागपत की घटना है, करसनवा की घटना है—ये पुलिस के द्वारा हुई है। समाज में दो तरह के लोग जब इस तरह लड़ते है और एक दूसरे को जलाते है तो दूसरी बात है लेकिन जब पुलिस इस काम को करती है, तो यह एक भयंकर चीज हो जाती है और पुलिस आप के अन्डर में है। इसलिये इसको नोट करिये। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने दुनियां भर का जो जनमत है, उस पूरे जनमत की अवहेलना की है और आज भी कर रहे है। ये गृह मंत्री जी सम्पूर्ण देश के जनमत को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आज कोई भी अखबार ऐसा नहीं है, कोई भी संगठन एम०पी०, एम०एल०ए० ऐसा नहीं है, जिस ने यह मांग न की हो कि बागपत की घटना के उस पुलिस अधिकारी को ससपेंड किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यह गृह मंत्री सम्पूर्ण जनमत की अवहेलना कर रहें है, पूरे देश के जनमत की अवहेलना कर रहे हैं, पूरे पंचायत की चाहे वह पटना की हो, लखनऊ की या दिल्ली की हो, सभी की अवहेलना कर रहे है।

MR DEPUUY SPEAKER : Mr Ma dal You had been a Minister. Now the discuss o is on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I am talking of police (*Interruptions*)

इसलिए मैं कह रहा था कि सम्पूर्ण जनमत की अवहेलना करने का काम ये गृह मंत्री जी कर रहे हैं। यह मांग क्या थी लोगों की ? लोगों की मांग इतनी थी कि वहां के पुलिस अफसर को ससपेंड किया जाए, उन को गिरफ्तार किया जाए, और जो देश का साधारण कानून है, उसके मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाए लेकिन ये इसको भी नहीं मान रहे हैं।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं इनको बता दूं कि खुद पुलिस कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है। मैं पुलिस कमीशन की बात कह रहा हूं। खुद पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है कि पुलिस हिरासत में, पुलिस थानें में जब इस तरह की घटना घटे। (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If any Member wants to ask for any clarification, he should get up and only if the hon. Member speaking yields, he can ask for clarification. Members cannot go on commenting like this. The same procedure should be followed by every Member. Otherwise, recording is not possible, taking notes is not possible.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये विषय पर बोलें, **टू दी प्वाइंट बोलें।**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): ये विषय पर ही बोल रहे है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If any Member wants to ask for clarification, he must get up, take my permission and then only ask for clarification.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, पुलिस कमीशन की अनुशंसा यह है कि जब कभी इस तरह की घटना हो, पुलिस हिरासत में, पुलिस थाने में किसी की मौत हो या कोई बेआबरू हो, तो वैसी हालत में पुलिस अधिकारी मुअत्तिल होना चाहिए और उस पर जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए। यह पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है जो मैं आप को बतला रहा हूं। जब पुलिस कमीशन एपाइन्ट हुआ था, तब उस ने यह रिपोर्ट दी थी। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करें जब अपना जवाब दें। इस तरह के मामले में वे क्या करेंगे। अभी कल की घटना है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गये थे और प्रधान मंत्री जी से उन्होंने बात की। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पहले आन्दोलन वापस हो, तो फिर मैं विचार करूंगी। ऐसा हर वक्त हुआ है कि जब भी इस तरह

की घटना होती है, पुलिस जुल्म होता है, तो क्या होता है कि एक तरफ जनता की तरफ से आन्दोलन होता है उस के खिलाफ और दूसरी तरफ सरकार इस को एक इज्जत का प्रश्न बनाती है और कहती है कि जब तक आन्दोलन वापस नहीं होता है, तब तक इस पर विचार नहीं होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमीशन ने यह अनुशंसा की थी कि पुलिस व्यवस्था में वह सिस्टम हो जाए कि जब इस तरह की घटना घटी तो एक पैनल हो, एक कमीशन हो और वह तुरन्त काम करने लग जाए । इस में किसी के मांग करने की बात नहीं, किसी के आन्दोलन करन की बात नहीं हो । पुलिस व्यवस्था में आप ऐसी चीज करें कि एक पनल हो, एक कमीशन हो और जब भी पुलिस की तरफ से हिरासत में या थाने में इस तरह की घटना घटे जैसे कि कोई मर जाए, या किसी की इज्जत लूटी जाए तो कम्पलेंट करने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त मुअत्तिल हो जाए और वह पैनल या कमीशन बिना कहे काम करने लग जाए । पुलिस कमीशन ने भी ऐसी अनुशंसा की है । इसलिए पुलिस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । यह बहुत जरूरी है । यदि आप चाहते हैं कि जनता और पूलिस के सम्बन्ध सुधारें, दोनों में भाईचारा, मैत्री और आपस का सद्भाव हो तो यह जरूरी है । इस के लिए आपको पूलिस व्यवस्था में लोगों के विश्वास को रेस्टोर करना होगा । आज पुलिस व्यवस्था में लोगों की आस्था नहीं रह गयी है, विश्वास नहीं रह गया है । मैं सारे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं । मैं जानता हूं कि पुलिस में अच्छे से अच्छे लोग भी हैं लेकिन उन पर पुलिस व्यवस्था के कारण कलंक आ जाता है । इसलिए यह करना जरूरी है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी खराब हैं । मैं ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों से मिला हूं जो बहुत अच्छे हैं । लेकिन जो लोग अच्छे हैं वे भी बदनाम हो गये हैं । इस पुलिस व्यवस्था में, जो हम पुलिस और जनता में सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि दोनों में एक मानवीय सम्बन्ध हो, एक मैत्री सम्बन्ध हो, सहयोग का सम्बन्ध हो, वह नहीं हो पाता है ।

पुलिस और जनता में विश्वास कब कायम होगा ? जैसा मैंने कहा वह तभी कायम होगा, जैसा कि पुलिस कमीशन ने भी कहा है कि तुरन्त ऐसा काम करने वाले पुलिस अफसर की बर्खास्तगी हो और उसके खिलाफ जांच शुरु हो जाए । बिना किसी आन्दोलन के खड़ा किए, बिना किसी के मांग किये यह बात हो जाए । अगर यह बात मान ली जाती है तो सारा मामला ठीक हो जाएगा ।

एक एम० पी० को प्रधान मंत्री ने खत लिखा, जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि पुलिस का अत्याचार क्यों होता है । उन्होंने उसमें कई बातों का जिक्र किया । एक तो उन्होंने एटीच्यूड की बात कही और दूसरे उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग गुण्डों को संरक्षण देत हैं । तीसरे उन्होंने कहा कि पुलिस का एटीच्यूड वही पुराना है, बदला नहीं है । जो उनकी भर्ती और प्रशिक्षण के नियम हैं वे भी बदले नहीं हैं, वही पुराने हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं ।

मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों से कहने का मतलब उनका बड़े लोगों से है । गृह मंत्री-अच्छी तरह से जानते होंगे, यदि उन्होंने सोचे विचार किया होगा तो वे जरूर जानते होंगें कि अपने देश में जो व्यवस्था है वह तीन पायों की है । एक पाया है गुण्डा, दूसरा पाया है पुलिस और तीसरा पाया है बड़े लोग । उन बड़े लोगों में मंत्री भी हैं और अफसर भी हैं । ये जो गुण्डे लोग हैं, पुलिस है और बड़ लोग हैं, इनका प्रधान मंत्री जी को एहसास है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है । उन्होंने मुझे कहा कि इन गुण्डों को राजनीतिक पार्टी के लोग संरक्षण देते हैं । मैं यह मान लेता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती होंगी, सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करतीं मगर सरकारी पार्टी को और विरोधी पार्टियों को एक ही धरातल पर रख देना कहां तक उचित है । सरकारी पार्टी के पास बहुत साधन है और विरोधी पार्टियां कितनी साधनहीन हैं । उन दोनों में तुलना नहीं हो सकती है ।

यह सब कौन कर रहा है ? पुलिस, गुण्डे लोगों का और बड़े लोगों का जो त्रिकोण बन गया है, इसकी वजह से जो यह सब होता है उससे छोटे आदमी दहलाये हुए हैं, भयभीत हैं । इन गुन्डों को ठीक करने का काम कौन करेगा, अगर ये बातें प्रधान मंत्री भी सोचती हैं और गृह मंत्री भी सोचते हैं तो सभी पार्टियों की मीटिंग्स क्यों नहीं बुलायी गयी । गृह मंत्री हरिजनों के विषय को तो प्रायोरिटी देते ही नहीं । इन्होंने यहां इसी सदन में कहा था कि मैं मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाऊंगा, विरोधी पार्टियों के नताओं का सम्मेलन बुलाऊंगा, यह करूंगा, वह करूंगा । लेकिन ऐसा लगता है कि हरिजनों के सवाल को ये नहीं लेना चाहते हैं । इस तरह की प्रायोरिटी इनके दिमाग में नहीं है । महिलाओं के बारे में इन्होंनें कहा कि इसी सत्र में मृत्यु दंड देने का कानून लाऊंगा । लेकिन कुछ नहीं हो रहा है । कहीं भी कानून नहीं है । यह इनकी प्रायोरिटी है । यह सरकार एलान तो बढ़िया से बढ़िया करती है परन्तु

[श्री धनिक लाल मंडल]

अमल कहीं भी नहीं होता है । इस वास्ते सरकार केवल एलान न करे बल्कि उन एलानों पर अमल भी करे ।

रुख की बात मैं कहता हूं । रुख को बदलने की भी बात है । जब बागपत की घटना की चर्चा हो रही थी तब मैं गृह मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने बात शुरु की मनु स्मृति से और कहा कि हमारे देश में यह जो जातपात है, यह जो ऊंच नीच है, इसी से य सारी चीजें निकली हैं । मैं इस बात को मानता हूं । मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में भी कुछ दोष है । मैं पूरी संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं । देश की संस्कृति की मैं इज्जत करता हूं । दुनिया की संस्कृतियों हमारी संस्कृति सब से अच्छी है । लेकिन उस में जो कुछ दोष हैं जिस के बारे मैं उन्होंने बताया कि दोष हैं, मान्यता की बात है, मूल्यों की बात है और उनको जहां तक ठीक करने की बात है, उसके सम्बन्ध में मैं उन से जानना चाहता हूं कि वह क्या कर रहे हैं । जब वह समझते हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ दोष हैं सब बातों के रहते हुए, अच्छाइयों के रहत हुए भी, उस में कुछ बुराइयां हैं, कुछ दोष घुस गए हैं, तो उनको दूर करेगा कौन ? मूल्यों पर फिर से विचार करके उनको बदलेगा कौन ? नही मूल्यों को बनाने की जहा तक बात है, उसके लिए कुछ करेगा कौन ? इसके लिए आप क्या कर रहे है ? कुछ नही कर रहे है । केवल भाषण दे रहे है । यह कह रहे है कि मनु स्मृति के समय से यह हो रहा है । क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि उस समय से ऐसा होता आ रहा है इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा ? ऐसा नहीं हो सकता है । यदि कोई दोष हमारी संस्कृति में आ गया है तो उसको ठीक करने की जरूरत है । आप उनको दूर करने के लिए आगे आइए और आपको हम सब का सहयोग मिलेगा । क्यों हम उदास हों ? क्यों हम भागें ? हम को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए ।

मैं रुख की बात कह रहा था ? प्रधान मंत्री ने रुख की बात की थी सब जानत हैं हमारे देश में जातीयता की बीमारी है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । जन्म से ले कर मरण तक हमारे सारे कर्म जाति के आधार पर होते हैं । उन में जातीय भावना रहती है इससे कोई इन्कार नही करता है । अगर कोई इन्कार करता है तो वह सच्चाई से इन्कार करता है । जाने या अनजाने कांशसली या अनकांशसली हमारे दिमाग में जातीय प्रजुडिस है । उसको हटाने क लिए आप क्या कर रहे है । हमारे नेता चौ चरण सिंह जी ने इनको यह सुझाव दिया था कि सरकारी नौकरियों में भरती के लिए उन्हीं को योग्य माना जाए जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह किया हो या करें । उन्होंने यह एक कसौटी रखी थी । उनका मत है कि इससे जातीय प्रजुडिस मिट सकता है, यदि आप किसी के दिमाग से जातीय प्रजुडिस मिटाना चाहते हैं तो ऐसा आपको करना होगा । उनके इस सुझाव का हमारे गृह मंत्री जी ने कभी जवाब नहीं दिया । प्रधान मंत्री न कभी जवाब नहीं दिया । यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जनतंत्र में विरोधी दल के नता एक बात कहें एक सुझाव दें और प्रधान मंत्री जी की ओर से उस पर टिप्पणी तक न हो, रिसपांस तक न हो और फिर भी लगातार उन पर यह आरोप लगाया जाता रहे, चार्ज लगाया जाता रहे कि वह जातपात को बढ़ावा दे रहे हैं । हम लोगों ने जातपात को नहीं बनाया है । स्वयं गृह मंत्री न कहा है कि यह मनु स्मृति के समय से है । अब आप ही बताएं कि क्या हम लोग मनु स्मृति के समय से हैं ? हम लोगों न जातपात को नही बनाया है । हम पर जातपात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है । मैं कहूंगा कि जितना आप जातपात को बढ़ावा देते है । उतना और कोई नहीं देता है । इसके बारे में सब तथ्य हमारे पास मौजूद है ।

जहां तक पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का रुख बदलने की बात है, उस में जातीय प्रजुडिस को मिटाने की बात है , क्या इसके बारे में आप भी कोई सुझाव देने वाले हैं या उस पर अमल करने वाले है, यदि हमारे सुझाव को आप नही मानत हैं ? क्या आप के पास भी कोई सुझाव है या केवल आप पायस विश पर ही चलते रहेंगे और अपने आपको दबे हुए, पिसे हुए लोगों का वैल विशर होने का दावा ही करते रहेंगे ?

जहां तक ट्रेनिंग या भरती की बात है या पुलिस आर्गेनाइजेशन की बात है, वह अंग्रेजों के समय से ही जैसा बना था वसा चलता आ रहा है । अनस्किल्ड लोगों को कांस्टेबल के तौर पर भरती किया जाता था और उनको अनस्किल्ड का दर्जा दिया जाता था । आज भी वही दर्जा उनको प्राप्त है । लेकिन आज स्थिति बहुत बदल गई है । हमारा देश आजाद है । हमारे यहां जनतंत्र है, जम्हूरियत है । लेकिन कायदा कानून वही पुराना चला आ रहा है । उसको बदलना चाहिए । अब उनको कौन बदलेगा ? इनको आगे आना पड़ेगा । नारायणपुर प्रधान मंत्री जी गई । अच्छी बात है । मैं इसका विरोध नहीं करता । लेकिन उन्होंने देश को जो आश्वासन दिया क्या वह पूरा हुआ ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह एलानिया सरकार है, यह सरकार केवल एलान करती जाती है, काम करना इसका काम नहीं है ।

सरकार अपने काम से बोला करती है, जबान से नहीं बोलती है । जो सरकार जबान से बोले उसको हम लोग एलानिया सरकार कहते हैं, लम्पट सरकार कहते हैं । इससे कुछ होगा नहीं ।

पुलिस संगठन की बात मैं कर रहा था । प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तथा दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि आर्थिक उन्नति हो जाएगी तो ये सारी बात खत्म हो जाएंगी । यह बहुत दिनों से, 30 बरसों से कह रहे हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है । देश निर्माण का जो काम है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का काम वह इकनामिक रिकंस्ट्रक्शन का ही काम नहीं है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन का भी काम है अगर आपने दोनों को साथ-साथ नहीं चलाया तो आपकी वही हालत होगी जो आज हो रही है । वह गलत इम्फैसिस की वजह से हो रही थी ।

नेशन बिल्डिंग का काम न केवल इकानामिक डैवलपमेंट का काम है, न केवल इकानामिक रिकंस्ट्रक्शन का काम है बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का भी काम है । जो डिफरैंट कास्ट्स हैं, नेशनालिस्ट्स है, उनमें कैसे होमोजैनाइटी आयेगी, कैसे घोलमेल होगा, इसकी भी जरूरत है । उसको देश-निर्माण कहते हैं । ऐसे कैसे यह संभव हो सकता है, जो हमको यह समझा रहे हैं ।

पुलिस संगठन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ बातें मैंने एटीट्यूड्स की, ट्रेनिंग की और भर्ती की कीं, उसके साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि पुलिस संगठन में जो एक बहुत बड़ा दोष आ गया है झूठ का, यह अंग्रेजों के समय से है । अंग्रेजों ने जो पुलिस की व्यवस्था की थी, वह लोगों को दबाने के लिये की थी, लोगों की आजादी के लिये नहीं की थी । लोग अपनी मांगों के लिये जो आन्दोलन करते थे, उसको ठीक से समझकर उसके साथ सही सलूक करने के लिये अंग्रेजों ने पुलिस नहीं बनाई थी । अंग्रेजों ने जो यह संगठन खड़ा किया था, उसके पीछे लोगों को दबाने का उद्देश्य था । इसलिये उसी समय से कुछ बुरी लत, जिसे थर्ड डिग्री मैथड कहते हैं, पुलिस में आ गई । जैसे सारी घटनाएं जो सामने आ रही हैं कि किस तरह से पुलिस इन्वैस्टीगेशन करने गई और उसने कैसे काम किया, कैसे लड़के को अपनी मां के साथ सम्भोग करने के लिये पुलिस ने कहा, यह सारे काम जो हो रहे हैं, ये थर्ड डिग्री मैथड हैं । इस तरह के क्राइम के इन्वेस्टीगेशन में सारी झूठी बातें आप तक पहुंच जाती हैं । यदि किसी संगठन को आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिये सिद्धान्त होता है कि उसमें सचाई होनी चाहिये । यदि किसी संगठन में सचाई नहीं है तो वह संगठन चल नहीं सकता है । आपको पता होगा कि चोर डैकैतों का जो संगठन होता है, उसमें भी आपस में सचाई होती है । लेकिन पुलिस के संगठन में सचाई नाम की चीज नहीं रह गई है ।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो लॉ एंड आर्डर की मशीनरी है और जो प्रीवेंशन आफ इंवस्टीगेशन की मशीनरी है, इनको अलग कीजिये जब तक इनको अलग नहीं करते, उसी से दोनों तरह का काम लेते रहेंगे, उसमें सचाई नहीं आ पायेगी ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस वालों को बहुत काम करना होता है । उनको 18, 18 घंटे ड्यूटी देनी होती है, यह चीज खत्म होनी चाहिये । अगर पुलिस वाले तनाव में, टेंशन में इतनी हैवी ड्यूटी देते हैं तो वह किसी से भी भलमनसाहत से पेश नहीं आ सकते हैं । यह क्यों होता है, क्योंकि उनके काम के घंटे बहुत होते हैं । उनको छुट्टी कम मिलती है, सर्विस कंडीशन्ज ठीक नहीं हैं कोई सुविधा नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस बात को आप देखिये क्यों कि पुलिस व्यवस्था के लिये कांस्टेबल है और उसे बहुत ज्यादा काम करना होता है, बहुत कम वेतन उसको मिलता है, घर-आवास की सुविधा नहीं है, भत्ता नहीं मिलता है, मर जाता है तो उचित मुआवजा नहीं मिलता है । इन सारी बातों को आपको ठीक करना चाहिये । मैं चाहूंगा कि पुलिस वालों की जो उचित मांगें हैं, उनको मानिये और उन पर अमल कीजिये ।

कुछ अनुशंसाएं भी हुई थीं, जैसे पुलिस, अर्दली सिस्टम खत्म करने की बात थी, फ्यूडलिज्म पुलिस में बहुत अर्से से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, उसको खत्म करने की बात थी । अंग्रेजों के समय में पुलिस कमीशन ने भी कुछ अनुशंसायें की थी, जो आज भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं । 1861 का इनका कानून बना हुआ है, उसमें फ्यूडलिस्टिक चीजें हैं और जब से ही इसको चला रहे हैं । ये पुलिस को इंस्ट्रूमेंट आफ आपरेशन एंड सैपरेशन बनाना चाहते हैं, पुलिस में सोशल पालिसी नहीं बनाना चाहते । यदि यह इनमें परिवर्तन आ जाये और यह सोचने लगें कि पुलिस को जनता की सहूलियत के लिये, मदद के लिये सहारे और सहयोग के लिये बनाना है न कि जनता पर शासन करने के लिये बनाना है तो यह रुख में बड़ा भारी परिवर्तन होगा । इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन आज तक यह काम नहीं हो पाया है ।

1861 का पुलिस मैनुअल चल रहा है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें एक दफे है 109 और 107 जिसके चलते 25, 30 हजार आदमी जेलों में हैं और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था तो यह प्रकट हुआ कि 10, 10 और 11, 11 साल से लोग जेलों में हैं । बार-बार यह मांग की गई है कि पुलिस के इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाये । (व्यवधान) हमने भी दोष किया । हमने कब कहा है कि हम दूध के धोए हुए हैं ? क्या हमने ऐसा दावा किया है?

[श्री धनिक लाल मंडल]

इन दफा से गरीब आदमी को, लघु मानव को बचाने के लिए जिसकी कोई हैसियत और इज्जत नहीं है, जिसकी इज्जत लगातार घटती जा रही है और आप के समय में लोएस्ट बिंदू पर पहुंच गई है, सरकार को इस सलाह को मान लेना चाहिए ।

जहां तक हरजिनों का सम्बन्ध है, हमारे साथी, श्री राम विलास पासवान ने हरिजनों को बंदूक देने के बारे में एक प्रश्न किया था । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उन्हें बंदूक नहीं मिलनी चाहिए । जब बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हरिजनों में से चुने हुए लोगों को होम गार्ड की ट्रेनिंग और बंदूकें दी जायेंगी । उस समय भी इन लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि इससे गृह-युद्ध हो जायेगा । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं । मैं कहना चाहता हूं यदि आप हरिजनों को बंदूक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे गृह-युद्ध का खतरा है, तो फिर बाकी लोगों से भी बंदूक ले लीजिए । उससे तो गृह-युद्ध नहीं होगा । लेकिन बाकी लोगों से बंदूक नहीं लेते और कमजोर वर्ग के लोगों को, जिनकी संख्या 85 प्रतिशत है—छोटे मानवों को, लघु मानवों को, हरिजन-आदिवासियों को—आप बंदूक नहीं देना चाहते हैं । इसका क्या अर्थ होता है ? इसका अर्थ यही होता है कि आप पुरानी व्यवस्था को परपेचुएट करना चाहते हैं ।

मान लीजिए कि हरिजनों को बंदूकें देने से उकसावा होगा, तो दूसरे लोगों से बंदूकें ले लीजिए आज तो अनईक्वल फाइट, नाबराबरी की फाइट, होती है, क्योंकि हरिजनों के पास लाठी और डंडा होता है, जबकि बड़े लोगों के पास बंदूक, राफल और रिवाल्वर होते हैं । इसीलिए हरिजनों पर अत्याचार होते हैं और उनकी मा-बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है । इस अनईक्वल फाइट को हटाना है । कैसे हटायेंगे ? या तो जो भी आर्म्ज लेना चाहे, उसको दीजिए, नहीं तो किसी को भी न दीजिए । सरकार जो ठीक समझे, वह करे ।

जहां तक हरिजनो को सर्विसिज में रिप्रेजेन्टशन देने की बात है, आज भी उनका प्रतिनिधित्व 4.48 प्रतिशत है । जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों के मामलों को देखने के लिए एक हाई-पावर कमेटी बनाई थी । उस कमेटी ने सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई यह अनुशंसा करने के लिए कि हरिजनों के प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाये, जिससे पांच सालों में उन्हें सर्विसिज में पूरा प्रतिनिधित्व मिल जाये । इस सरकार के आते ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी । होम मिनिस्ट्री से जो किताब मिली है, मैं उसमें से पढ़ना चाहता हूं :—

"The High Power Committee in its meeting on 20th October, 1978 under the chiarmanship of former Prime Minister had suggested the constitution of a Committee of Secretaries to go into the entire question of backog in representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In pursuance of this, a Committee of Secretaries headed by the Cabinet Secretary held its first meeting on the 5th July, 1979. In view of the import nce of the subject, this meting was, however, presided over by the former Home Mi ister. The Commit tee asked som of the larger employing Ministries to carry out a study on the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Group-B services under their control and make specific proposalsfor consideration. Amongst others, suggestions were made by the Committee to improve the facilities regarding imparting pre-entry coaching, pre-appointment training and stipendary appointments to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so as to make them suitable for regular appoint ments and thereby improving their representation i the services".

कमेटी यह सुझाव देने के लिए बनाई गई थी कि बकलाग, बकाया, को पूरा करने के लिए क्या किया जाये, और उसने रीकमेंडेशन यह दे दी । और रेकमेंडेशन यह है । इस तरह से जब बात होगी तो उन को रेप्रेजेन्टेशन कैसे मिलेगा ?

इसी के साथ मैं हरिजनों की आर्थिक उन्नति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जनता सरकार ने कुछ काम किए थे और मुझको इस बात की खुशी है स्पेशल कम्पोनेंट प्लान उस समय तैयार हुआ था और स्पेशल सेंट्रल असस्टिंस के लिए भी कागज बढ़ा था । इस बात के लिए मैं होम मिनिस्टर को बधाई देता हूं, जो अच्छा काम करेंगे उस के लिए बधाई अवश्य दूंगा, उन्होंने सौ करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंस में रखा है । यह एक बहुत अच्छा काम है लेकिन यह तो ऐसा ही है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया जाय या समुद्र में एक बूंद पानी डाल दिया जाय । क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उस में 60 प्रतिशत लोग हरिजन हैं। यदि हरिजनों और आदिवासियों की आबादी 16 करोड़ मान लें और वह हैं भी 16 करोड़, 12 करोड़ हजिरन और 4 करोड़ आदिवासी, दोनों मिला कर 16 करोड़ होते हैं, तो 16 करोड़ के 60 प्रतिशत यानी लगभग 10 करोड़ आदिवासी और हरिजन गरीबी रेखा के नीचे हैं। यदि पांच से इस को भाग दें. पांच आदमियों का एक परिवार मान लें तो दो करोड़ हरिजन परिवार हैं जिन को आज गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर ले जाना है । दो करोड़ को पांच हजार से मल्टीप्लाई कर दें

क्योंकि पांच हजार की राशि अगर एक हरिजन परिवार को दें ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 5 हजार, इतनी राशि की जरूरत है जिस के सामने सौ करोड़ कुछ भी नही है । लेकिन फिर भी हम उस के लिए उन को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस की शुरुआत की । लेकिन सौ करोड़ से यह काम होने वाला नहीं है, इस को और आगे ले जाने की जरूरत है ।

मैं थोड़ा सा आदिवासियों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । एक तो जो उत्तर पूर्व के आदिवासी हैं उन के बारे में कहूंगा और दूसरे जो मध्य के हैं उन के बारे में कहूंगा । उत्तर पूर्व में जो हमारे आदिवासी हैं उनके साथ क्या हुआ ? इस सरकार ने क्या भलमन्साहत की ? मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की एक संस्कृति है वह संस्कृति है समाजवादी संस्कृति समता की संस्कृति, बराबरी की संस्कृति । उन में ज्यादा भेदभाव नही होता, अलगाव नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता । उस संस्कृति में जो उन का पिछड़ापन है उस को अगला बनाने के लिए ये पहले उन को पूंजीवादी बनाना चाहते हैं । पहले वे पूंजीवादी हो जाएंगे तब जा कर उन को ये समाजवादी बनाएंगे । यह इन की नीति है इन की स्ट्रेटेजी है आदिवासियों के विकास के लिए । वे खुद पहले से समाजवादी हैं उसी ढंग से समाजवादी पैटर्न से उन का विकास किया जाता तो वह अधिक उपयुक्त था, लेकिन ये कैपिटलिस्ट में उन का विकास करेंगे । इसलिए ये जो समाजवाद में विश्वास करते हैं फिर से उन को कैपिटलिस्ट बना कर तब समाजवादी बनाएंगे । इस तरह की इन की स्ट्रेटेजी है । मुझे इस बारे में कम्युनिस्टों से भी, त्रिपुरा की सी० पी० एम० सरकार से भी दुख है उन्होंने भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ईवाल्व नहीं की कम्युनिस्ट होते हुए भी वे कम्युनिस्ट हैं और जेनुइन कम्युनिस्ट हैं मैं उन का बहुत ही आदर करता हूं, वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इनकाप्टिबल हैं एफिर्पेन्ट हैं, गरीबों से, आदिवासियों से उन की हमदर्दी हैं लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कांग्रेस सरकार की स्ट्रेटेजी के मुकाबिले में ईवाल्व नहीं की कि आदिवासियों को उन की सभ्यता और संस्कृति जो पुरानी है उसी में उन को रखते हुए जो खुद समाजवादी है, उन का विकास करते ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (JADAVPUR) : Tribal district councils have been established in Tripura. Restoration of land to tribals has been made. Probably, Mr Mandal is not aware of all this.

श्री धनिक लाल मंडल : आदिवासियों की जो समस्या है, वह जमीन की समस्या है, फारेस्ट प्रोड्यूस की समस्या है, माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस की समस्या है । आज क्या होता है ? आजादी के बाद जो सरकारें आई, अपनी रेवेन्यु बढ़ाने के लिए वह लगातार उन के अधिकारों को खत्म करती चली गई । जंगलों में उन को लकड़ी लेने के अधिकार थें, उस को भी खत्म कर दिया । माइनर फारेस्ट प्रोडयूस, फल-फूल आदि जो वह जंगलों से चुनते थे और बेचते थे उस को भी नेशनलाइजशन के बाद अपने अधिकार में कर लिया । जमीन पर भी अधिकार कर लिया । इन सब वजहों से आदिवासियों में असंतोष है । मैं मध्य के आदिवासियों के बारे में अब कह रहा हूं । उत्तर के लिए मैंने कह दिया । सब से बड़ी खेद की बात है कि जितने भी इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स हैं, चाहे वह राउरकेला हो, बोकारो हो, धनबाद हो, या सिन्दी हो, ये सारे जो काम्पलेक्स हैं, माइनिग काम्पलेक्स, इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स जहां बड़े आधुनिक शहर बन रहे हैं उस के चारों तरफ आदिवासियों को देखिए । वे आदिवासियों के क्षेत्र में हैं । आदिवासियों से जमीन ले ली गई, उन को ईवेकुएट किया गया वह काम्पलेक्स बनाने के लिए, लेकिन एवज में उन को क्या दिया गया ? न उन को नौकरी दी गई न कुछ दिया गया । मामूली मुआवजा दिया गया । यदि उस इलाके में आप जायेंगे तो आपको लगेगा कि आदिवासियों के गरीबी के दलदल में भोग विलास के कुछ टापू दिखलाई दे रहे हैं ।

[श्री धनिक लाल मडंल]

MR, DEPUTY-SPEAKER : Your party has been allotted 37 minutes. You have taken more than 37 minutes. My sympathy is with the members of your party who have yet to speak.

श्री धनिक लाल मंडल : यह मैंने आदिवासियों के सम्बन्ध में कहा । आसाम के सम्बन्ध में एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं । आसाम की समस्या के हल के लिए गृह मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी वे जो ब्यान देते है, उनसे भय लगने लगता है, कि वे कड़ा रुख अख्तियार करेंगे । मेरा उनसे निवेदन है कि आसाम के हमारे भाई भारत माता के पुत्र हैं, इस बात को उन्हें अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना चाहिए । गृह मंत्री, जिनके हाथ में अधिकार है, भारत सरकार के पूरे अधिकार और शक्ति लेकर यहां पर बैठे हए है, उनको समझना चाहिए कि वे लोग हमारे अपने ही देश के भाई हैं, भारत माता की सन्तान हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें धीरज और नर्मी से बात करनी चाहिए, कोई भी कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए । आसाम के सम्बन्ध में सारी बातें यहां पर आई हैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इल्लीगल इमिग्रेशन हो रहा है । इस सम्बन्ध में मैं उन्ही के विभाग के आंकड़े देना चाहता हूं :

"In 1979 the BSF intercepted and pushed back 2, 157 Hindus, 1,324 Muslims and 206 stranded Pakistanis. In 1980, upto May, the number of Bangladesh is pushed back was 1,163 Hindus, 2,267 Muslims, 826 Burmese Muslims and 78 stranded Pakistanis".

लगभग चार हजार । इसमें माना गया है कि 100 में 10 को ही बी एस एफ इन्टरसेप्ट करती है क्योंकि सीमा बहुत बड़ी है 37 हजार किलोमीटर की और बी एस एफ की चौकियां केवल तीन सौ या चार सौ ही हैं । जब इतनी बड़ी सीमा हो और इतनी कम बी एस ए की चेक-पोस्ट हों तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 100 म 10 को रोक पाते हैं यानी 10 में से 1 को ही रोक पाते हैं उनको पुश-बैक कर पाते हैं और बाकी लोग हिन्दुस्तान में चले आते हैं । एक बार जब वे भारत में चले आते हैं तो यहां घुल मिल जाते हैं और फिर कोई उनका पता नही रहता है । अगर इस हिसाब को हम मान लें तो आज भी प्रति वर्ष 40,000 के लगभग लोग इल्ले-गली भारत में आते हैं । गृह मंत्री जी इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? वे आसाम-वासियों द्वारा उठाए गए आन्दोलन की बात तो करते हैं लेकिन जो खुद उनका अपना काम है उस सम्बन्ध में वे क्या कर रहे हैं ?

SHRI JANARDHANA POOJARY (MANGALORE) : I am on a point of order. For this Ministry, 10 hours have been allotted. He is consuming more than 37/minutes. He has consumed our time also. We are also expected to speak on this subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not only that, there are other Members from his Party who cannot speak.

श्री धनिक लाल मंडल : बार्डर को सील करना सरकार का काम है जोकि वह नहीं करती है ।

मिज़ोरम के बारे में भी मैं एक बात कह देगा चाहता हूं । मुझे खुशी है कि सरकार लाल डेंगा से बात कर रही है लेकिन हमको भय है कि लाल डेंगा ने एक शर्त लगाई है कि पहले वहां पर राष्ट्र ति शासन लागू किया जाए, यानी टी साइलो की सरकार को खत्म किया जाए तभी बातचीत होगी इसलिए मैं गृह मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा काम आप न करें, इतने बड़े देशभक्त टी साइलो की सरकार को खत्म करके एक अनरेलाबजल लाल डेंगा से बात करना इस देश के हित में नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं ।

आपने समय दिया, आपको धन्यवाद ।

श्री बालेश्वर राम (रोसेडा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र श्री धनिक लाल मंडल जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था । अभी पिछले कई सालों से जो हमारे देश की हालत कानून-व्यवस्था की रही है, चाहे वह महिलाओं पर अत्याचार हो, हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों पर अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों, जो हमारी माइनो-रिटीज कम्यूनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं--इस तरह की घटनायें पिछले कई सालों से हो रही हैं । यह मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाओं का होते रहना किसी भी देश के लिए कलंक की बात है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी ठीक है हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जो राष्ट्रीय समस्याओं का रूप इन समस्याओं ने लिया है, जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, उनका समाधान खोजना चाहिए ।

लेकिन मुझे अफसोस है कि श्री धनिक लाल मंडल, जो बहुत चतुर आदमी हैं, जनता पार्टी की सरकार में और जब लोकदल की सरकार बनी, उसमें भी ये गृह विभाग के राज्य मंत्री थे, इसलिए मैं इनके भाषण को सुन रहा था । मैं कुछ बातों की और विरोधी पक्ष के नेताओं का और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस तरह की घटनायें पिछले कई सालों से हो रही हैं और इस जिम्मेदारी हम सब पर आती है ।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि 1977 के आम चुनाव, जबकि किसी की मांग भी नहीं थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने कराए और उन चुनावों में जनता की अदालत ने जो फैसला किया, जो उसके रिजल्ट आए, उसको श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी पार्टी ने माना और उसको कबूल करके, जो हमारे विरोधी पक्ष में लोग बठे हुए हैं, उनके ऊपर हिन्दुस्तान की हुकूमत को चलाने की जवाबदेही आई । जवाबदेही आने के बाद, मैं इनकी यादाश्त को ताजा करना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया ? बजाय इसके कि जो इस तरह के करानामें होते थे, उनको रोकते, उन्होंने बढ़ावा ही दिया । .... (व्यवधान) मंडल जी, मैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको बताना चाहता हूं और आप उठकर जा रहे हैं।

मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा था, शायद आपको याद होगा जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार शासन में आई, उस वक्त जो ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स थे, अपराधकर्मी थे, जिनके ऊपर 302,307 और 395 आदि धारा के तहत मुकदमें चल रहे थे, उस में कई सजावार थ, बहुत से एक्ट्रीमिस्ट्स थे, उनको छोड़ दिया गया । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब वह जवाब दें तो सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने कुख्यात अपराधकर्मी, क्रिमिनल्स और एक्स्ट्री-मिस्ट्स थे, जिनको हमारे डैमोक्रेटिक सिस्ट्म और हमारी जनतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास नहीं था और उनको छोड़ा गया । यदि वे चाहेंगे तो सारे आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट्स से उपलब्ध हो जायेंगे कि कितने लोगों पर मुकदमें वापिस लिए गए और कितनों को छोड़ा गया ।

एक दो उदाहरण थे आपको अपने जिले के बारे में देना चाहता हूं । मेरे जिले में एक आदमी के ऊपर मर्डर का इल्जाम था और यह साबित भी हो गया था । वह अपने आपको नक्सलवादी कहता था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया था लेकिन उस वक्त जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उस अपराधी को छोड़ दिया । अभी कुछ दिन पहिले हमारे कांग्रेस (अर्स) के एक नेता की उस ने हत्या की है । यह ठीक है कि आज कल हमारे कांग्रेस (अर्स) के नेता इसी गठबन्धन में शरीक हो गये हैं, यह उन के लिए खुशी की बात है, लेकिन हम यह मानते हैं कि कोई भी अपराधी जो इस तरह का कुकर्म करता है वह निन्दनीय है ।

मैं इस बात का जिक्र इस लिए कर रहा था कि इन्होंने इस तरह के जितने कुख्यात अपराधी थे, क्रिमनल्ज थे, उन को छोड़ दिया । उन में ऐसे लोग भी थे जो तस्करी करते थे, स्मलिंग करते थे, चाहे वह हाजी मस्तान हो, बखिया हो, उन सेभी बड़े-बड़े नामी तस्करों के नाम हम सभी जानते हैं, यहां तक हुआ कि एक स्वर्गवासी विख्यात नेता के सामने उन को ला कर आत्म समर्पण का नाटक कराया । ये लोग केवल स्मलिंग्स ही नहीं करते थे, बल्कि अपराध-कर्मी भी मैं--यह बात किसी से छिपी नहीं है । मैं इस प्रसंग में यह बतलाना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में ऐसे अपराधियों को सभी राज्यों में, चाहे वेस्ट-बंगाल हो, त्रिपूरा हो या दूसरी उन के द्वारा रूल्ड स्टेट्स में उन को छोड़ा गया ।

[श्री बालेश्वर राम]

मंडल जी कह रहे थे--9 असेम्बलियों का विघटन क्यों किया ? 1977 में जब इन की सरकार बनी थी, यही सवाल हम ने भी पूछा था । तब इन्होंने कहा था कि जनता का मेन्डेट हमारे पक्ष में हो गया है, इसलिए हम सारे राज्यों की असेम्बलियों को भंग करेंगे । हमने भी वही किया है । जब हमारी जनता ने भार बहुमत से, इतने मैसिव-मेन्डेट से हमें यहां भेजा जितना आज तक पहले किसी पार्टी को नहीं मिला था, तब हमारी सरकार और हमारे नेता ने सोचा--यदि हम अपने कार्यक्रमों को, जो गरीब जनता के लिए, गरीब हरिजनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, हैं, लागू करना चाहते हैं, विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रमों या दूसरे कार्यक्रमों को इस देश की तरक्की के लिए और इस देश में फिर से समाजवादी सिस्टम को चलाना चाहते है, तो में चुनाव कराने चाहियें । हमारे गृह मंत्री जी ने उस समय कहा--असेम्बलियों को भंग किया गया है, वह इसी लिए किया है कि जनता ने बिलकुल स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष को मेन्डेट दिया है और हमें अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए चुनाव कराना जरूरी था और जनता ने फिर हमारे पक्ष में मेन्डेट दिया ।

लेकिन यहां पर मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो राज्यों में इस तरह की घटनायें हो रही हैं, वे जरा इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि जो राज्य लोक दल या जनता पार्टी द्वारा शासित थे, उन में कितने ऐसे तत्वो को पुलिस फोर्स में, जो कानून और व्यवस्था को कायम रखने वाली मशीनरी है, उस में इन्फिलट्रेट कराया गया है । मेरी जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो आर० एस० एस० के हैं या लोक दल के है या दूसरे रिएक्शनरी एलीमेंट्स हैं, जो अपराधी तत्व हैं, ऐसे लोगों को इन में घुसाया गया है और ऐसे तत्व आज मिल कर ऐसे कामों में लग हुए हैं जिससे हमारी सरकार डिफेम हो, हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये सारी कार्यवाहियां आज चल रही हैं । मेरा यह चार्ज है और मैं जानना चाहूंगा--क्या यह सही नहीं है कि इस तरह के जो एलीमेंट्स थे, जो उन के साथ कमिटेड थे, उन को हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, पुलिस फोर्स में घुसाया गया है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहें ।

आज जिस तरह के हिन्दुस्तान को बनाने की कल्पना हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी ने की है, हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं और जिस तरह से आप उन को कार्यान्वित करना चाहते हैं--उस में आप को पूरी मुस्तैदी और सतर्कता बरतनी होगी । इस तरह के जो एलीमेंट्स आज घुस गये हैं और आप को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप दिल्ली को ही लीजिए, यहां पर जो अपराध बढ़े हैं, उन के चारों तरफ कौन लोग ई। उन के समर्थक कौन लोग हैं, आज आर० एस० एस० के एलीमेन्ट्स काफी मुस्तैदी से इस काम में लगे हुए हैं कि सरकार को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाय । मैं देख रहा हूं—पिछले कुछ हफ्तों से हमारे विरोध पक्ष के कई नेताओं के मनसूबे और हौसले काफी बुलन्द हो गए हैं । शायद वे हमारी पार्टी को कमजोर समझने लगे हैं, यह उन की भूल है । श्रीमती इन्दिरा गांधी की टावरिंग पर्सनेलिटी शायद आज दुनिया की किसी भी पार्टी को नसीब नहीं है । जहां एक तरफ वे चट्टान की तरह से खडी हैं, वहां हिन्दुस्तान की जनता ने भी साबित कर दिया है कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के पीछे चट्टान की तरह से खड़ी है । यह इस बात का प्रमाण है कि उन के हौसले पस्त हो रहे हैं--इस में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ।

14 hrs.

उपाध्यक्ष जी, ये इन के कारनामे थे, जिन का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है कि किस वजह से यह जो कानून व व्यवस्था की हालत है, उस को पैदा किया गया है और दूसरी तरफ ऐसे समाचारपत्र हैं, ऐसी न्यूजएजेंसियां हैं, ऐसे अखबारात हैं, जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों के हाथों में हैं और उन का जो रवैया है, वह आप ने देखा था इमर्जेंसी के पहले भी और बाद में भी उनका क्या रवैया रहा । कुछ दिनों तक तो वे ठीक नजर होते आ रहे थे लेकिन इधर देख रहे हैं कि वे गलत समाचार हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं । कई ऐसे न्यूजपेपर्स हैं, और इंडियन एक्सप्रैस तो इस काम में मशहूर हैं ही लेकिन कई और भी ऐसे अखबार हैं जिन्होंने उस से कदम से कदम मिलाना शुरु कर दिया है । ऐसी बहुत सी मेगजीन्स हैं और डेली न्यजपेपर हैं हालांकि वे कम हैं, लेकिन बहुत सी पत्रिकाएं हैं, वीकलीज हैं, मन्थलीज हैं, जो इस तरह की खबरें छाप रही हैं और प्लान्ड तरीके से एक कान्सपीरेसी चल रही है और बहुत बढ़ा-चढ़ा कर चीजों को दिया जा रहा है । किसी भी डैमोक्रेटिक कन्ट्री में इस तरह की घटनायें होती हैं, तो यह शर्मनाक बात है और हमारी पार्टी इस बात को मानती है और हरिजनों पर, कमजोर वर्गों पर, महिलाओं पर और माइनोरिटीज पर जब भी अत्याचार हुए हैं, तो हमारी प्रधान मंत्री जी ने आवाज बुलन्द की है । हम इस बात को मानते हैं लेकिन अखबारों के माध्यम से, एगजैजरेटेड, अतिरिंजित ढंग से खबरें छप रही हैं और यह सब आप

के सामने है । रेप के कई केसेज के बारे में जिक्र हुआ है और यहां पर इस पर चर्चा भी हुई है लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो कई जगहों पर इन को गलत पाया गया जैसे बांदा में और दरभंगा में और अभी चार, पांच जगहों से ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि ये समाचार निराधार हैं । फिर भी जो भी हो रहा है, हम यह जरूर चाहते हैं कि सख्ती से उस का मुकाबला किया जाये ।

इन्होंने जो कुछ भी किया है, इन की उपलब्धियों के, इन के जो एचीवमेंट्स हैं, उन के दो, तीन उदाहरण में आप के सामने रखना चाहूंगा । देश में जो यह हालत पैदा हुई है, देश में जो शान्ति व्यवस्था है, ला एण्ड आर्डर की जो व्यवस्था है, उस को इन्होंने खत्म कर के रख दिया था । दुनिया में कोई ऐसी मिसाल आप को देखने पर नहीं मिलेगी, जहां पुलिस और फौज ने एक दूसरे पर गोली चलाई हो । इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए थे, जनता और लोकदल की सरकार ने पुलिस का मनोबल था, हमारे रिजर्व्ड फोर्सेज का जो मनोबल था, बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० का जो मनोबल था, उस को तोडने की कोशिश की और पुलिस और फौज में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, यह एक शर्मनाक घटना है और एक नहीं कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी थीं ।

14.03 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATEL *in the Chair*]

एक तो यह इन का एचीवमेंट रहा है और दूसरा जो इन का एचीवमेंट है, वह इतिहास में काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा और वह जो एचीवमेंट है, उस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि आज एक मजबूत सरकार बनी है और वह इन बातों को न करे और अगर ऐसी कोई बात हो, तो उस पर कार्यवाही करनी चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि जब बेलची की घटना घटी, हमारे दोस्त यहां से चले गए हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 12 इन्सान जो बेकसूर इन्सान थे, उन को जिन्दा जलाया गया और उन के हाथ और पांवों को कुल्हाड़ी से काट काट कर जलाया गया था । यह घटना वहां घटी थी और मैं इस के बारे में निजी तौर पर जानता हूं क्योंकि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं वहां गया था और मुझे देखने का मौका मिला था । मुझे इस की निजी जानकारी है । यह बड़ी दर्दनाक और अमानवीय घटना थी । इस में मासूम बच्चों को जलाया गया और वे हरिजन थे, एक को छोड़ कर, जोकि बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी था, बाकी सब हरिजन थे, जिन को जिन्दा जलाया गया । इस तरह की मिसाल दुनिया में कम मिलती है लेकिन जब यह घटना वहां पर हुई तो वहां के जो सूबेदार थे, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री चरण सिंह, जो हमारे यहां गृह मंत्री थे, उन को उन्होंने यह सूचना दी कि वे सब क्रिमिनल्स थे और इस का अंजाम यह हुआ कि इतनी बड़ी जो घटना हुई थी, उस की तुरन्त इंक्वायरी होनी चाहिए थी और जो अभियुक्त थे, जो एक्यूज्ड थे, उन को जेल में बन्द करना चाहिए था । कई महीने लगे । महीनों का नाम और तारीख बता कर मैं अपका समय नहीं लेना चाहता । जब से सैशन ट्रायल हुआ उस समय से अब तक, सभापति महोदय, सैशन ट्रायल में तीन व्यक्तियों को फांसी हुई । यहां बैठ कर श्री चरण सिंह चैन की बंसी बजा रहे थे । उन्होंने बेलची जाने की एक दफा भी तकलीफ नहीं की । मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गयीं और किस मुसीबत में वहां गयीं । वहां इतने पानी में से हो कर जाना पड़ा कि उसमें एक हाथी भी तैरने लगे । किस तरह से वहां जा कर इन्दिरा गांधी ने लोगों को सांत्वना दिलायी उसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं । आप जानते हैं कि उस समय वे और कर भी क्या सकती थीं । इन बातों को हमारे भाई भूल गये । लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं बिहार में होते हुए भी श्री चरण सिंह और उनके अनुयायी बिहार में इन्टरमीजियेट कास्ट बनाने की कोशिश में लगे रहे । शेड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स के लोग छोटे तबके के माने जाते हैं, ब्राह्मण और दूसरे लोग ऊंचे तबके के माने जाते हैं । बीच में इन्होंने इन्टरमीजियेट कास्ट बनाने की कोशिश की और जातिवाद के नाम पर सारे बिहार में इन्होंने विद्वेष फैलाया, उत्तर प्रदेश में यह कर ही रहे हैं । ये सारे उत्तर भारत में यह करना चाहते थे और इसी के बलबूते पर चरण सिंह प्रधान मंत्री बनना चाहते थे । वे यह सोचते थे कि असेम्बलियों पर तो उनका अधिकार हो ही जाएगा ।

हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे तो उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को किस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था ? क्या उनका कसूर यही था कि वे डेमोक्रेसी को मानती हैं, डेमोक्रेसी को उन्होने सींचा है, हिन्दुस्तान को बनाने में उन्होंने सारा खून और पसीना बहाया है, उन्होंने चुनाव कराये और चुनावों के बाद शासन की जवाबदेही दूसरों को दे दी ? उसके बाद बिना किसी कसूर के उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया । जब अदालत में मामला जाता है तो न्यायाधीश कहता है कि कोई मुकद्दमा बनता ही नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई केस ही नहीं था तो फिर कैसे उनका अनलाफुल कंफाइनमेंट किया गया ? यह एक क्रिमिनल कांस्पिरेसी थी । यह न केवल उनके खिलाफ थी, बल्कि उनके सहयोगी ज्ञानी जैल सिंह और दूसरे उनके साथी श्री आर० के० धवन के खिलाफ भी थी और दूसरे

[श्री बालेश्वर राम]

हजारों लोगों के खिलाफ थी । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को तबाह किया गया, वह किस कानून के अन्तर्गत किया गया । यह सब इन लोगों की एक क्रिमिनल कांस्पिरेसी थी । बिना किसी वजह के श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगियों को जो जेल में रखा गया, उसके लिए मैं मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यह क्रिमिनल कांस्पिरेसी की, क्रिमिनल केस स्टार्ट किया जाए । होम मिनिस्टर से मेरी यह स्पष्ट शब्दों में मांग है और मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर जब जवाब दें तो इस बारे में केटेगोंरिकल्ली बतायें ।

यहां पर कभी कभी चर्चा होती है कि जनता सरकार ने गहुत बड़ा काम किया था । सी० पी० एम० के लोग जो अपने आप को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट्स कहते हैं, शास्त्री जी जो हमारे साथ एमर्जेंसी में भाषण किया करते थे, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण किया करते थे, आज व किसके साथ हैं । वे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जन संघ के साथ हैं । वे आज बाला साहब देवरस, राजेन्द्र सिंह जी जैसे आर०एस०एस० के लोगों के साथ हैं । यह बात सी०पी०एम० के लोगों को सोचनी चाहिए । जिस आर० एस० एस० ने खुले तौर पर असम के आन्दोलन का समर्थन किया है उसके साथ दोस्ती करते हुए आपको एक सैकिंड भी नहीं लगा । अब चूंकि आप मुसीबत में हैं इसलिए आप हमारी सहायता लेने की कोशिश कर रह हैं । त्रिपुरा में जो हालात पैदा हो रखे हैं, उनको देखते हुए आपने जो रुख अखत्यार किया है:....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : There are parties supporting the holocaust in Tripura. They are not participating in the peace committees and in the relief committees. They are openly encouraging this.

(Interruptions)

श्री बालेश्वर राम : : आपने काम क्या किया ? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं । कहते हैं कि डेमोक्रेसी के आप पुजारी हैं । मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी या लोक दल की सरकार ने जो करोड़ों रुपया खर्च किया शाह कमिशन तथा दूसरे कमिशन बनाने पर और यह जो एक्सचेकर की बरबादी हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं । शाह जैसे इतने बड़े रिएकशनरी शक्स का कमिशन इन्होंने बनाया । आप तो जानते ही हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में उनका क्या रुख था । मैं तो तब इस सदन का सदस्य भी नहीं था । हां यह ठीक है कि मैं विधान सभा में या दूसरे सदन में था और काफी उर्से तक रहा हूं । दिल्ली आन का मुझे मौका मिलता रहता था और आ करके यहां पर ऊपर गलरी से मैं यहां की प्रोसीडिंग्ज को सुना करता था । ऐसे आदमी का जिस का एटीट्यूड बैंक नशनलाईजेशन के बारे में सब को पता था, जान बुझ कर, कमिशन बनाया गया । उनका जो माइंड था प्रजुडिस्ड था, प्रीऑक्यूपाइड था । इस कमिशन न सारे जितने नार्म्ज आफ प्रोसीजर थे, जुरिस्प्रुडेंस के जितने भी सिद्धान्त थे, ला के जितने भी सिद्धान्त थे, सब को ताक कर रख दिया और एक तरफा सुनवाई शुरू कर दी । जो गवाहियां दी गईं उनको ले कर लम्बे लम्बे फैसले उन्होंन लिखे । उसकी प्रोसीडिंग्ज को दिलचस्प बनाने की सभी कोशिशें की गईं । जब एमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी तब ऐसे ऐसे लेखकों को चुना गया जो चुटकुले लिख सकते थे, जो कहानियां बना सकते थे और कहानियां उन्होंने बना डालीं और लिख डालीं । श्रीमती इंदिरा गांधी को ले कर उन्होंन मनगढन्त कहानियां लिखीं और लोगों को चटपटा मसाला देने की हर प्रकार की कोशिश की गई । लोगों से पैसा कमाने के लिए उलटी सीधी बातें और मनगढन्त बातें लिखी गई । कमिशन की प्रोसीडिंग्ज में रुचि पैदा करने के लिए शाह साहब जब बैठते थे तो रनिंग कमेंटरी किया करते थे और कहा करते थे ओह आई एम सारी, टेरीबल, हारिबल । क्या ज्यूडिशरी का कोई आदमी जो सुप्रीम कोर्ट तक में रह चुका हो इस तरह से कर सकता है ? इस तरह के आदमी का कमिशन बिठाया गया । इस तरह का घटिया किस्म का काम हो और आप उसको बढ़ावा दें तो यह कहां तक उचित है । उसके द्वारा दिए गए फैसले का हश्र क्या हुआ ? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट न उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया । इस तरह का फेट उन कमिशंज का हुआ जो इन लोगों ने बिठाए थे और करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया था । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जवाबदेही किस पर है ? स्टेट एक्सचैकर का करोड़ों रुपया इस तरह से इन लोगों ने बरबाद किया । इसकी रिसपांसिबिलिटी किस पर आती है । मैं चाहता हूं कि आग इस तरह की हरकत आने वाले लोग न कर सकें, इसका आप क्या इंतजाम कर रह हैं ? आपको इस सम्बन्ध में कार्रवाई करनी चाहिये । जो हो चुका है उसके लिए आपको रिसपांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये । साथ ही यह भी देखना चाहिये कि आगे से इस तरह की हरकत कोई न कर सके ।

हम अपने समाचारपत्रों की स्वतंत्रता चाहते हैं । हमारे पड़ोस में श्रीलंका में अभी पीछे जब चुनाव हुए थे तो आपने देखा कि श्रीमती भंडारनायके की सरकार हार गई और जयवर्धने की सरकार बनी तो हमारे यहां पर गुलदारे छोड़े गए, खुशिय

मनाई गई । लेकिन आज वहां क्या हालत है । वहां एमरजेंसी लगा दी गई हैं और समाचारपत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई है । मैं इसका पक्षधर नहीं हूं । लेकिन निरंकुश ढंग से बहुत से हमारे समाचारपत्र जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को, जनतांत्रिक प्रणाली को, हमारी स्ट्रांग और टावरिंग लीडरशिप को जिस को दुनिया भी मानती है और हमें उस पर फक्र भी है कि हमें ऐसा नेता प्राप्त है, कमजोर करने की कोई समाचार एजेंसी या समाचारपत्र कोशिश करता है तो आपको उसकी खबर लेनी चाहिये, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिये, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये । आपने जनता सरकार के रिजीम में देखा कि इन्होने खुश होकर एक खास जो समाचार ऐजन्सी थी, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमैंट उसी को दिये । समाचारों को विखंडित भी इसीलिए किया गया था कि एक पर्टिकुलर समाचार एजेन्सी के साथ इन्होंने तरफदारी करनी थी । इस तरह से इन्होंने तरफदारी की और एसी एजन्सी के लोग आज आसाम में जाकर वहां के बड़े अधिकारियों और सरकार के बारे में गलत खबरें छापते हैं, क्राइम के बारे में, महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें छापते हैं ।

श्री चरण सिंह जी और उनके दल के जो और नेता हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं कि जब आगरा और बनारस में घटनाएं हो रही थीं, हमारे अल्पसंख्यक लोग मारे जा रहे थे, माइनौरटीज के लोग मारे जा रहे थे, आगरा में शड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का कत्लेआम हो रहा था, और बागपत में जब हमारे हरिजन भाई वोट डालने के लिये गये थे तो चरण सिंह जी की कांस्टीट्युएन्सी में कई लोगों पर गोली चलाई गई । ये बहुत बड़े पक्षधर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के, अभी धनिकलाल मंडल बोल रहे थे, क्या उनको पता नहीं है जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर जो जौब्ज का रिजर्वेशन किया गया, उसमें 14 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये और 10 परसेंट शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वेशन थी । मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह किस तरह से इसे टेक-अप करें और इन्हें स्पीडीली लागू किया जाना चाहिये । लेकिन जब रिजर्वेशन का उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाला, बिहार की गवर्नमेंट ने, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं क्योंकि श्री कर्पुरी ठाकुर श्री चरण सिंह के बहुत बड़े अनुनायी हैं, तो उन्होंने 26 परसैंट रिजर्वेशन दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिये किया । मुंगेरी लाल कमीशन ने कहा था कि 1 परसैंट रिजर्वेशन रहे और आप कम-से-कम 1 परसैंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये बढ़ाओ । मंडल जी भी कर्पुरी ठाकुर के दोस्त हैं, यह उनके चेले हैं, लेकिन उस वक्त इनकी आवाज बन्द थी । यह लेजीटिमेट डिमांड रिजर्वेशन के बारे में थी । आपको सुनकर अफसोस होगा कि बिहार में अभी तक मुश्किल से 5 परसैंट लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को नौकरियों में संरक्षण, रिजर्वेशन मिल सका है, इसलिए मैं यह बताना चाहता था कि यह इन लोगों के कितने बड़े हिमायती हैं और जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहीं, उसमें कितनी मुस्तैदी से इन्होंने दखल दिया ।

जमशदपुर की जो घटना हमारे यहां हुई, आपने कभी कम्युनल रायट्स को देखा, अभी 6 महीने की घटना हुई है लोक-सभा के इलेक्शन के बाद यह सही है कि कुछ महीने जब असेम्बली भंग हुई तो उसमें सभी पोलिटिकल पार्टी के लोग लगे हुए थे । हम लोग भी लगे हुए थे कि असेम्बली में हमारा बहुमत आना चाहिये और हमारी सरकार बने । अब सरकार मजबूती से काम करना चाहती है, लेकिन जरा आप अपने चेहरों को शीशे में देखें कि 3 साल में आप हिन्दुस्तान को कहां ले गये । आपने हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को खत्म कर दिया, राजनीतिक ढांचे को भी खत्म किया और अपने आप भी टुकड़े-टुकड़े हो गये ।

आज फिर गोलबन्दी करने की कोशिश की जा रही है, यह एक खतरनाक बात है । गृह-मंत्री जी यहां बैठ हुए हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूं ।

एक तरफ श्रीमती इन्दिरा गांधी को जब हजारों लाखों लोगों ने 1 लाख वोट से जिताकर चिकमंगलूर से यहां भेजा तो इन्हीं लोगों ने उनको न सिर्फ यहां की सदस्यता से वंचित किया, जेलों में भी डाला, शाह कमीशन में भी मुकदमें चलाये और उनको जैल भेजा । यह सब किस तरह से किया गया, समर गुहा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी और बहुमत के बल पर यह फैसला किया ।

शायद दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल नहीं होगी कि जनता का प्रतिनिधि चुनकर आये और बहुमत के बल पर गलत फैसला लेकर उस को सदस्यता से वंचित कर दिया जाये, और जेल में डाल दिया जाये, और अब ये सामने बठे हुए लोग जनतंत्र के पुजारी और डेमोक्रसी के मसीहा बनते हैं । आज हम भी भारी बहुमत से, दो-तिहाई मत से, यहां आये हुए हैं । अगर हम भी एक एक आदमी को यहां से निकालना शुरू कर दें, तो आपकी क्या हालत होगी ? (व्यवधान) एसे मत ललकारिये । हमने बहुत देखा हुआ है । हमको उसका डर नहीं है । जब 1977 में आपका शासन था, तो हममें से एक एक आदमी आपसे सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार था । इस गलतफ़हमी में न रहिये । सी पी एम का भी मुकाबला हमारे कांग्रेस (आई) के लोग वैस्ट बंगाल और दूसरी जगह कर लेंगे ? हम वी जे पी और लोक दल का मुकाबला भी

[श्री बालेश्वर राम]

ग्रासानी से कर सकते हैं । इतनी ताकत हमारी पार्टी के नौजवानों में है हम ग्रापका मुकाबला कर लेंगे । हम इन धमकियों से नहीं डरते हैं । ग्रापने गलत काम किये हैं ग्रौर गलत परम्परायें कायम की हैं, ग्रगर ग्राप ग्राज भी उन्हें जस्टिफ़ाई करते हैं, तो ग्रापको मुबारक है ।

डैमोक्रेटिक सिस्टम के जितने नार्म्ज़ हैं, जितनी जनतांत्रिक परम्परायें ग्रौर मान्यताग्रों हैं, वे सब ग्रापने नष्ट कर के रखे हुए हैं । इस तरह की जो घटनायें होती हैं, उन्हें रोकना चाहिए, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं । शिड्यूल्ड कास्ट्स पर एट्रासिटीज़ की चर्चा श्री धनिक लाल मंडल ने की । लेकिन मैं ग्रापके सामने इस विषय के ग्रधिकृत ग्रांकड़े रखना चाहता हूं । मर्डर, ग्रीवस हर्ट, रेप, ग्रार्सन ग्रौर ग्रदर ग्राफ़ेंसिज़ 1975 में 7760, 1976 में 5919, 1977 में 10,819, 1978 में 15,979, 1979 में 13,751 ग्रौर 1980 के तीन चार महीनों के जो ग्रांकड़ उपलब्ध हो चुके हैं, वे हैं 3776 । मैं इन घटनाग्रों को ग्रच्छी बात नहीं मानता हूं । लेकिन इन समाचारों को बहुत ग्रतिरंजित ढंग से प्रकाशित किया जाता है । यह साफ़ है कि क्राइम्ज़ के फ़िगर्ज़ डाउनवर्ड जा रहे हैं । रेप के जो केसिज़ रिपोर्टिड होते हैं, उनका कई बार खंडन किया गया है । इन बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहना ग्रौर लिखना दूसरी बात है । क्राइम्ज़ को रोकने की जो कोशिश हो रही है, उसमें सब को साथ देना चाहिए, न कि उनसे राजनैतिक लाभ उठाना चाहिए ।

जहां तक बागपत की घटना का सम्बन्ध है, मुझे जानकारी नही है कि वहां क्या कुछ हुग्रा है । मैं वहां नही गया हूं । मुझे दुख ग्रौर ग्रफ़सोस है । हमारे दल के ग्रौर लोग वहां गये हैं । उस घटना में सच्चाई हो सकती है । उसकी एनक्वायरी चल रही है । सरकार ने इस बारे में तत्परता दिखाई है । जिन पुलिस ग्राफ़िसर्ज़ के सम्बन्ध में संदेह है कि शायद उनका उस घटना में हाथ है, उनके ट्रांसफ़र्ज़ हुए हैं । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन इस घटना को ले कर एक ग्रान्दोलन खड़ा कर देना ठीक नहीं है ।

ग्राज नार्थ-ईस्टर्न रिजन में ग्रशांति का वातावरण है । डिसइनटेग्रेशन करने वाले एलिमेंट्स वहां काफ़ी सक्रिय हैं ग्रौर इस तरह की कोशिश की जा रही है कि उस ग्रांदोलन को गलत दिशा में मोड़ा जाये । सारे हिन्दुस्तान में यह कोशिश चल रही है कि इमर्जेंसी से पहले 1974 ग्रौर 1975 में जिस तरह की घटनायें होती थीं, जिस तरह के ग्रान्दोलन चलाये जाते थे—डमोक्रेटिक ढंग से चुनी गई एसेम्बलीज़ ग्रौर पार्लियामेंट को भंग करने की कोशिश की जाती थीं, जनतांत्रिक संस्थाग्रों, डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन्स, को खत्म करने की कोशिशें की गई थीं—उनकी पुनरावृत्ति हो । कुछ लोगों के हौसले इसलिये बढ़ गये हैं कि चूंकि पूर्वांचल में समस्या का समाधान करने में समय लग रहा है, इसलिये इसका फायदा उठाकर हम को यहां भी ग्रान्दोलन का दूसरा तरीका ग्रख्तियार करना चाहिए, मैं ग्रागाह करना चाहता हूं कि इस तरह के ग्रान्दोलन से ये हम को धमकियां नहीं दे सकते। यहां की जो राष्ट्रीय समस्या है उस में ग्रागे ग्राकर उसके निपटाने में सहयोग करें । प्रधान मंत्री ने जिस तरह से कहा है ग्रासाम में या पूर्वांचल में जो समस्या है उसमें बहुत लांग रोप दी गई । हरिजन एट्रासिटीज़ जहां जहां होती हैं, हम गृह मंत्री के बहुत शुक्रगुज़ार हैं ग्रौर उन को धन्यवाद देते है कि इस तरह की घटनाएं जहां कहीं भी हुई हैं वहां वह तुरन्त गए हैं । नारायणपुर भी गए थे तुरन्त रात को, हम लोग भी इनके साथ गए थे । या जैसे कफल्टा में या जहां भी इस तरह की घटना होती है वहां ये खुद जाते हैं ।...(व्यवधान)... वहां खुद जा कर जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है, उन को मदद पहुंचाने की कार्यवाही हो सकती है या दोषी को सजा देने की कार्यवाही हो सकती है, उस में बहुत जल्दी उन्होंने कार्यवाही की । नारायणपुर ग्रौर कफल्टा दोनों की तारीखें मेरे पास मौजूद हैं कि उनमें कितनी जल्दी वहां चार्जशीट दी गई ग्रौर मुकदमे शुरू किए गए । उस में पूरी मुस्तैदी बरती गई । जहां कहीं भी कम्यूनल राइट्स की ज़रा भी ब ग्राती है वहां उस को वह देखते हैं क्योंकि वह भी हमारे समाज के एक प्रमुख ग्रंग हैं, उन के ऊपर कोई ग्रापत्ति ग्राती है तो हमारी सरकार उस के लिए जागरूक है । हमारे यहां के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने, जो हमारे घोषणापत्र में था कि जहां मुसलमानों की ग्राबादी ज्यादा होगी वहां उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाएंगे, ग्राज ग्रगर इन्होंने वहां इस की घोषणा की है तो हम लोगों ने वहां तमाशा खड़ा कर रखा है, हंगामा करने की कोशिश चल रही है ।

उसी तरह से ग्रासाम की समस्या को ये सुलझने नहीं देना चाहते । ग्रासाम-वासियों की कुछ लेजिटिमेट डिमांडस हो सकती हैं, उन का निपटारा होना चाहिए । जो गरीब लोग हैं उन को नौकरी मिलनी चाहिए । जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं उन की ग्रार्थिक दशा सुधारनी चाहिए । यह बात मानते हैं कि हिन्दुस्तान में वह बहुत गरीब लोग हैं । लेकिन ग्रार्थिक समस्या, ग्रार्थिक मांग ग्रगर उन की प्रमुख हो तो उस में सब की हमदर्दी है, सारे हिन्दुस्तान की उस में हमदर्दी है । जहां ग्रासाम के या पूर्वांचल के जो बाशिन्दे हैं उन के साथ इंसाफ होना चाहिए, उन को नौकरी मिलनी चाहिये, रोजगार मिलना चाहिए । लेकिन जैसे तत्व जो वहां काम कर रहे हैं, मुझे कहते हुए

अफसोस हो रहा है कि ऐसे शख्स जो हैं तो इस सदन के सदस्य लेकिन जनता सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आदमी के ऊपर इतना बड़ा क्रिमिनल केस चल रहा था, डाइनामाइट केस, उस आदमी को मंत्री बना दिया । यह ठीक है कि वह चुनाव में जीत गए, आज तो रिगिंग की बात करते हैं और हमारे कम्यूनिस्ट भाई भी करते हैं, हमें अफसोस है इस बात का, लेकिन किस तरह की रिगिंग 1977 में हुई थी यह हम को भी याद है, उन्होंने कहा कि जनता ने जिता दिया, एक तरफ, इंदिरा गांधी को जनता ने वहां से लाखों के बहुमत से चुन कर भेजा तो उन को आप ने हाउस से निकाल दिया और उन को जो डाइनामाइट केस में प्रमुख एक्यूज्ड थे, उन को मंत्री बना दिया और किस तरह की बातें वह करते हैं ? जो शख्स आसाम राष्ट्र की बात करता हो किसी स्टेट की बात करता हो और देश की बात करता हो, वहां आसाम में जा कर आग में फ्यूल डालने की बात करता हो, ऐसे एलीमेंट को आप को मजबूती से रोकना चाहिए, मजबूत हाथों से रोकना चाहिए । जनता के सामने उन को लाना चाहिए और दिखलाना चाहिए कि इस तरह की हरकत वह करते हैं । मैं तो कहूंगा कि इस तरह के केस से बरी हो कर वह जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन की हरकतों को आप बन्द करिए और जो मुकदमा नाजायज तरीके से जनता पार्टी की सरकार ने जार्ज फर्नेन्डीस पर से उठाया था उस मुकदमे को फिर से चालू करिए । यह मेरी मांग है और कैटेगोरिकली मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप हम लोगों को दीजिये । इस तरह के लोग जो बातें करते हैं हमारे देश का खण्डन करने की, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म करने की इन के ऊपर एक चार्ज हो सकता है । **

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Has he given notice ?!

MR. CHAIRMAN : There is a procedure to be followed. If you want to level any allegation against any member, you shall have to give notice to him. You shall have to inform the Speaker that you are going to level an allegation against the member. After obtaining permission from the Speaker and having given a notice to the member, you can raise the allegation. This will not go on record.

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj) : He is simply submitting to the Home Minister. He is not charging any body.

MR. CHAIRMAN : This is not going to form part of the record. You must follow a particular procedure. This is in the interest of all members. You cannot just get up and level an allegation against anybody. If you want to do that, you do it by following a particular procedure.

SHRI JAMILUR RAHMAN : He is not making an allegation. He is only informing the Minister.

श्री बलिश्वर राम : मैंने केवल जानकारी चाही है, कोई चार्ज नहीं लगाया है । हमारी जानकारी है कि उस वक्त के एक मिनिस्टर, जोकि आज मिनिस्टर नहीं हैं, उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया जो दूसर देश का है, फारेन एक्सचेंज, उसे अपने नाम पर जमा कर रखा है । ऐसा कोई मिनिस्टर है या नही, हम चाहेंगे होम मिनिस्टर हमें जानकारी दें ।

इस प्रकार के कई लोग हैं जोकि देश को खण्डित करने की कोशिश कर रहे है, एसे तत्वों को दबाया जाना चाहिए ।

त्रिपुरा की समस्या के बारे, मैं पूर्वांचल की समस्या के बारे में प्रधान मंत्री ने इसके समाधान के लिए एक लम्बा रास्ता दिया है लेकिन उसकी भी कोई हद होती है। वहां की जो आर्थिक समस्या है उसके साथ सभी की सहानुभूति है लेकिन आर्थिक समस्या के अलावा जो विघटनकारी तत्व हैं, जो विदेशी शक्तियां हमारे देश को खण्डित करना चाहती हैं, हमारे नेशनल इन्टिग्रेशन को समाप्त करना चाहती हैं उनको मजबूत हाथो से दबाया जाना चाहिए । अगर कहीं पर दंगे होते हैं, कम्युनल राईट्स होते है, एक दूसरे को कत्ल किया जाता है तो वहां पर सख्ती से दबाने की जरूरत होती है और वहां पर सख्ती करनी भी चाहिए। हमारी सरकार भरसक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, वह कोई प्री-कंडीशन भी नही रखती है लेकिन फिर भी रोज बातें बदल दी जाती हैं। आज आसाम की समस्या बड़ी विस्फोटक हो गई है। हमारी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने सारी कोशिश की हैं। हमारे अपोजिशन के लोग कोई सल्यूशन नही देते है। अगर आज वे कोई सल्यूशन बताते हैं तो कल पीछे हट जाते हैं। इस समस्या का समाधान होशियारी से सेगासिटी से और बुद्धिमानी से किया जाए लेकिन जल्दी से जल्दी सख्ती के साथ इसका समाधान आपको करना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि हमारे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, हरिजन हैं जिन को नौकरियों में संरक्षण प्राप्त है, उनका आज आल इंडिया एवरेज 7 परसेंट है जबकि 14 परसेंट संरक्षण मिलना चाहिए, इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए । हम चाहते हैं आप उनको आगे बढ़ायें । जनता पार्टी सरकार ने, जितनी भी सरप्लास लैंड बीम सूबी कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों को दी गई थी वह उनसे छीन ली थी । म चाहूंगा कि उनकी जमीनों को रेस्टोर किया जाए, उन जमीनों पर उनको कब्जा दिलाया जाए। इसके साथ साथ उनके लिए नौकरियों के साधन तथा कॉटेज इण्डस्ट्रीज का प्रबन्ध किया जाय। छठी योजना में सरकार ने कुछ पैसे का प्रबन्ध किया है लेकिन मैं चाहूंगा उसको और बढ़ाकर इन लोगों को सेल्फ सफीशिएन्ट बनाने पर जोर दिया जाए । आज एग्रीकल्चरल लेबरर्स को

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री बालेश्वर राम]

मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है। इसके कारण भी फसाद पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि एग्री-कल्चरल लेबरर्स के लिए मिनिमम वेजेज को लागू किया जाए। उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही आज जो उनके घर की समस्या है, हाउसिंग की समस्या है वह बड़ी गम्भीर है। आज देहातों में वे बुरी हालत में रह रहे हैं। वहां जो बड़े फ्यूडल एलिमेन्ट्स हैं, कुलक्स है उनके आसरे उनको रहना पड़ता है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपने ऊपर जवाबदेह लेनी चाहिए उनके लिये नौकरी, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए तभी उन लोगों की हालत सुधर सकती है।

इसके अलावा पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करना चाहिए। शायद आप सौ करोड रुपया लगाने जा रहे हैं, ठीक ठीक इंफार्मेशन हम आपसे इस सम्बन्ध में चाहेंगे, लेकिन पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करके आज जो इस तरह की घटनायें महिलाओं, हरिजनों और माइनारिटी कम्युनिटीज पर हो रही हैं उनपर काग्निजेन्स लेकर और स्पेशल कोर्ट बनाकर मुकदमों को जल्दी निपटाया जाना चाहिए।

सी० आर० पी० सी० को अपनी जरूरत के मुताबिक अमेंड करना चाहिए और जो महिलाओं पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर, हरिजनों पर, माइनोरिटीज पर जुल्म करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस काम को करने में आपको कोई हिचक नहीं करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, जो कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे दल ने रखा है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो नेतत्व हमें प्राप्त है और जो शक्ति उन्होंने दिखलाई है, उससे विरोधी पक्ष के लोगों के सभी मनसूबे पस्त होंगे और श्रीमती गांधी के नेतत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): सभापति जी, आज जब हम गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर इस उम्मीद के साथ विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के लोग इस देश के अन्दर अमन और शान्ति कायम करेंगे और पिछले दिनों के कामों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम को यह भी देखना पड़ेगा, इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि किन हालात में वर्तमान गृह मंत्री जी को गृह मंत्रालय का दायित्व संभालना पड़ा है।

माननीय, 1977 के बाद इस देश के अन्दर एक ऐसी सरकार सत्ता में आई, जिनके शासन काल में यह प्रतीत होने लग गया था, यह लगने गया था कि देश के अन्दर कोई सरकार ही नहीं है। यदि 1979 तक के अखबारों को पढ़ें और रेडियों की खबरें सुनें तो उनमें आधी खबरें दुनिया भर के महत्वपूर्ण मसलों से संबंधित होती थी और आधी खबरें इस बात की होती थीं कि कहां हरिजनों के घर जला दिए गए, कहां हरिजन को मार दिया गया, कहां पर साम्प्रदायिक दंगे हुए, कहां जातीय दंगे हुए किस महिला के साथ बलात्कार हुआ, कहां किस की चेन खीच ली गई,—इस तरह से चारों तरफ अशान्ति का वातावरण फैला हुआ था।

माननीय, हम सामान्य कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का जहां मूल्याकन कर रहे हैं, वहां हमें और परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की आन्तरिक नीति, आन्तरिक सुव्यवस्था और शान्ति का और चीजों से भी अन्तर संबंध होता है। उसको भी हमें समग्र रूप से देखना पड़गा, हम उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। पिछली सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रहीं, जिनके कारण हमें हर मोर्चे पर विफलता ही देखने को मिली। हर वर्ग उनसे असंतुष्ट रहा, चाहे वह कृषक हो, चाहे वह फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे वह वकालत का पेशा करने वाला हो या कोई और दूसरा तीसरा पेशा करने वाला हो। माननीय जब तक इतना बड़ा असंतोष आपके गृह मंत्रालय का दायित्व सभालने से पहले देश में मौजूद हो, इतना आक्रोश और इतनी घृणा का वातावरण, इतनी अव्यवस्था देश में मौजूद हो, तो उसके प्रभाव को दूर करने में निश्चित तौर पर कुछ वक्त लगगा, कुछ समय लगेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि गृह मंत्री जी ने जिस शालीनता के साथ इस विभाग, इस मंत्रालय का दायित्व संभाला है, जिस मुस्तैदी के साथ उनके मंत्रालय ने कार्य प्रारम्भ किया है और पिछली गलतियों को दूर करने का और भविष्य में शान्ति और व्यवस्था को सुचारु रूप देने का प्रयत्न किया है, वह अपने आप में अनुकरणीय है। चाहे विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, सब लोगों को इस बात का समर्थन करना चाहिए। उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, उनको शक्ति देनी चाहिए, ताकि आगे भी वह इस काम को अच्छी तरह से कर सकें।

माननीय, मेरे विपक्ष के सम्मानित बुजुर्ग सदस्य श्री धनिक लाल मंडल जी ने एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि यह सरकार हरिजनों की रक्षा करने में विफल रही यह सरकार महिलाओं को संरक्षण देने में विफल रही है।

उन्होंने विशेष कर बागपत के केस का जिक्र किया। मैं मानता हूं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार भी इस बात को मानती है कि हमारी पुलिस के एक दो कर्मचारी वहां मौजूद थे, जब वह घटना घटित हुई—भाया देवी के साथ। वास्तव में वे अपना कर्तव्य पूरा

करने में विफल रहे । चाहे उन की जान चली जाती, लेकिन उस महिला की बेइज्जती नहीं होने देनी चाहिये थी । लेकिन जिस तरह से हमारा प्रतिपक्ष इस छोटी सी घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है, इस को कैपटिलाइज करके अशान्ति का वातावरण सारे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहता है, जिस तरह से इस संसद् में रोज इन घटनाओं को उठा कर संसद् का मूल्यवान समय बरबाद किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि यह इतनी महत्वपूर्ण या इतनी गम्भीर बात है ।

हमारे मंडल जी ने महाभारत का जिक्र किया—श्रीमन् एक महाभारत तो 3 जनवरी, 1980 को अकबरपुर पट्टी गांव में हुई थी । मैं उस का उदाहरण देना चाहता हूं ....

एक माननीय सदस्य : उस समय राष्ट्रपति का शासन था ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उस समय चरण सिंह जी की सरकार केन्द्र में एक काम चलाऊ सरकार के रूप में काम कर रही थी । उस समय लोक सभा के चुनाव हो रहे थे और अकबरपुर पट्टी गांव का एक हरिजन अपना वोट देने जा रहा था, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने जा रहा था । उस समय लोक दल के समर्थक 17—18 लोगों ने बन्दूक से लैस हो कर उस को मार डाला, गोलियों से भून डाला और वह सरजू नाम का हरिजन मारा गया । उस की उम्र 24 साल की थी और शायद वह पहली बार अपने प्रजातान्त्रिक अधिकार का उपयोग करने जा रहा था । उस की पत्नि मोहनिया विधवा हो गई । मैंने देखा है रामविलास पासवान जी जिन लोगों के साथ बागपत गये और उस महिला के लिये, जिस का चरित्र संदेहास्पद था, आंसू बहाये, लेकिन उस गरीब हरिजन महिला "मोहनिया" में उन को अपनी बहन का रूप दिखाई नहीं दिया, उस के लिये उन्होने आंसू नहीं बहाया, उस के लिये उन को कोई चिन्ता नहीं हुई जिस की मांग का सिंदूर पोछ दिया गया, आज वह किस तरह से अपनी आजीविका चलायेगी, किस तरह से अपना और अपने बच्चों का भरण—पोषण करेगी । यह चरित्र है - हमारे प्रतिपक्ष का ।

यही नहीं, मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं । बांदा जिले में एक बड़ा दुर्नामी डाकू हुआ है—काशी पासी जिसके सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि उसने एक नहीं सकड़ों महिलाओं के साथ, जो तथाकथित सवर्ण परिवारों की थीं, ब्राहमण, राजपूत, वैश्य या अन्य उच्च जातियों की थी, उन के घरों में डाका डाल कर उन के साथ बलात्कार किया, जबरन कुकृत्य किया । उन को संरक्षण देते थे इसी सदन के एक पिछले सदस्य—दुर्जन भाई—जो कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित थे और केवल इस आधार पर देते थे कि काशी पासी उन की जाति का था । वह कहते थे कि वह जो कुछ कर रहा है, वह वर्ग संघर्ष का प्रतीक है । क्या वे सवर्ण जाति की पत्नि, मां या बहन भारत माता का रुप नहीं थीं। उनमें इन लोगों को भारत माता का रूप दिखाई नहीं दिया, केवल बागपत की माया देवी में ही इन को भारत माता का रुप दिखाई दिया ।

यही नहीं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश मे एक ऐसी सरकार बनी, जो कई दलों को मिलाकर बनी थी, उस में एक मंत्री थे । जब वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये सिंगापुर गये, तो उन्होने वहां के होटल की एक वेट्रेस महिला के साथ जबरदस्ती करनी चाही । उन्होने विदेश में हिन्दुस्तान के सम्मान को गिराया, लेकिन उन की कुकृति के लिये जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई प्रतिक्रिया नही हुई, किसी ने उस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रया जाहिर नहीं की, क्योंकि उस समय वे जनता पार्टी के एक मूर्धन्य नेता थे । किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होने गलत काम किया, बल्कि उन को मंत्री मंडल में बने रहने दिया गया यह कितनी शर्मनाक बात थी कि जिस ने विदेश में हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा को गिराया, उस के बाद भी उस को मंत्री मडल में रहने दिया गया ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री मंडल में एक राज्य मंत्री थे । उस मंत्री मंडल को चाहे आप लोक दल का या जनता पार्टी का मंत्री मंडल कह लीजिए । उन पर एक हरिजन की हत्या करने का आरोप था । उन्होने हरिजन की हत्या इस बात के लिये की थी कि उस हरिजन को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने उस मंत्री की सीलिंग के अधीन आई हुई जमीन पर कब्जा करवा दिया था और उन्होने गुस्से में आकर उस हरिजन को मार डाला । उन पर हरिजन की हत्या का मुकदमा चल रहा था, लेकिन बाद में उस सरकार ने केवल उन पर से उस हत्या का मुकदमा हटा लिया, बल्कि उन को मंत्री परिषद् में भी स्थान दिया । उन को उत्तर प्रदेश में योजना मंत्री बनाया गया । उन पर जो अन्य मुकदमें थे, वे भी हटा लिये गये — यह है— लोकदल का चरित्र, श्रीमन् ।

बांदा में दो ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्होने हरिजन को मारा था । उन के खिलाफ हरिजन रिपोर्ट दर्ज कराई थी । कांग्रेस की सरकार ने उन को दंडित करने के लिए उन को निलंम्बित कर दिया था लेकिन लोकदल की सरकार जब आई श्री राम नरेश यादव की सरकार जब आई, तो सब से पहला काम उसने यह किया कि उन निलंम्बित अधिकारियों को, जिन्होंने हरिजनों के साथ ज्यादतियां की थीं, उन को री—ईस्टेट कर दिया गया उनके पदो पर और उन को प्रोमोशन भी दे दिया गया । जितने दिन वे बाहर रहे, उस के हिसाब से उन को प्रोमोशन दे दिया गया और महत्वपूर्ण थानों का इंचार्ज बनाया गया । मान्यवर, ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इन का बखान कर रहा हूं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

चाहता, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऐसे परिप्रेक्ष्य का, ऐसे वातावरण का जिक्र आप के सामने करना चाहता हूं जो पिछले दिनों प्रदेशों के अन्दर या केन्द्र के अन्दर जो सरकारें थीं, उन्होंने बनाया था।

जब राजनीतिक आधार पर, जातीयता के आधार पर पारस्परिक हितों के आधार पर मुकदमें वापस लिये जाएंगे और लोगों के साथ भेदभाव बरता जाएगा तो निश्चित तौर पर दिल पकेंगे और जब दिल पकेंगे, तो उन में मवाद भरगा, पीप भरगी। क्या एक दिन के अन्दर गृह मंत्री जी उस का इलाज कर सकते हैं? क्या उस का इलाज गृह मंत्री जी एक साल के अन्दर कर सकते हैं? गलत परम्पराएं आप ने छोड़ी हैं, गलत लीक आप डाली है, उस को मिटाने के लिए निश्चित तौर पर टाइम, लगेगा वक्त लगेगा और हम वायदा करते हैं कि हम इस को जरुर मिटाएंगे। मैं यह भी बताना चाहता हू कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अनगिनत मुकदमें वापस ले लिये गये समाज विरोधी तत्वो के और वे ऐसे तत्व थे जिन के ऊपर दसियों मुकदमें आगजनी के थे, डाका जनी के थे, महिलाओं के साथ बलात्कार के थे, ट्रेनों को लूटने और बसों को लूटने के थे और बिना किसी प्रकार की जांच के उन को वापस ले लिया गया और केवल इसलिए वे मुकदमें वापस ले लिऐ गऐ क्योंकि चुनावों के वक्त उन लोगों ने किसी न किसी रूप में जनता पार्टी को विजयी बनाने में मदद की थी। यही किस्सा पश्चिमी बंगल में हुआ और तब जब पहले वहां लेफ्ट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट क्या उसे कहते हैं मुझे ठीक से मालूम नही है की सरकार बनी, तो उस ने 22 हजार मुकदमें वापस ले लिये और जो इस समय सरकार बनी है, जिस के मुख्य मंत्री श्री ज्योतिबसु हैं, उन्होंने 44 हजार या कुछ इसके आसपास मुकदमें वापस ले लिये और उन में कुछ ऐसे मुकदमें थे, मैं चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी इस की जांच करवा लें और सदन के सामने एक श्वेत पत्र के रुप में उस को प्रस्तुत करे, जो हत्या के मुकदमें थे, डाकजनी के मुकदमें थे, महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमें भी उस में शामिल हैं और जबरया भूमि पर कब्जा करने के मुकदमें भी शामिल है। वे उन्होंने वापस ले लिये और इस आधार पर वापस ले लिये कि उन्होंने मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या जो उस की कम्पोनेन्ट पार्टीज हैं, उनके केडर में उन्होंने शामिल होना स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान) अब आप की जो त्रिपुरा की सरकार है, उस का भी एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। आप ने इस बात को छेड़ दिया है इसलिए उस को बताना चाहता हूं। एक बिक किलनमोनर था, जो उड़ीसा से लड़कियां ला कर वहां बेचता था। उस विषय में वहां के स्थानीय लोगों ने यह मांग उठाई कि इस के ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उस को बन्द किया जाए मगर क्योंकि पहले उस ने मार्कसिस्ट पार्टी के एक एम० एल० ए० को चुनाव में पैसा दिया था, फन्ड दिया था, इसलिए उस को बन्द नहीं किया गया। जब आई जी ने रिपोर्ट की और जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा काम करने वाला आदमी वहां मौजूद है, उस को क्यों नहीं पकड़ते तब उस को एरेस्ट किया गया, लेकिन 24 घंटे के अन्दर ही उस को रिहा कर दिया गया। यह महिलाओं के प्रति आप के प्रेम की बात है। यह मैंने एक उदाहरण आप को दिया है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Young boy, talk something relevant.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : अब ये सारी चीजें देख कर या अनदेखे में कर दी गई जानबूझ कर की गई, इस का उत्तर तो आप की अन्तरात्मा देगी लेकिन वहां पर एक खतरनाक प्रवृति पुलिस की भर्ती के संदर्भ में की गई है और मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां जहां आज महिलाओं के बारे में अखबारों में खबरें आ रही हैं, अगर आप विशेषत जांच करवाएं तो जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं इस बात को कह सकता हूं कि वे उस समय भर्ती हुए जब माननीय चौधरी साहब वहां के मुख्य मंत्री थे या उन के और साथी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उन में से एक व्यक्ति श्री वीरेन्द्र वर्मा जी थे, जो आप के साथ थे। हमारी पार्टी में भी वह रह चुके थे लेकिन हमारी पार्टी को छोड़ कर चले गये। उन के समय में ये लोग भर्ती हुए थे। अब आप उस वर्ग के लोगों के चरित्र को देख लीजिए कि वे कौन से लोग हैं और किस प्रकार के लोग हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग पुलिस में राजनैतिक कारणों से आएंगे, तो निश्चत तौर पर जब उन के मन के मुताबिक सरकार नहीं बनेगी, जब उन की इच्छा के अनुसार सरकार नही बनेगी, तो ऐसी सरकार को गिराने के लिए वे कुछ षड़यंत्र रचेंगे। और उनके जो भाई हैं वे इस संसद में मौजूद हैं, वे अपनी प्रकृतियों को सरकार का गलत कारनामा बता कर यहां हंगामा करते हैं, यहां का समय बर्बाद करते हैं।

मान्यवर, इन लोगों ने जो उस समय इस देश में जातिवाद और साम्प्रदायिकता का विष बोया था, उसका ही यह फल है कि आज सारा वातावरण दूषित हो रहा है। मान्यवर जनता पार्टी के शासन काल में, हर वर्ग जो कि जनता पार्टी में शामिल था, वह किसी न किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। आज हिन्दुस्तान में एसी सरकार बन गयी है जो सारे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए वह हर वर्ग किसी न किसी जाति में यह फैला रहा है कि यह सरकार हमारे वर्ग के हित के खिलाफ काम कर रही है। मैं पश्चिमी उत्तरप्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में हरिजनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूं। आज एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष यह सोच रही

है कि हिन्दुस्तान में जो सरकार है वह उस वर्ग का संरक्षण नहीं देगी, इसीलिए वह जाति हरिजनों पर अत्याचार कर रही है । अभी मेरे भाई ने कफल्टा कांड की बात कही । वह घटना मेरे क्षेत्र में घटी है। कफल्टा कांड के सिलसिले में यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया । भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कांड पर यहां बड़ों आंसू बहाये और व्यथा व्यक्त की । बहुगुणा जी के मानसपुत्र भाई हरिकेश जी को भी उस पर बहुत दुःख व्यक्त करते हुए मैंने देखा । अब तक मैं यह समझता था कि शैतान ही क्षण प्रति क्षण रंग बदलता है, लेकिन जब मैंने और लोगों को भी ऐसा करते देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां किसने यह सब कराया । अगर मेरी बात सही नहीं सिद्ध हुई तो मैं अपनी संसद् की सदस्यता को भी छोड़ने को तैयार हूं ।

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर हरिजनों पर अत्याचार का आरोप लगाया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के एक महामंत्री जो इसी संसद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, वे कफल्टा गये और उन्होंने वहां के स्वर्णों से कहा कि कांग्रेस वाले हरिजनों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग संगठित हो, आप लोग मेजोरिटी में हो, आप उन्हें आतंकित करो । यदि आप लोग इनको आतंकित करोगे तो सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है उनको छोड़ने को बाध्य हो जाएगी । चुनाव का मौका था और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने यह सब किया । यह बात इस से भी सिद्ध होती है कि विधान सभा चुनाव में कफल्टा और उसके चारों तरफ के एरिये में शत प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और कांग्रेस पार्टी को जिसकी वहां पर बहुत गहरी जड़ें थी और जिसे लोक सभा के चुनाव में 80 प्रतिशत मत मिले थे, कहीं एक या कहीं दो वोट मिले और कहीं नाममात्र को ही वोट मिल पाये । यह है उनका चेहरा । बहुगुणा जी के मानसपुत्र ने जो यहां पर आरोप लगाये, उसके बारे में भी मैं सफाई देना चाहूंगा । उन्होंने जिनको वहां से चुनाव लड़ने के लिए बीस हजार रुपया दिया और जो विजयी हुए, उन्होंने वहां जनता से वायदा किया था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं उनको छुड़वा कर लाऊंगा । यहां पर वे कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । यहां पर हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला नहीं कर पा रही है । हमारी सरकार से कहते हैं कि आप हरिजनों पर अत्याचार रोकने में असम रहे हैं, असमर्थ रहे हैं । इस तरह के दो मुंहे चेहरे वाले लोगों को जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए और जनता के सामने लाने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाने चाहिए ।

माननवर, हमारे देश के पूर्वांचल क्षेत्र के, पूर्वी भाग के क्षेत्र के संदर्भ में इस संसद में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ संसद के बाहर भी कहा गया । यह हम सब के सरोकार का विषय है, हम सभी से सम्बन्धित विषय है । यह रोग जो हमारे पूर्वांचल का है यह भी हमारी जनता पार्टी की देन है । मैं निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूं कि इस रोग को हवा देने में, जो असम के लोगों की एक सामान्य मांग थी उसको भयंकर आंधी बनाने में आर० एस० एस० का हाथ है । जिस आर० एस० एस० के लोग, सरसंघचालक, कार्यवाहक या साधारण कार्यकर्ता, असम से अलग रहे उस आर० एस० एस० के संरसंघचालक बाला जी देवरस 1978 के बाद और 1979 तक तीन बार असम गए । उनके बाद जिन का नम्बर आता है राजेन्द्र सिंह जी वह भी दो दो बार और लम्बे लम्बे समय के लिए असम गए । जिस असम में स्वतंत्रता के बाद आर०एस०एस० के एक या दो कैम्प लगे थे, उस आर० एस० एस० के 1978 से 1979 तक नौ नौ और दस दस कैम्प लगे । नलबारी के कैम्प के बाद तो वहां पर सैकड़ों की हत्या हुई और तब से इस समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया, एक नई दिशा असम के आन्दोलन को मिल गई । जो आन्दोलन आर्थिक समस्या को ले कर चला था उसको उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोड़ दिया । आप जांच करवाएं इस सब की । इसी तरह से त्रिपुरा में भी हुआ है । उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं । उसकी समस्या को सुलझाते समय आपको जो बुनियादी चीज है उसको मद्देनजर रखना होगा । त्रिपुरा में ट्राइबल्ज की जो जमीन थी, जो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको दी गई थी, उसको मार्क्सिस्ट—कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने अपने केडर के लोगों में बांट दिया । इसी कारण ट्राइबलज में असन्तोष भड़का और ट्राइबल्ज और नान-ट्राइबल्ज का झगड़ा हुआ । वहां से इसकी शुरुआत हुई । इस वास्ते मूल समस्या को आपको समझना होगा । उसको समझे बगैर त्रिपुरा की समस्या का हल नहीं होगा ।

असम में आर० एस० एस० के रोल को नहीं समझेंगे, उसके कार्यों के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाएं, और त्रिपुरा की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को इस तरह के गलत कामों को करने से नहीं रोकेंगे तो पूर्वांचल की जो समस्यायें उठ कर खड़ी हो गई हैं व हल नहीं होंगी ।

आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं । आलोचनात्मक तरीके से जहां पर मैंने प्रतिपक्ष के गलत कार्यों में से कुछ को सदन के सामने रखा है वहां पर मैं अपनी सरकार से भी बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनावों में लोगों ने आपको मत इसलिए दिया है कि आप एक अच्छी और रचनात्मक सरकार, एक सुव्यवस्था

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

देने वाली सरकार, एक हिफाजत देने वाली सरकार लोगों को देंगे । लोग समझते हैं कि आप शासन चला सकते हैं, आप में शासन चलाने की क्षमता है, श्रीमती इंदिरा गांधी में क्षमता है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में वह सक्षम हैं । हम प्रतिपक्ष पर दस आरोप लगाएं लेकिन क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि यदि हमारा प्रतिपक्ष रचनात्मक नहीं है, यदि वह विध्वंसात्मक नीति में विश्वास करता है और चलता है तो उसके कार्यों पर भी हम प्रतिबन्ध लगाएं, कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाएं हर मोर्चे पर और हर तरीके से ताकि देश में अमन चैन कायम हो सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके ? ऐसा हमने किया तभी जो आशायें हमारे देश की जनता को हम से हैं, गरीबों को हैं, मजदूरों को हैं, किसानों को हैं, हरिजनों को हैं, वे पूरी हो सकती हैं । मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय हिन्दुस्तान में अमन और शान्ति का समय होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का हार्दिक और पुरजोर समर्थन करता हूं ।

15 hrs.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum) : Mr. Chairman, Sir, I will try to pick up certain major items under this Ministry one by one.

Firstly, I turn to the sensitive north-eastern region. I do assert that a proper approach towards arriving at a solution of this problem —not Assam only, but the entire north-eastern region—has not been made; things were allowed to drift for a pretty long time indeed. And in Nagaland, an insurgency movement was going on for the last more than 20 years. Likewise in Mizoram also an insurgency movement was going on.

What has been the approach? The approach has been taking recourse to utilising the army, deploying the army against the people. A solution within the framework of the Indian Constitution has to be found. To that we do not disagree. But the question is: by that it is implicitly hinted that Nagaland or Mizoram can only be just like any other States of India, nothing more and nothing less. That does not meet the rational democratic kernel of their demand, that is, basically more powers. It does not sound so.] One after another, the entire States of the North-Eastern region have been drawn into the vortex and now we find in Assam a scessionist movement anti-Indian movement, a plaything in the hands of the reactionary vested interests and imperialists. Between them and us there seems to be no common ground. While some solution has got to be found on the basis of consensus at the Central level, recourse to army would not solve the issue. It has never entered into the head of the Government. This kind of approach can or will never solve the problem in that region; particularly I do not refer to Assam, that falls into a separate category. And blind eye has been turned to those things.

Now, we are faced with a very dangerous, difficult and complicated problem. Yes, neglect there has been, economic and other. There are genuine grievances, economic backwardness is also there. But that is not enough. So, I do not agree to the demand for secession by Nagas or the Mizos or anybody else. But I do say that a broad approach has got to be there. I do say that the ultimate solution lies in radical agrarian reforms, in giving wider powers to those States of this region, industrialisation on a wider scale. That is the ultimate solution. Otherwise, you will never be able to solve this problem and precisely on such soil imperialists are trying to fish in troubled waters. That is what is happening. That is why I utter a note of warning about the approach that you have taken all through.

Now, coming to the Assam problem, I do not want to go into detail because that has been discussed many a time. But it seems that this movement has been directed against all the linguistic and religious minorities, like Nepalis, Biharis, Oriyas, Bengalis, Muslims, tribal people against all. To them all are "Foreigners". There are 35 lakhs of people to whom no citizenship certificate has been given between 1951 and up till now and perhaps no Assam Government will ever give them. That is the position and it is a known fact now that tacitly the Government has been forced to admit that the imperialists are now behind this movement.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: They have admitted explicitly.

SHRI NIREN GHOSH : Who are they? They do not know.....? They don't want to pin-point. Let them pin-point them. It is the U.S. imperialists who are behind this movement. It is they who are behind this movement and indeed almost the Intire upper echelons, upper strata of the administration, have become an arm of this anti-national movement.

All through it is known to them.**

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN : You cannot criticise the Governor of any State or the President of India in this House...

SHRI NIREN GHOSH : I have not given any name. There is no such rule. I have spoken many a time in the Parliament and no Presiding Officer has ever said that.

MR. CHAIRMAN : I rule that there will not be any criticism against the President of India or any Governor in this House.

SHRI NIREN GHOSH : There is no such rule, and there cannot be. I have not taken any name, but I do say that he is the **(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please take your seats. I would like to bring to the notice of the members in this House that there are certain posts our country under our Constitution and the persons holding those posts cannot be criticised in this House unless there is a substantive motion against them. That is the rule, and I am reading the relevant rule :

> "A Member while speaking shall not.....reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

You cannot criticise the President of India, you cannot criticise the Govenor, but you can criticise a Government. Please go ahead now.

SHRI NIREN GHOSH : I said the Head of the administration. There are reports and wide sections of public have also told us-its is for the Government to own it or to clear it, it is for them. I put this question to them—that the upper echelons of the administration, those who belong to the Assamese people, are also supposed to be in complete league with these people. In order to suppress this movement you should weed them out thoroughly, otherwise you would not be able to deal with this movement. What have you to do ? In my opinion, the administration should be thoro ghly cleaned up, the head of the administration should go from all the five States, whoever is there. These elements should be cleaned up at one go and in one cleaning sweep : you would win the lower strata, you should defend and protect the minorities, and there should be a central national level political consensus.

The question should be settled politically, and not through mere violence, though protection should be given to all those who need protection. And you should isolate the agitators if they don't listen to reason, and they do not call off the agitation and come to the negotiating table. You should isolate those handful of persons and find a solution. You will get the support of the entire country then. Only by proceeding in this manner can you come to grips with the situation.

I had said that ultimately the solution lies in giving greater powers to the States. A mass movement should be launched on those fronts. This mass movement should be spear-headed by democratic parties, forces, groups and individuals. Only then will you be able to get the backing of the masses. But you will never go in for such radical movements. Never, never. You have allowed things to get aggravated and the local, national and chauvinistic forces have become powerful. Those local national chauvinism are a potent weapon. You have allowed them an almost completely free hand. That is what my charge against the Government is.

Now I come to the next question about the consideration of the demand for more powers for the States of India, in a proper perspective. I know that no bourgeois Government will concede this demand, unless forced to. Not even a national dialogue is there on this. They are divesting the States of the powers and concentrating all the powers in their own hands.

There are two concepts about the unity of India. According to the first concept, unity of India has got to be upheld by the baton, bayonet and by Army. It is unity imposed from above. That is the concept of the ruling classes and of all the bourgeois-landlord Governments including, I do say, the Government of the Janata Party. That was also in the same class.

Our mass-based approach is completely and diametrically opposed to it. This second concept says: give more powers to the States, get the willing cooperation of the people of India; and on the basis of of that, cement the unity of India and make it iron-like strong. That is the only basis on which the unity and integrity of the country can be built—and by no other. If you go on imposing Yourself and toppling Governments and playing the game of nine-pins, what will happen to this country? More and more anger, discontent, frustration and fury that are gathering below, will one day burst. There will be a raging and tearing fire throughout India, and that is the situation you want India to be in. That is another of my charges. God forbid, you succeed in imposing such a situation

**Expunged as ordered by the chair.

[Shri Niren Ghosh]

on India. This question should be discussed in the National Development Council itself.

In this connection, I would also like to talk about the question of Presidential form of Government. It is in the air that the idea was mooted in 1977. It was not put into practice. But it seems that the present Government is steadily and slowly trying to make a drive towards a Presidential form of Government. And that means dictatorship; and in a multinational country like India, if dictatorship goes on for 3 or 4 years, ultimately there will be an explosion; and India will not be there.

I suppose you do no want it. But you are behaving in a way, you are pursuing a policy which leads India precisely to such a position. That is why I do say, the recent Supreme Court Judgment, you are trying to bypass or get revised. I do stand for the recent Supreme Court Judgment in the sense that the Directive Principles should not get precedence over Fundamental Rights. Why ? Either make the Directive Principles obligatory by law and enforce them justiciable by court or we do not trust any ruling party; people do not trust the bourgeois land lord classes and their governments; and nobody would give you such wide powers in the name of implementing the Directive Principles which you do not impleme t. In their name, you try to crush the Opposition, Crush the people, you employ brutal repressive forces.

Then coming to the State-Centre relation, times without number, nobody knows how many times, 60 times or 75 times or 80 times, the State Governments have been toppled..... (*Interruptions*) The worst experience we have passed through in our State in this respect. Even now in pursuance of your policies marcl. towards worst dictatorship, much worse tyranny, enacting such legislations, preventive detention and all that you are concentrating all the powers of the States in your hands, in order to pin point all these things, I will give you one example. Since the installation of this Government at the Centre, you are adopting all possible means so that the left-front government cannot work in West Bengal. How many times the Prime Minister has written letters to the Chief Minister ? How many times the other Ministers have written letters to the Chief Minister demandi g explanation ? Is it not more than 7 or 8 times or 10 times ?. I do say there are many Congress (I) governments in the States. Has any expla ation been called for once even from the Chief Ministers of those States ? No, no; never. Has any representation been made by any damn fellow in the name of Congress (I). It is shree interference in the day-to-day working of the government. And than our good friend— I do not know whether you will keep him as Minister-Shri A.B A Ghani Khan Chaudhuri wanted to throw the government over there into the Bay of Bengal. Others are also saying, put it under the President's rule. You are driving towards a Presidential form of government. They say, there is no law and order question. How many of our cadres have been killed when our government is saddled there ? It is not less than 70-80. How many of the Congress (I) persons have been killed and how many of them have been killed due to inner party clashes ? Ten to eleven Congress (I) elements have been killed or murdered by Cong. (I) elements-inter-party clashes. They are creating problems there. (*Interruptions*) These are admitted things. (*Interruptions*) Now the stage of poll violence is engulfing this country. Nine State Governments had been dissolved. This is the violent atmosphere that has been created. I do not know where you will lead this country to. You are making a mockery of the very concept of parliamentary democracy. That is what you are doing. There was the worst type of experience in 1972 when in 50 constituencies there was no voting; in 100 constituencies there was a mass vegigging. That is what you did in order to oust us. There was no democracy; nothing of the sort. You have built up some apparatus, standing above the common people, in the hands of the Centre. I do not speak about the Army, but the BSF, CRP, CISF, etc. Let me give you certain figures. Maintenance of law and order is in the state list of the Constitution. Even then, expenditure on account of central police has been growing by leaps and bounds; from Rs. 3 crores only in 1951 it has gone to Rs. 275 crores in 1980-81. The expenditure has increased from Rs. 4·53 crores in 1960-61 to Rs. 91 crores in 1978-79, as regards the ordinary police. As for CRP from Rs. 6·95 crores in 1966-67 it has risen to Rs. 55·88 crores in 1978-79. So these are the increases. I will say something about RAW also. Research and Analysis Wing. Budgeted expenditure is an expenditure of Rs. 8 crores. From secret source further expenditure is many times over 8 crores. Their expenditure is very tangible. They rented out some building at exorbitant rent from F.I.C.C.I. building. The market rent was Rs. 40,000 but they gave Rs. 80,000. You do not need a secret police; apparatus for ordinary law and order. Time and again they are used to crush popular movements, opposition parties, democratic movements; you have utilised them for that That expenditure is growing Research and analysis wing fellows in the garb of young Congress (I) elements, murdered 500 of our cadres in 1971-72. They are supposed to collect external intellingence when they go on foreign trip. Sombody went on a foreign trip to see a movie in Trafalgar

Theatre in London. That is how research and analysis wing does work.

MR. CHAIRMAN : Your time is up; you have taken 25 minutes. Please try to conclude.

SHRI NIREN GHOSH : Their shouts and your observations should be counted separately .... (*Interruptions*) Anyway, I am concluding. Shri Dhanik Lal Mandal spoke about social tensions. I support him on this. There is no need to say; you have to deal firmly with those elements. Class war is going on in the form of caste war. We see that when the downtrodden, agricultural labourer, poor peasant, they try to raise their heads, all the landed gentry bands together. There are so many of them in the Assembly benches; perhaps here also. Remember the applause given to Mr. R. Venkataraman when the wealth tax on land was abolished by the landed gentry. The police is at their back and call. Military is at their back and call. Centre is in their grip. Nothing can be done. That is what is happening in this country. The poor are trying to assert themselves. That is why all sorts of atrocities are going on. I do not want to go into all these details. That has been done by Shri Mandal. After thirty-three years of Congress rule, the common people, 50 crores out of 65 crores, have lost hope. Synicism stalks the land. They are frustrated. They see no hope for life. But for how long will all this linger on go on ? There will be a radical departure. India is ripe for social revolution. Only the subjective factor is lacking. You are upholding the landed gentry and big business interests. You come down heavily on the poor. That is why discontent is bursting forth here and there. Will it remain at that stage ? No. It may not happen in our life time, but the entire people in all the States banded together and breaking their barriers of caste, region, e c. will bring revolution. Bengalies, Biharies, Gujaratis, Assamese, and people from all other States will come together and with one clean sweep, sweep you out and clear you all. That will usher in a new era. With that I conclude.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi) : The debate on the grants of the Home Ministry provides us with an opportunity to survey the home scene. I propose with your permission to place before this august House some of my observations for their kind consideration.

As I see the situation, when the Lok Sabha elections took place, I would not dilate much on this, in the totality of the circumstances, from social, economic and political considerations, the country stood on the precipice of a chaos. With the new Government having been elected, I know that the people in this country expect miracle from Shrimati Indira Gandhi. It is because of the faith and confidence that they have in her. So, they expect the situation to change quickly because of their faith in her, their thinking about her capacity and her capacity to take action. I would very respectfully submit that from the dangerous situation of a precipice of chaos, they want to climb down to normalcy, particularly when there are too many pit falls and road blocks created. It has to be, I believe, step by step. Sometimes, it may have to be inch and milimetre by milimetre. I find from a situation of chaos, we have come to a situation which is yet difficult. Quite a lot has to be done to bring the situation to complete normalcy. But we are on the road to it. I would specifically mention a few points in that context.

Shri Niren Ghosh was speaking, as usual, with his revolutionary fervour and told us that we all will be washed of. He has himself evaporated from the House. This situation of complete chaos—he may or may not accept it—was partly to some extent created by the late Janata and Lok Dal Governements and partly abetted by the CPM also.

Leaving that apart, I heard thr former Minister of State for Home Affairs, Shri Dhanik Lal Mandal with a lot of amusement. I do not mean any disrespect to him, because after all, he is an old Congressman, who has of course taken so many extra dances. I have respect for him but it was really surprising. People who cease to be Ministers—I am also an ex-Minister—keep some modesty for some time. I call them bereaved politicians. They take some time at least to take an about-turn. But Mr. Mandal took an absolute about turn today and he said very very interesting things. I propose to refer to some of them.

Mr. Mandal talked of Kafalta, atrocities on Harijans, etc. and said that Mrs. Gandhi only talks, Giani Zail Singh only talks, but they do not act. Does it lie in the mouth of Mr. Mandel to say this? When the Belchi outrage took place, he was the Minister of State for Home Affairs of this country. It took place on 27th May, '77. Shri Karpoori Thakur waa ruling there. The sessions hearing in this case started on 5th February 80, virtually three years after it took place. Mr. Mandal is not here, but he would not be able to deny it. Now he says, we talk and don't act. Let me take another example to show whether our Government acts or not and

[Shri H. K. L. Bhagat]

to show the differece. The Dipra incident took place on 25 th February,'80. The charge-sheet was filed on 8th March,'80 i the court and the sessions hearing started on 8th April, '80 and it was on day to day basis. In the Belchi case also, the previous Government did not take any interest. When the new Government came, it took interest and the final hearing took palce on 19th May, '80 and the persons found guilty were convicted.

Thirdly, take the Kalfalta case. The incident took place on 9th May, '80. The charge-sheet was filed on 26th May, '80. I think nowhere in India has it happened before. The High Court appointed a Special Judge to deal with the case. I have given you one case where Mr. Charan Singh talked, Mr. Mandal talked then and he is talking now ! A very clear comparison is there.

We said, Rs. 100 corres have been kept for Harijans by the Government. Mr. Mandal complimented the Home Minister, Giani Zail Singh, but said, it is just a drop in the ocean ! My dear friend, you did not put even a drop in the ocean. When you were Minister of State for Home Affairs, it was your responsibility to do it and you did not do it. It was under Mr. Mandal stewardship that we had what is known as the Khanjawala episode. He is a follower of Mr. Charan Singh, the Lok Dal leader. His followers were doing all that when he was Home Minister. What happened then? Recently I read in the papers that our Madhya Pradesh Government, after Sanjay Gandhi's death, promulgated an ordinance giving ownership rights to lakhs of people who were occupants of Government and Private lands. For years, they were there. But I found the 'Organiser' the mouthpieced of the Bhartiya Janata Party criticising it saying that this is absolutely wrong. Lakhs of people were given a right in land under the 20-Point Programme but these lands were snatched away from them when Mr. Mandal's Party was in power. Where was he at that time? He was sleeping in the cosy cushions in the Home Ministry.

The incidents had taken place then and incidents have taken place now. All these incidents are shameful. It was a shame then and it is a shame now also. But the only difference is that you talk and this Government acts. He said : Prime Minister went to Narayanpur ; I do not object. But your Chief Minister, Shri Banarsi Das, objected to it. If he had his say, he would not have allowed the Prime Minister to land there. That was your approach.

Mr. Mandal said that there is lot of excessive power with the police And the said that large numbers of people have been rotting in jails for the last 10, 11 years. He particularly mentioned Delhi. I want to tell him that in Delhi, the Police Commissioner's institution was brought about not by us but by you. Under your stewardship, more powers were given to the police depriving the Magistracy of its power and giving it to the police. Today, you are criticising a system which you yourself have created.

Since he has mentioned the name of Mr. Bhinder, I am answering it ; otherwise, I would not have said anything about it. And it was not proper to mention the name of Mr. Bhinder when he is not a menber of this House. We know your love for Mr. Bhinder. You had involved him in false criminal cases and he would have been hanged by now. Now, he has been acquitted by the court. He is a conscientions and hard-working officer. All criticism against him is politically motivated. I am expressing great anxiety over the incidents of dacoities and robberies. All our MPs. are concerned about it. The Home Minister himself has expresed his anxiety. We want these incidents to be stopped. We want firmer action to be taken against the anti social elements so that these incidents are stopped. But are the Bhartiya Janta Party and the Lok Dal really interested in improving the law and order situation ? They are not. It has become a vested interest for them. The more it deteriorates, the more it is in their interest. That is why, their criticism has nothing to do with the improvement of the law and order situation. But their criticism is to make the things more complicated particularly when the local elections are yet to take place in Delhi.

The Delhi Congress (I) stands for an Assembly with adequate powers. I would urge upon the Home Minister to kindly consider this and take an early decision. Early election should be held in Delhi.

Quite a lot has been said abou Baghpat. I would not say much on this particularly because Judicial inquiry has been ordered. And I have no personal knowledge about it. Whatever knowledge I had about it, I got it from the newspaper reports. But I say that the judicial inquiry should be held quickly. It should not take too long and whoever is found guilty, should be proceeded against in accordance with the law and ultimately he should be given deterrent punishment. But what are you doing ? I consider it as a shameful incident. I consider it to be a thoroughly bad incident, but taking this incident as a pin point for springing on an all-India agitation particularly when you have run this Government and so many things have happened, is it fair and proper ? Are you not trying to take undue advantage of the miseries of the peolpe? Where were you when that woman was disgraced ?Where were those people What happened ? Why did you not do something to save her ? You have come only after the incident had taken place.

The worst disservice, I think done to this country by these governments, the Lok Dal and Janata Governments, was that the process of disintegration was started by them.

Since times immemorial these narrow tendencies have been there, these caste and communal considerations have been there and people have tried to take advantage of it. There have been forces of integration and there have been forces of disintergration. Now the forces of disintegration started working and they created a situation in which the country was brought to its present pass. About Assam I won't comment much, and I won't take much time, but, I hope you will kindly bear with me, I am yet to make a few more points and I will be very brief.

With regard to Assam, my friend, Mr. Niren Ghosh, was just now saying : 'Well, your approach in Nagaland has been that of military, your approach there has been that of guns, and this and that, and that is how it happened'. What about Tripura? This has been under your charge for a long time. What is your Chief Minister complaining about ? He says 'Oh, there was not enough military'. You are asking for military. When things are in your hands, you mismanage it or you fail to manage it and today you say this. The fact of the matter is that on this Assam and North-East frontier, there have been diversities there. Tribes and other people have a natural desire to maintain their identity, but the fact of history is this that if this part of the country became emotionally integrated and came emotionally into the mainstream of India, it was under the leadership of Shrimati Indira Gandhi and you have destroyed that. You and your friends have destroyed, That situation has to be tackled with a judicious combination of tact and firmness which this Government has been very ably doing—the Prime Minister, the Home Minister and the entire Government has been doing. They have powers also which they have not yet exercised and they have tried to solve it and I am sure they will continue to solve it with the best possible spirit, but it has to be solved. It is today not just a movement only against foreigners, it has become anti-Bengali—you yourself say this—it has become anti-Bihari, it has become so many 'antis' and a lot of money is flowing in, a lot of things have been flowing in and so on and so forth. The whole of the country feels very much concerned about it and I am sure that this will be done.

One thing more I wish to say and that is this. What are we going to do about this ? I do not think that the situation is desparate in the country, though the situation is diffiicult indeed. That is how I feel about it. But, Sir, what do you do about the habitual knifers, habitual robbers, habitual dacoits, habitual chain-snatchers habitual train looters, habitual smugglers, habitual tax-evaders and caste and communal riotors.

AN HON. MEMBER : Blackmarketeers.

SHRI H. K. L. BHAGAT : I think you have some law for blackmarketeers etc.

Now, what do we do? Shall we continue taking action against them under the preventive detention provisions of the Criminal Procedure Code, harass them in the morning and get them released in the evening by the courts on bail ? Shall we allow this situation? That is the question which we have to think seriously. We have to think seriously on what is to be done about it. Can we allow them to play with the normal life of the people? I am going to say something which might shock some of my friends, and I would tell the honourable Home Minister: Please do not arrest them, and certainly not under MISA. But I am making this suggestion and you consider this suggestion. Bring the MISA to put these categories of people, which I have mentioned, in jail. I say very specifically, clearly and firmly—this is my honest conviction—that you should put these people benind bars. People expect it from a man like you, from the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi. Even at dead of night no woman should be molested by anyone. Women should be able to walk on the streets peacefully. Your vote is for this. If you do not do this, you will be failing in your duty, we will be failing in our duty. Bring a MISA and put all such gangsters in. Some people asked me not to suggest this as it will be counter-productive and we may lose the next elections. I am sure if you do this, we will not lose the next elections. After all, elections are not for the sake of elections. Winning or losing an election is not material. We have to stand by what we told the people and get it done. That is our mandate.

With regard to Delhi, I would request the Home Minister to reduce the size of the police districts as they are too big, and to increase the number of police stations. Give them more strength, make them more mobile, more model. The Delhi Congress said in its election manifesto that in law and order matters we would bring the involvement of the people through some kind of an institutional arrangement. That was the language we used. I request you to consider this. I can tell you that the people all over India and the people of Delhi are law abiding citizens. They are willing to co-operate with you, they are willing to help you, so that you can control the undesirable elements. And the police has also been working hard, I honestly feel so. The people are ready to help and assist you. You have to bring the involvement of the people. In Ashok Vihar, for instance, some incidents took place. The people came forward and helped the authorities and brought about normalcy, putting an end to a difficult situation. So, I hope you will kindly do this quickly.

There are a number of problems of the Delhi cadre of the IAS officers. Without going into details, I would request the Home

[Shri H.K.L. Bhagat]

Minister to go into them with sympathy and solve them.

The Home Minister told us in the Consultative Committee that the National Integration Council was going to be revived soon. I do not know how soon. I request him to do it soon so that there is a forum where discussions can take place and probelms can be solved.

There appears to be a clear design to create establishing conditions in the country. My friends will ask me to prove it. How can I prove it ? It is like telling a friend that two and two make four, and his going on saying no, it is not so. The point is this. The Report says that the number of communal incidents has increased. I would appeal in all earnestness to the opposition parties and to my party also that the country is bigger, greater than all of us. Once elections have taken place, let us co-operate in all earnestness and sincerity. These caste and communal cobras, narrow things, lawlessness, goondas etc., will eat the country. There are various assets in a country like India. We want parliamentary democracy to continue, and they too swear by it, though I do not know how many parties really do.

But the fact of the matter is, for a parliamentary democracy, you need an all-India party, an all-India leader, a national party which exists—leave aside, whether our party is good or bad, whether you like it or not, whether you agree with our policies or not—throughout the length and breath of the country. For a parliamentary system, a leader who has national goodwill is necessary. Late Jawaharlal Nahru once addressing a meeting said : "Congress may have so many weaknesses, Congress has so many weaknesses, I know; but Congress is the only national party existing throughout the length and breadth of the country, there is no escape from it, if the country escapes from it, it will be exposed to grave dangers from within and without". That is what happnd ed in 1977 and this can happen tomorrow. If you want democracy to survive, bow to the verdict of the people for the next four or five years. I do not mind constructive opposition, but join the Government in its endeavour to build the country, to reconsturct the country and to come down to normalcy and I am sure that with that goodwill, we can certainly progress better and further. There is no lack of goodwill from this side. The Prime Minister is always very nice and good to the opposition, she is calling them and holding discussions. The Home Minister is having discussions with them. Let us not fail at this crucial movement in the history of our country. I hope we will not fail.

With these words, I thank you for the kind indulgence shown to me.

MR. CHAIRMAN : A list showing the number of cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs treated as moved on the basis of the slips received from Members concerned, has been put up on the Notice Board for the information of Members.

In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to protect the life and property of the Scheduled Cates and Scheduled Tribes and other religious minorities (3)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to protect economically and socially weaker sections of society from coercion and illegal exploitation. (4)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to take action against the persons connected with the foreign nationals movement who gave notices to 50 Bihar families to quit their village-Juflibari-near Doom Doma in Dibrugarh district of Assam (5)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to declare the castes like Tatna, Tanti and Khataway of Bihar as Scheduled Castes (6)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to reinstate the Central Industrial Security Force Personnel dismissed last year. (48)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to withdraw all the police cases against C.I.S.F. personnel instituted last year (49)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for paying salaries and allowances to the reinstated C.I.S F. personnel for the period under dismissal (50)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to have the departmental and legal action against the officials responsible for the firing on C.I.S.F. personnel resulting in about 24 deaths at Bokaro in Bihar (51)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to pay compensation and pension to the dependents of C.I.S.F. personnel killed last year at Bokaro and elsewhere. (52)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to concede the just demands of the police, C.R.P., C.I.S.F. and B.S.F. voiced by them last year. (53)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to order judicial enquiry into the firing on C.I.S.F. personnel at Bokaro last year resulting in 24 deaths (52)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to reinstate all the dismissed personnel of the Police , C.R.P. and B.S.F. in connection with last year's agitation (55)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to democratise the administrative set-up of the Police, C.R.P., B.S.F. and C.I.S.F. (56)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to grant more amenities, facilities, better service conditions and emoluments to the C.S.R.F., C.R.P., Police and B.S.F. personnel (57)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to withdraw all cases pending against Police, C.R.P. and B.S.F. in connection with last year's agitation (58)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to recognise the democratically elected Associations of Police , C.R.P., C.S.R.F. and B.S.F. personnel (59)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to prevent assault, loot, murders and molestation of Harijans and other weaker sections by landlords and usurers (60)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to prevent atrocities against Harijans and other weaker sections by the police (61)].

"That the demand unde the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to prevent the police from acting as aiders and abetters of atrocities and exploitation of the poorer and weaker sections (62)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to take effective steps against illegal usury, smuggling, hoarding, blackmarketing and adulteration (63].

"That the demad under the head Police be reduced to Re. 1."

[Failure to democraties police administration by providing suitable service conditions for various categories of police personnel. (76)].

"That the demand under the head Gensus be reduced to Re. 1."

[Under estimating the actual number of the Maithili speaking people in Census. (92)].

"That the demand under the head Police be reduced to Re. 1."

[Shri Bhogendra Jha]

[Failure to take adequate steps to check the preventing of weaker section of the society from casting their votes in the recent Assembly Elections particularly in Bihar where in some booths polling had to be held thrice (120)] .

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to take effective administrative, legal and social measures to prevent repeated and frequent incidents of killing of women for dowry disputes (16)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure in strictly implementing its directions regarding the manner in which women should be treated while they are arrested and kept in custody (17)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure in evolving a suitable formula regarding Centre–State relations (18)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to give proper place to Nepali and Manipuri languages (19)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to provide special security measures to protect women at the time of Communal riots (20)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to provide special security measures to protect women at the time of strikes (21)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to provide special security measures to protect the honour and dignity of Harijan and Scheduled Tribe women (22)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to recruit more women in police force including in officers ranks, to effectively handle the problems of women (23)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to recruit more Harijans as officers in police force. (24)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to have frequent consultations with representatives of political parties, mass organisations, linguistic and religious groups to evolve concensus for promotion of national integration (25)].

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to solve problems in North East Region in the country (27)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to promote social and economic upliftment of Scheduled Castes (28)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to resolve Maharashtra–Karnataka boundry dispute (29)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to abolish capital punishment by enacting a law (30)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to maintain law and order situation in the country (31)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to dispose of expeditiously the applications of freedom fighters for pension (32)].

SHRI N.E. HORO (Khunti) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

(Failure to declare tea and extra garden tribes and castes of Assamas Scheduled Tribes and Scheduled Castes (121)

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

(Failure to settle the Naga problem by opening negotiations with underground Naga leaders (122)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

(Failure to recognise the democratic, administrative and political need of creating new States of Jharkhand, Chhatisgarh, Vidarbha and Uttarkhand within the Indian Union (123)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 1."

(Failure to recognise the people's struggle in North East Regions as a democratic struggle for recognition of their identity and that it is not a law and order question and cannot be tackled as such (364)].

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

(Failure to give education to backward Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in rural and slum areas (142)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

(Failure to check the dishonour to Indian women by rape assault and dowry victimisations (148)].

"That the demand under the head

Ministry of Home Affairs be reduced by Rs' 100".

(Failure to give protection to citizens from decoits, Daylight robberies and murders (149)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs' 100."

(Failure to finalise the pension of freedom fighters even after 33 years of independence (159)].

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairns be reduced to Re. 1.'

[Failure to hold elections in the Union Territory of Delhi to instal a popular administration (183)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1".

[Failure to settle amicably the foreigner's issue in the States of Assam, Tripura and Meghalaya resulting in law and order problem and disruption of economy of the North-East Region as a whole (184)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1"

[Failure to settle Mizoram problem (185)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100.'

[Failure to check large scale incidents of violence during the Assembly elections in 8 States under the President's rule (186)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100.'

[Failure to maintain law and order in the Capital and to check the growing incidents of robberies and murders (187)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100.'

[Failure to check the growing incidents of atrocities and rape on women (188)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to take effective measures to check harassment, torture and rape on women while in police custody (189)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to provide protection to the life and property of Harijans and other weaker sections of society (190)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Shri Ram Vilas Paswan]

[Need to reorganise the police structure and to establish separate services for Police, CIB, CBI, CID to bring them independent of each other and making the personnel non-transferable from one service to the other in the interest of efficient functioning (191)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to take effective steps for jail reforms with a view to improving the conditions and taking measures to check the incidents of torture of prisoners in lock-ups (192)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100.

[Need to utilise the Civil Defence Organisation at the time of internal disturbance in the States and natural calamities (193)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to remove the condition if a suitable candidate belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes is not available, the vacancy will be treated as un-reserved" (194)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Need to reserve quota for promotions of Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees on the basis of selection to various posts (195).]

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Re. 100,'

[Need to set up a separate Ministry for the up-lift of Harijans and other weaker sections of the society (196)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1."

[Failure to protect the honour of women (198)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1"

[Need to hang or shoot the rapists. (199)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1.'

[Failure to check the increasing incidents of dacoities, robberies, murders, waylaying and arson in the country (200)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1"

[Failure to protect the life and property and honour of advisis and harijans (201)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to democratise the police organisation (202)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1."

[Use of police forces to protect the interests of landlords and capitalists. (203)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1."

[Failre to check the growing incidents of rape on women in the country (204)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Deterioration of law and other situation in Delhi day by day (205)].

"That the demand under the head of Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to accept the just demand of various police forces (206)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide residential accommodation in adequate number to police forces (207)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to recruit Muslims and other Minorities in police forces (208)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to recruit members of other weaker sections in police forces (209)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1".

[Failure to expose the foreign powers taking undue advantages of the situation in Assam (210)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1".

[RSS adopting anti-national policy in Assam agitation (211)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure in finding the solution of the Assam problem through negotiation rather than repression (212)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Ms. 1."

[Failure in defusing the critical situation in Assam (213)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to discontinue the policy of discrimination in the recruitment of police forces (214)].

"That the demand under the head a Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to fill the quota of tribals and Harijans in the recruitment of police forces (215)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to flush out anti-social elements who had infiltrated in police (216)].

"That the demand under the head Ministry ogf Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to give up the policy of helping anti-social elements by the politicians in power (217)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Need to give bonus to the personnel of police forces also 218)].

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced to Re. 1."

[Need to abandon the policy of repression of police forces instead of removing their genuine difficulties (219)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1."

[Failure to change the police structure prevalent since British regime according to the present need of the country. (220)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Rs. 1'..

[Failure to inculcate the feelings of their being public servant in police forces. (221)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by by Rs. 100".

[Need to check the collusion of police with anti-social elemaents (222)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Increase in the number of incidents of rape by officials of the police (223)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to release naxalite prisoners (224)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Inhuman torture of naxalite prisoners (225)].

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced by 100."

[Need to keep all naxalite prisoners at one place and to provide them higher class. (226)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Shri Ramavatar Shastri]

[Need to provide higher class facilities to all political prisoners. (227)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to bring about radical reforms in jails. (228)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to remove difficulties of freedom fighters. (229)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to accept eight point demands of All India Freedom Fighters'-Organisation. (230)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to increase the pension of freedom fighters from Rs. 200 to Rs. 500 per month. (231)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to do away with the Rs. 5,000/- ceiling on income of freedom fighters for giving them pension. (232)"].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give medical allowance to the freedom fighters (233)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100 "

[Need to give another opportunity to those freedom fighters who could not apply for pension earlier. (234)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give equal pension to widows of freedom fighter. (235)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to take the help of Freedom Fighters' Organisations to find out the bogus freedom fighters. (266)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to constitute a committee of freedom fighter MPs. to advise the Government regarding freedom fighters (267)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to constitute the committees of freedom fighters in the States to find out bogus freedom fighters. (268)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to check the incidents of violence during the last Assembly elections. (269)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

"Failure to protect the life and property of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and religions and linguistic minorities. (270)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by R . 100."

[Need to declare Jatna, Janti and Khasve tribes as Scheduled Castes. (271)].

That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to accept 21 point demands of Bihar Rajya Sawatantra Senani Sangathan (272)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."]

[Need to check the harassment of genuine freedom fighters arising out of stoppage of their pension in the name of detecting fake freedom fighters. (273)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to withdraw the action taken against the police personnel who participated in police agitation. (274)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give liberty to police forces to build their organisation at par with trade unions. (275)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to give recognition to various organisations of police forces. (276)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to take stern action against illegal usurpers, smugglers, hoarders, blackmarketers and adultrators in the Co ntry (277)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need for better service conditions for jawans of police forces. (278)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to hand over the administration to the people's representatives by holding election in Delhi. (279)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to organise a special police force to check riots. (280)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to include persons from all castes i.e Hindu, Muslims, Harijans and tribals in the police force to combat comm al riots. (281)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to dispose of pending applications of the freedom fighters in time. (282)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give proper respect to freedom fighters. (283)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to remove malpractices prevalent in the Freedom Fighters Assistance Directorates of the Government. (284)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to make payment of pension to the freedom fighters from banks instead of treasuries. (285)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to publish life sketches of freedom fighters. (286)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give priority to the children of freedom fighters in the matter of employment. (287)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to award scholarship to the students belonging to freedom fighter's families. (288)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to construct freedom fighters homes in the states for freedom fighters (289)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Need to reinstate the jawans of Industrial Security Force, who were dismissed last year. (290)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to take departmental and legal action against the officers responsible for killing 24 jawans of Industrial Security Force at Bokaro by firing (291)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to check malpractices in Delhi Administration (292)]

"That the demand undr the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to stop inhuman treatment to prisoners in jails. (293)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Need to appoint harijans, tribals and person from other minorities against the posts of officers in the police force. (294)]

[Shri Ramavtar Shatri]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be redueed by Rs.100."

[Need to flush out commu al elements from police forces. (295)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to give up the policy of antipathy and indifference to Urdu language. (296)]

"That the dema d under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100 "

[Need to expose those people wh° regard Urdu as foreign or Pakistani language. (297)]

"That the demand under the head Mi istry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Need to give equal opportunity for development of all languages. (298)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be red ced by Rs. 100."

[Need to remove English from the status of official language. (299)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to check the communal propaganda by Rastriya Swayam Sewak Sangh. (300)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Failure to ban the propaganda which create communal and caste hatred. (301)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to check communal riots. (302)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to take stern action against rioters. (303)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to five facilities for the use of Urdu language according to articles 345 and 347 of the Constitution. (304)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to give honourable place to Urdu. (305)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Need to give the same facilities to neo-Budhists as are provided to Scheduled Castes. (306)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Failure to formulate an appropriate policy to maintain good relations between Centre and States. (307)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100."

[Role of police during the last Assembly elections in Bihar in favour of a particular party. (308)]

SHRI R. P. DAS (Krishnagar) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to find out a political solution of the Assam problem through negotiations. (309)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to provide protection to the life and property of the Bengalies in Assam. (310)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure of the North-eastern region policy of Central Government. (311)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced to Re. 1."

[Failure to deploy contingents of the armed and para military forces in Tripura in time in spite of repeated requests from the Chief Minister of Tripura. (312)]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to settle the 'so-called' foreigners issue in Assam (313)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced b Rs. 100".

[Failure to combat and reverse the secessionist policy of AASU and GSP (314)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100"

[Need to deploy more BSF men at the Indo-Bangladesh border of India (315)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to strengthen the BSF out posts at the border area under P. S. Chapra and Nadia in the State of West Bengal (316)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the mounting incidence of atrocities against Harijans (317)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to combat the large scale incidents of violence, atrocities and rape on women, particularly of the weaker sections of the society (318)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to weed out the emergency psychosis from bureaucracy (319)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to do away with the preventive detention in the country (320)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need for central help not only for preservation of peace and affording relief to the surviving victims of the disturbances but also for reconstruction and recovery of Tripura (321)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to check the large scale murders, arson and other forms of depredation in Tripura (322)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to take appropriate action against those agent provocateurs who were acting through the Amra Bengali and the Tripura Upajati Samiti (323)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Recent failure of the Central Intelligence Agencies in Tripura (324)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Gross neglect of socio-economic development of Tripura (325)].

SHRI VIJAY KUMAR YADAV (Nalanda) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to give protection to the Harijans and Scheduled Tribes in the country (328)].

"That the demand under the head Ministry of Home affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to provide proper protection to the women (329)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to protect the minority communities in India (330)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to control the law and order problem in the country (331)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to change the Police manual in the country to suit our democracy (332)].

[Shri Vijay Kumar Yadav]

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check criminal and immoral acts among the Police force (333)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to complete investigation of police cases within short period (334)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to fulfil the demands of the constables and lower officers of the police (335)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to equip the Police at the lower level to make them reach at the place of occurrence immediately after receiving the information of crime (336)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to make arrangements for the democratic training of the police at all levels (337)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to stop dacoities in running trains throughout the country (338)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to make law more strong for the protection of the women from anti-social elements and criminals (339)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to bring reform in Police Department in the country suited to our democratic norms (340)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to remove malpractices prevailing in the Police Department (341)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to ensure safety of life and property from criminals to the people (342)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to create an atmosphere of security among the people of the country (343)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check irregularities in appointments in the Police department (344)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to make special provisions for the encouragement of honest and brave police officers (345)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to give protection to the minorities of Assam and Tripura (346)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the fast increasing numbers of murders, rapes, dacoities and highway robbery in the country (347)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the smuggling in the country (348)].

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to save the culture of Assam by ignoring the census report of 1931 (353)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the entry of foreign missionaries in Manipur, Tripura, Arunachal and other North-eastern areas (354)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to accept the demand of the original inhabitants of Chhotanagpur for a separate State of Chhotanagpur and Santhal Pargana in Bihar (355)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to ensure justice to the victims of Bagpat, Karina and Narayanpur incidents of killings, rape and loot (356)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Indifference of Centre towards the incidents such as at Parasbigha and Pipra in Bihar and Kafalta in Almora in which people were burnt alive and harijans were tortured and their houses were set on fire (357)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the illegal stay of the foreigners coming from district Mymensingh of Bangladesh in Assam (358)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to rehabilitate the homeless original Adivasis of Tripura (359)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the activities of criminals by the Crime Branch of Delhi Police. (360)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure to check the Connivance of police with criminals (361)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Failure of Delhi Police to check the incidents of robberies and the fts (362)].

"That the demand under the head Ministry of Home Affairs be reduced by Rs. 100".

[Need to check the crimes and infuse confidence in public (363)].

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, इस बजट में हरिजनों और आदिवासियों की प्रगति और सुरक्षा के लिए, और देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो प्राविजन किया गया है, और हमारा शासन उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूं ।

मैं समझती हूं कि देश और समाज के सभी क्षेत्रों में गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । चाहे हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कितनी सफलता प्राप्त कर लें, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितनी योजनायें बनायें और आणविक शक्ति का उत्पादन तथा प्रयोग करें, परन्तु यदि हमारी आन्तरिक व्यवस्था ठीक न रहे, देश में शांति न हो और लोगों को सामाजिक न्याय न मिले, तो हमारा राष्ट्र कभी भी प्रगति की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है । इसीलिए गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और समाज की हर एक समस्या और हर एक पहलू का सम्बन्ध इस मंत्रालय से है । हम समाज में कई ऐसे परिवार देखते हैं कि कमाई और धन बहुत है, फिर भी उनके सदस्य एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को उसका हक नहीं देते हैं । ऐसा परिवार का कोई आदमी शराब पी कर हंगामा करता है । ऐसी स्थिति में वह परिवार जिस के पास सब कुछ हैं लेकिन वह कुछ नहीं पा सकता और ऐसा परिवार हम देखते हैं कि जिस में हर एक आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, एक दूसरे के हक की गारन्टी देना चाहता है, वह परिवार बहुत आगे बढ़ता हैं । हमारा राष्ट्र भी एक बहुत बड़ा परिवार है और

[श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी]

उस में भी ऐसा ही वातावरण, ऐसी ही सामाजिक समता हम बनाना चाहते हैं । मैं तो यह मानने वाली हूं कि जो अन्तर्गत व्यवस्था हमारी बिगड़ जाती है और वह सारी समस्याएं हमारे सदन के सामने भी आती हैं, हम लोग उन पर चर्चा करते हैं, उस का एक ही महत्वपूर्ण कारण है । कोई पुलिस को दोष देता है, कोई शासन को दोष देता है । लेकिन एक बेसिक समस्या यह है कि जो आर्थिक विषमता हमारे देश में है वह बहुत बड़ी समस्या है, उस की वजह से ही हमारे समाज में यह दिखाई देता है । यहां दलित और आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के बारे में या दलित आदिवासी समाज पर जो अत्याचार होते हैं, उन की महिलाओं पर जो बलात्कार होते हैं, उन की आवाज यहां उठाई जाती है । मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो दलित हैं, लेकिन फिर भी वह अमीर हैं, आदिवासी है फिर भी जो सत्ता में हैं, अमीर हैं उन पर कभी क्या कोई ऐसी कठिनाई आती है, उन की महिलाओं को क्या कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ? इसीलिए एक बात यह है कि जो महिलाएं अर्थार्जन के लिए बाहर जाती हैं, जिन को अर्थार्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है और संरक्षण नही मिल पाता है उन गरीब दलित आदिवासी महिलाओं और हरिजन महिलाओं को इस हालत का सामना करना पड़ता है । दुर्भाग्य से ऐसे लोगो में दलित आदिवासी समाज का हिस्सा बहुत बड़ा है जो दरिद्र है, अनपढ़ हैं, जो पूरी तरह से कानून नही जानते, जो अपने हक के लिए लड़ नही सकते, उन पर ये हमारे शोषणकर्ता लोग, अन्याय करने वाले लोग, समाज-कण्टक लोग आज अन्याय करते है ।

अभी वर्ग-संघर्ष की बात यहां निकली । यह वर्ग-संघर्ष की बात क्यों आती हैं ? सामाजिक विषमता या जो दलित आदिवासी और सर्व-सामान्य व्यक्ति को सामाजिक न्याय नही मिलता, इसी कारण हमारी अन्तर्गत सुरक्षा में कुछ गड़बड़ होती है और हम लोग सब उस के लिए चिन्तित रहते हैं । लेकिन मैं अभिमान से कहना चाहती हूं कि हमारी नेता माननीय इंदिरा गांधी जी और हमारे कांग्रेस शासन ने अगर 20 सूत्री कार्यक्रम और अनुशासन पर्व लागू नही किया होता तो यह वर्ग-संघर्ष हमें खा जाता, आज हम में से कोई भी यहां नहीं दिखाई देता । एक अराजकता की सी स्थिति उस जमाने में पैदा हो गई थी । इसीलिए हमें आज भी विश्वास है, हमारा कांग्रेस का शासन और हमारी नेता इंदिरा गांधी जी फिर से उस 20 सूत्री कार्यक्रम को सामाजिक समता और आर्थिक समता लाने के लिए लागू करेंगी । दलित आदिवासी और सर्व-सामान्य लोगों को न्याय यही शासन, यही नेता दिला सकती है । इसीलिए किसी को धमकाने की जरूरत नही है कि यहां वर्ग-संघर्ष हो जायेगा और कोई बिहार या बंगाल प्रान्त उठेगा और हमारा क्या होगा ? यह डर हमारे मन में नही है क्यों कि हम एक निश्चित रास्ते से जा रहे हैं अपने प्रभावशाली नेता के अनुरोध पर और उस के नेतृत्व में ।

हम बार बार सदन में देखते है कि यहां महिलाओ पर बलात्कार के मामले उठाए जाते हैं । यह तो सभी का फर्ज है लेकिन उस दिन माननीय बाबू जी ने कहा था कि स्त्री का रूप एक मां का रूप होता है और उस पर जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है तो हर एक का हाथ ऊपर उठना चाहिए । वह बात तो ठीक है लेकिन इस ढंग से हमारे अपोजीशन के लोग यहां इस बात को उठाते हैं, इतनी बिडम्बना करते है कि जिस के बारें में कुछ कहा नही जा सकता । समाज का प्रबोधन करना और समाज की समस्याओं के लिए लड़ना अलग बात होती है, लेकिन उस की विडम्बना करना और समाज मे एक विद्रोही आन्दोलन की बात पैदा करना एक अलग बात है । आप ने किसी जमाने में ऐसा ही किया था । और इसीलिए मैं अपनी पार्टी के सदस्यों, अपने शासन और अन्य दलों के सदस्यों से यह विनती करना चाहती हूं कि अन्तर्गत सुरक्षा, अन्तर्गत व्यवस्था और हमारे राष्ट्र में एक अच्छी शांतिपूर्ण सह-जीवन की समाज-व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ कानून की मांग काफी नही है । कानून की मांग आप लोग करते हैं, हम भी करते हैं ।

16 hrs.

कानून के साथ साथ सामाजिक वातावरण, एक सामाजिक धारणा भी बनाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है । इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है । यह केवल शासन का ही काम नही है, केवल पुलिस डिपार्टमेन्ट का ही काम नही है, सिर्फ कानून ही इस काम को नही कर सकता है, इसके लिए एक सामाजिक माहौल तैयार करना भी आवश्यक है । अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, डाउरी की प्राब्लम, अस्पृश्यता-निवारण--कोई भी प्राब्लम हो, केवल कानून के द्वारा ही इसको नही हटाया जा सकता है । जब तक हमारा मन इसके लिए तैयार नही होगा, इसको मिटाना सम्भव नही होगा । आज भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में अस्पृश्यता के बारे में लोगों की कड़ी भावना रहती है । इसलिए इसको दूर करने में सभी का सहयोग होना जरूरी है । इस सम्बन्ध में हमें विरोधी पार्टियों से बड़ी उम्मीद है ।

आप लोग तो हृदय परिवर्तन की भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसको मानते हैं, । आपका नारा था कि इस देश में हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी हैं, वैचारिक क्रान्ति बहुत जरूरी है। उसकी तरफ आप जा रहे थे। हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी रोटी की क्रांति की ओर जा रही थी और वह क्रान्ति इस देश में होनी बहुत जरूरी थी । इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करती हूं जो लोग हृदय परिवर्तन की भाषा मानते हैं, वे यह चाहेंगे कि सामाजिक सुव्यवस्था बनाने में आप सभी का सहयोग इसमें रहे । आजकल अखबारों में रोज जो छपता है, वह सब सच ही हो ऐसी बात नहीं है । बागपत के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी ने बार बार आश्वासन दिया है । हमारी विरोधी दल की महिला सदस्य ने जब यहां पर बलात्कारी लोगों के खिलाफ़ सज़ा देने के लिए और कानून में संशोधन करने की मांग की तो उस पर भी हम सभी लोगों ने विश्वास दिलाया था और बलात्कारी लोगों के लिए जो कानून है उसकी दफा 375, 376 और 377 में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस ढंग से यह मामला यहां पर उठाया जाता है वह उचित नहीं है । हरिजनों, दलितों, आदिवासियों के प्रति अत्याचारों को रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। द्रौपदी के चीर-हरण की एक पौराणिक कथा है जिसको कवी, कथाकार, ग्रंथकार ने रेखांकित करके एक अलग ढंग से समाज को दृष्टि दी है । लेकिन ऐसी विडम्बना हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में हुई नहीं जैसे यहां पर जिस ढंग से हमारे विरोधी सदस्य बलात्कार के मामले को उठाते हैं उस समय हम महिला सदस्यों को बहुत बड़ी हिम्मत करके यहां पर बैठना पड़ता है । जिस ढंग से आप लोग यहां पर उसका वर्णन करते हैं वह उचित नहीं होता है ।

सभापति जी, मुझे समय कम मिला है लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि जहां तक आदिवासियों और दलितों का प्रश्न है, उन के अर्जन के लिए आदिवासी एरियाज में छोटे छोटे उद्योग-धंधों की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों के लिए आश्रमशालायें खोली जायें जहां पर उनको संरक्षण मिल सके । हमारे बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है और जल्दी ही इन योजनाओं को उनके हित के लिए लागू किया जायेगा— ऐसी मैं उम्मीद करती हूं ।

आदिवासियों एवं दलितों के साथ साथ इस देश में कई और उपेक्षित घटक भी हैं जिनकी समस्यायें अभी तक बाकी हैं । हम सारे एम पीज यहां पर बैठे हैं, हर एक को मालूम होगा कि कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हमारे पास आते हैं कि सालों से उनके पेंशन के केसेज पड़ें हुए हैं । जो अधिकारी लोगों की फाइलें हैं और जो इन्क्वायरी करते हैं, वह कई सालों तक पड़ी रहती हैं । यानी इसका मतलब यह कि उनको जिन्दगी में पेंशन नहीं मिल सकती है । समाज में एक उपेक्षित वर्ग है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ खोया है, उनके लिए भी शिक्षण और उनके बसाहत के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई योजना शासन को बनानी चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण समस्या और भी है, जिससे हमेशा आन्दोलन छिड़ा रहता है । जिस से हमारी युवा शक्ति असंतुष्ट रहती है—वह है बेरोज़गारी। आज सुशिक्षित लोग भी बेरोज़गार घूमते हैं, उनके लिए भी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए । आज भी कई परिवारों में दस-दस हज़ार रु० तनख्वाह आती है, जिससे समाज में एक असमानता पैदा होती है, इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक समता लाई जा सके । यह भी एक गम्भीर समस्या है कि किसी फैमिली के चार लोग पढ़ लिख लेते हैं, उनको बुद्धि का दान मिलता है, अनुकूल वातावरण जन्म से, लेकिन दूसरी तरफ कई देहाती, दलित, आदिवासी, सुशिक्षित बेकार गली-गली में घूमते रहते हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होता है । जब तक आप इस दिशा में सोचेंगे नहीं, तब तक यह असंतुष्ट वर्ग आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो आपके विभाग में दुःखी है, जिनका शोषण होता है, जो उपेक्षित है, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए ।

अब मैं कुछ जेल के बारे में भी कहना चाहती हूं । जनता पार्टी की सरकार में जब श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया था, तब हम भी उनके समर्थन में जेल गए थे। जेल के अन्दर जहां पर क्रिमिनल्स रखे जाते थे, वहां पर हमें उनके साथ रखा गया था । यह बहुत अन्याय की बात थी कि हम लोगों को अमरावती जेल में क्रिमिनल्स के साथ रखा गया था । उस वक्त हमें यह देखने का मौका मिला, जेल के अन्दर कैदी की बहुत मारपीट होती है, उन लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, मैं चाहती हूं कि आप इसकी इन्क्वायरी करायें, यह चीज़ जनता शासन में बहुत बढ़ गई थी और हर विभाग में भ्रष्टाचार पैदा हो गया था उसको रोकना भी हमारा फर्ज है । जितने अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले गुनाहगार हैं, उतने ही भ्रष्टाचार करने वाले गुनाहगार हैं, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती है ।

अब मैं कुछ बातें रिमाण्ड होम के बारे में कहती चाहती हूं । अभी पिछले वर्ष हम ने बालक वर्ष मनाया था, उसमें उस शासन ने किन बालकों के बारे में विचार किया, जो बहुत अच्छे खानदान में पढ़ते हैं, बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, उनके लिए चित्रकला स्पर्धा की गई, उनको बाहर विदेश यात्रा के लिये भेजा गया,

[श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी]

उनके लिए शिविर लगाए गए, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो दिन भर में एक रुपया मजदूरी करके कमाते हैं, जिनके हाथ की रेखायें बर्तन साफ करने से खराब हो गई हैं, जिन पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनके लिए इस बालक वर्ष में क्या किया? रिमाण्ड होम के लिए मैं आपसे विनती करती हूं कि रिमाण्ड होम हमारे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है । जो बहके हुए बच्चे होते हैं, जो छोटे-मोटे गुनाह करते है, उनको रिमाण्ड होम में रख कर सुधारने का प्रयास किया जाता है । उनके लिए सिर्फ 75 प्रतिशत ग्रान्ट सरकार की तरफ से मिलती है । वह पूरी मिलनी चाहिये । वहां के बच्चों को ऐसा खाना दिया जाता है, मैं भी रिमाण्ड होम की तदस्था हूं, जो जानवर भी नही खा सकते हैं । हमारे महाराष्ट्र में "कोंडवाड़ा" कहते हैं ऐसे जानवरों को रखते हैं तो लावारिस घूमते रहते हैं, वैसे ही रिमांड होम की हालत है । इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि सरकार को रिमाण्ड होम को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसके लिए पूरी ग्राण्ट देने के लिए राज्य शासन को आदेश देना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए ।

अब आखिर में मैं कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहती हूं । पुलिस के बारे में लोग जो मानते हैं उसमें कुछ लगतफहमी है कुछ सचाई है । लोगों को ऐसा महसूस नही होना चाहिये कि ये जो हमारे रक्षक हैं, ये हमारे भक्षक बन गये हैं । इस सम्बन्ध में हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी तरह से बतलाया है कि पुलिस की स्वय पुलिस ही देख-रेख करेगी, तो इस से ठीक नही होगा, उन के भ्रष्टाचार को देखने के लिये काई दूसरा ही होना चाहिए । आप डी० एस० पी० या अन्य पुलिस अफसरों के घरों मे जा कर देखें--उन की तनख्वाह क्या है और उन का रहन सहन क्या है, कितनी कमाई वह करता है और किस तरह से रहता है ? यह भ्रष्टाचार केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही नही है, पुलिस का मामला तो यहां पर बलात्कार और अत्याचार के जरिये आ रहा है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जिन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है । लोगों की जो समस्यायें होती हैं, जिन के लिये वे कम्प्लेंट्स भेजते हैं, जैसे आदिवासी और देहाती लोग हैं—उन की शिकायतों को चार-चार और पांच-पांच साल तक जवाब नहीं दिया जाता है । यह तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, यह पिछले ढाई-तीन सालों में जनता राज में बहुत ज्यादा बढ़ा है । इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

एक बात मैं होम गार्ड के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं । यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो नागरिकों की सुरक्षा और समाज रक्षा का काम करता है । इस को ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये तथा इस के लिये अधिक से अधिक फाइनेन्शियल व्यवस्था रखनी चाहिये । इस में युवकों को ज्यादा से ज्यादा लिया जाना चाहिये तथा उन को क्रियाशील बनाना चाहिये । यदि होम गार्ड का संगठन अफसरों के लिये गाड़ी, भत्ता और परेड के लिये रहेगा, परेड किया और घर चले गये, यदि इतना ही काम होगा, तब तो फिर इस के कार्य पर फिर मे सोचना जरूरी है । इस में आज कल काफी ढिलाई आ गई है, शिथिलता आ गई है--इस लिये मेरा अनुरोध है कि आप इस के बारे में सोचें ।इस में महिलाओं को भी अधिक संख्या में लिया जाय--ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । पुलिस में भी महिलाओं को अधिक संख्या में भरती किये जाने के लिये अनुरोध करती हूं ।

हमारे शासन और प्रशासन पर सामाजिक नियन्त्रण का होना बहुत जरूरी है । हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों, रेलवे और दूसरे सरकारी विभागों में कुछ समितियां बनाई जाती हैं उन में समाज से कुछ प्रतिनिधी को रखा जाता है । इन समितियों में ऐसे लोग प्रतिनिधि को लिया जाता है जो केवल अपने लैटर-हैड्स पर लिखते हैं कि हम इस पद पर हैं, लेकिन वे कभी उस में जा कर नही देखते । रेलवे की समिति में एसे लोगों को लिया जाता है जो कभी सैकण्ड क्लास में प्रवास ही नही करते, जिन्होंने कभी सैकण्ड क्लास के डिब्बे को जा कर ही नही देखा । इसी तरह से अस्पतालों की समितियो में ऐसे लोगों को लिया जाता है जिन्होंने कभी भी सरकारी अस्पताल के जैनरल-वार्ड को जा कर नही देखा । ऐसी समितियां के बनाने का उद्देश्य यह होता है कि वे शासन की मदद करें, उन के बारे में सरकार को अपने सुझाव दें । मेरा अनुरोध है कि ऐसी समितियों पर सर्व-सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक भी इन में लिये जा सकते हैं । क्या आप स्वतन्त्रता सेनानियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट भी नही बना सकते ? आप ऐसे लोगों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाते हैं जिन के दरवाजे पर तीन-तीन घन्टे खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर वे बाहर आते हैं । ऐसे लोगों को बदलना बहुत जरुरी है ।

आखिरी सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि ऐसे विभिन्न सेल बनायें जो किसानों के लिये, आदिवासियों के लिये, शिक्षित बेरोजगारों के लिये, महिलाओं के साथ जो अत्याचार और बलात्कार की घटनायें होती हैं उन के बारे में प्रशासन की मदद करे । इस में समाज-सेवी संस्थाओं या समाज सेवकों को लिया जाये, जो शासन का ध्यान उन की कठिनाइयों की तरफ दिलाये ।

एक महत्व की बात यह भी है—हमारी एक सदस्या ने कहा था कि अंग्रेज तो इस देश से चले

गये, लेकिन उन की "शाही" रह गई । हम आज भी यह महसूस करते हैं कि नौकरशाही में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, उन में भ्रष्टाचार उसी तरह से व्याप्त है । पटवारी से ले कर कलैक्टर तक जितने अधिकारी हैं, कई में भ्रष्टाचार व्याप्त है जो देहाती किसान, दलित, आदिवासी, इन का शोषण करते हैं । यह बड़े दुख की बात है और जो जनता पार्टी के शासन में ज्यादा बढ़ा है ।

इस का एक उदाहरण मैं देती हूं । जनता शासन के जमाने में कुछ ऐसे अधिकारी वहां दिये गये, जिन्होंने जनता पार्टी के राज्य को चलाने के लिए, उस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेसी लोगों और कांग्रेस के पीछे जो दलित बहुजन समाज था, उस को दबाया और आज भी वे उन को तंग कर रहे हैं । अब प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन आया है लेकिन फिर भी वे अधिकारी वहां लोगों को तंग करते हैं । अभी चार दिन पहले का वाक्या है । हमारे अमरावती में एक शिक्षण अधिकारी हैं, जो जनसंघी हैं । वहां पर कुछ कारणों से एक स्कूल बन्द कर दिया गया और उस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे, उन के साथ उस शिक्षण अधिकारी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया । दूसरी जगह उस को एडजस्ट नहीं किया । इस कारण उन की बीवी ने छः महीने पहले सूसाइड कर लिया था क्योंकि उन को नौकरी नहीं मिल रही थी और वे भूखे मर रहे थे, । इस अधिकारी ने देहात के कुछ स्कूलों के कुछ मामूली कारणों के लिये शिक्षकों की तन्खवाह रोक दी थीं, जिसके लिए इन शिक्षकों को बहुत लड़ना पड़ा । वह जो मुख्य अध्यापक था, उस ने कल-परसों जहर खा कर आत्महत्या कर ली और उस ने यह बताया था कि जो एजुकेशन अधिकारी है, उस से मिलने के लिए हम उस को अपनी बात बताने के लिए गये पर उस ने हम से ठीक बात नहीं की और बाहर निकाल दिया । तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के अधिकारी इन के जमाने से पले हुए हैं और उन को ढूंढना और खोजना चाहिए और ऐसे लोग जो सर्वसामान्य लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उन को सख्त से सख्त सजा देने की जरुरत है । ऐसी मांग मैं आप से करती हूं ।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं एक ऐसा वातावरण देखती हूं और जो अखबार वाले यहां बैठे हैं उन से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करती हूं कि जो सच्चाई है, उस को वे सामने लाएं और सच्ची खबरें दें । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एक जमाने में इन विरोधी दल के लोगों ने हृदय परिवर्तन की बात बोल कर विद्रोह फैलाने की कोशिश की थी । आज भी ये लोग दलित और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय की बात सामने रख कर समाज में विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं । कुछ लोगों की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है और जो अधिकारी लोग हैं, वे इस में उन का साथ देते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि जो अधिकारी लोग धोका देते हैं, जिन का बलात्कार या भ्रष्टाचार या अन्याय के मामले से कुछ सम्बन्ध रहता है, तो हमें तो कुछ ऐसा लगता है कि वे आप के जमाने में तैयार हुए हैं । मेरा कहना यह है, कि इस तरह के जो लोग हैं, उन को सजा मिले ।

एक आखरी बात मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर मैं अनुशासन की बात यहां पर करुंगी, तो कहीं कई लोगों की नींद हराम न हो जाए । वह बात मैं नहीं करना चाहूंगी लेकिन फिर भी यह कहना चाहूंगी कि जो शान्ति का वातावरण इमर्जेन्सी के समय में था, जो भावना देहात के लोगों में तथा सर्वसामान्य मजदूर लोगों में थी, जो वातावरण वे महसूस करते थे, उस वातावरण की उपेक्षा हम आप से जरुर करते हैं और चाहते हैं कि उस के लिए शासन आगे बढ़े ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों के बारे में कुछ मूल बातों को कहना चाह रहा हूं और इस आशय से कि हमारे गृह मंत्री और इस सदन के सदस्य इस मूल दिशा में, परिवर्तन की दिशा में आगे प्रयास करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है, जो आरक्षी प्रशासन है, जो उस के विशिष्ट अंग, उपांग हैं, वे अब तक, आज तक देश के कानून का मुख्यतः शासक वर्ग के हित में, गांवों के सूदखोर जमींदार या अन्य धनी वर्गों के हित में, शहरों के थोक व्यापारियों, मुनाफाखोरों और करोड़पतियों के हित में इस्तेमाल करते रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ कानून आम जनता के हित में बनाये गये उनको लागू करने का प्रयास कुछ मामलों में नगण्य और कुछ में शून्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1973-74 में कड़ी मेहनत के बाद जो नया क्रिमिनल कोड बना था उसमें कुछ अधिकार प्रशासन को, कार्यपालिका को, आरक्षी दल को दिये गये थे कि वे आर्थिक अपराधों के लिए भी कुछ अभियोगी लोगों के विरुद्ध मुकद्दमे दर्ज करें, चलायें । मैं जानना चाहूंगा कि आज तक सारे देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी केन्द्र शासित राज्य में या किसी भी यूनियन टेरीटरी में, या देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी आर्थिक अपराध के दण्ड के मामले में एक भी अब तक कार्यवाही हुई है ? मैं आशा करुंगा कि गृह मंत्री अपने जवाब में कुछ ऐसा उदाहरण देने का प्रयास करेंगे कि एकाध भी ऐसा उदाहरण है जिसमें कि सी० आर० पी० सी० की धारा 110 के मुताबिक मुकद्दमा दर्ज किया गया है ।

[श्री भोगेन्द्र झा]

उपाध्यक्ष महोदय, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के मातहत जो कोई गड़बडी होती है उसके लिए भी धारा 110 के मुताबिक बेड लाइबलीहुड का मुकद्दमा दर्ज करने, चलाने का अधिकार इस दफा 110 में दिया गया है जो पहले नहीं था। फोरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के मातहत मुकद्दमा अलग चलेगा, मगर सी० आर० पी० सी० की दफा 110 के मातहत उस पेशे के लिए पेशेवर के ऊपर जो मुकद्दमा चलाने का अधिकार दिया गया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक भी मुकद्दमा सारे भारत में हमारा आरक्षी विभाग चला सका है ताकि समाज जाने कि अमीर आदमी, लाखों का आदमी या करोड़ों का आदमी बुरे पैसे पर जी रहा है? उसका फैसला, समाधान तो बाद में होगा, मैं सिर्फ मुकद्दमें चलाने के बारे में जानना चाहता हूं।

जहां तक एम्प्लाईज प्रोवीडेंट फण्ड एक्ट का ताल्लुक है, इस में भी देश के हजारों मालिक, कारखाने के मालिक जो प्रोवीडेंट फण्ड का रुपया दबाये हुए हैं, उन पर भी बेड लाइबलीहुड का मुकद्दमा चलना चाहिए था। क्या सारे भारत में एक भी मुकद्दमा ऐसे मिल मालिक के, ऐसे कारखाने के मालिक के खिलाफ चला है? मैं एक ही उदाहरण जानना चाहूंगा।

प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के मातहत, दूसरे मुकद्दमे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सी० आर० पी० सी० की दफा 110 की बात कर रहा हूं, क्या इस दफा के मुताबिक क्या एक भी मिलावट करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही चली? उन लोगों के खिलाफ जिन को आप अदालत में साबित नहीं कर सकते हैं, जो वहां से रिहाई पा जा सकते हैं लेकिन पेशा उनका है, इसलिए उन पर 110 सी० आर० पी० सी० में आप मुकद्दमा चला सकते हैं, क्या एक भी मुकद्दमा आपने चलाया है? दिल्ली सहित भारत के किसी भी हिस्से में कोई इस तरह का मुकद्दमा आपने चलाया है यह आप मुझे बताएं।

इसी तरह से एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत, अनटचेबिलिटी आफेंसिस एक्ट के तहत क्या आपने छुआछूत बरतने के आरोप में किसी पर मुकद्दमा चलाया है। आप तो जानते ही हैं कि आम तौर पर खुशहाल परिवारों के लोग, शहरों या देहातों में, देहातों में कुछ ज्यादा, छूआछूत बरतते हैं। छूआछूत का जो पाप है भारतीय सभ्यता पर और जो एक कलंक है और जो सामन्ती जमाने से लगा चला आ रहा है, इस कानून का उपयोग करके आपने एक के खिलाफ भी 110 धारा के तहत मुकद्दमा चलाया है? आज तक नहीं चला है यह मेरा कहना है।

Any offence punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs or of corruption'....

इनके तहत किसी भी जुर्म में 110 धारा सी० आर० पी० सी० के मुताबिक एक भी व्यक्ति पर आपने मुकद्दमा चलाया है? मैं यह इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक पर भी नहीं चला है? इसलिए नहीं चला है कि सरकार उनकी है, सत्ता उनके पास है। सत्ता की खातिर नामों में परिवर्तन हो सकता है, कभी कांग्रेस रही, कभी कांग्रेस आई हो गई, कभी य उसके साथ लग गया, कभी जनता नाम आ गया लेकिन मामला वही है कि देश के शासक गण, देश को लूटने वाले हैं, दूसरों की मेहनत पर पलने वाले, शासन कर रहे हैं, शोषितों को लूट रहे हैं। इन लोगों के हाथ में राजकाज है, सत्ता है, इसलिए यह कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती है। आज चाहे हमारे देश में लोकतंत्र है लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। यह तो आप मानेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सब चुन कर आए हैं, जन गण की राय से चुन कर आए हैं। ऐसी अवस्था में क्या यह जिम्मेदारी हमारी है या नहीं कि ऐसे कानूनों को भी लागू करें, जो शक्तियां हमें कानून ने दी हैं, उनका भी प्रयोग करें। उपदेश भी करें, प्रचार भी करें लेकिन कानूनी शक्तियां जो हमें प्राप्त हैं, उनका भी हम उपयोग करें। इन कानूनी शक्तियों का हमें चाहिये कि हम सख्ती से पालन करें, उपयोग करें। यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को जो शिथिलता है उसको छोड़ना होगा।

इस साल का गृह मंत्रालय का जो प्रतिवेदन है उस में हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में यह कहा गया है :

A detailed analysis of these atrocities reveal that unless immediate measures are taken to improve the economic condition of the harijans, no lasting solution of these problems could be found.

यह सही है। लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे है? भूमि के वितरण की बात को ही आप लें। जो भूमि चोर हैं उन में से कितनों को आपने जल भेजा हैं, कितने भूमि चोरों पर आपने मुकद्दमे चलाए है? भूमि चोरों से मेरा मतलब है जिन्होंने हदबन्दी कानून का उल्लंघन किया है और ऐसा करके जमीन को चुरा कर रखा हुआ है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में सार्वजनिक भूमि, गांव सभाओं की जमीन या गैर मुजरवा भूमि, या श्मशान या चरागाह की भूमि, या पोखर या तालाब वगैरह की भूमि को दबा कर के अपने कब्जे में रखा हुआ है और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं। एक दो या चार रुपये की कोई चोरी करता है उसको तो आप जेल भेज देते हैं, उस पर आप मुकद्दमा चला देते हैं लेकिन

जिन्होंने हजारों लाखों की भूमि चोरी कर रखी हैं, उनके खिलाफ हम ने कौन सा कदम उटाया है ?

गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो वर्दी में है, राइफल वाले हैं, सी आर० पी० में हैं या सीधे पुलिस में हैं, औद्योगिक सुरक्षा फोर्स में हैं या दूसरे हैं इनकी जो वित्तीय हालत है, इनका जो रहन सहन का स्तर है, वह दयनीय है और इसके लिए पिछले साल इन लोगों ने आन्दोलन किया था । मुझे खुशी है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनकी मांगे जायज थीं और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है । मैं यहां सिर्फ उद्धृत ही करना चाहता हूं :

Genuine grievances andexpectations were considered by the Government and a number of concessions have been granted to them.

Some of the important concessions relate to increase in the quantum of ration money; grant of concessional voucher for undertaking journey to the Home Town in the event of death, serious illness or marriage in the family; increase in the House Rent Allowance; increase in stitching charges; washing allowances better promotional prospects, etc.

The Governmnt have also agreed in principle to the formation of Associ tioms for the Personnel of the C.I'S.F. As a result of the sustaimed efforts made by the Governme t, the agitation terminated by itself."

अगर यह स्थिति है कि यह जायज मांग थी और सीलिये उनको पिछले साल आन्दोलन करना पड़ा, आप के वह भाई थे, जो जनता पार्टी के नाम पर राज्य कर रहे थे, वह कांग्रेस का एक बच्चा था और उसने उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की । आज अगर उनकी मांगों की सुनवाई की जा रही है तो जो नौकरी से बर्खास्त हुए थे, उन सब को नौकरी पर वापस लेते हैं या नहीं और जो थोड़े से लोग नौकरी पर वापिस लिये हैं उनके बीच के वक्त का मुशाहिदा आप क्यों नही दे रहे हैं ?

हमारे बोक्कारो में जो सी०आई०एस०एफ० के 24 जवान मारे गये उनके परिवार वालों को भी आप मुआवजा देते हैं या नहीं । मेरा आग्रह हैं कि सी०आई०एस०एफ० के संगठन के लिये आपने दिया है, मगर पुलिस के लिये सी०आर०पी० के लिये, इन सब चुने हुए सगठनों को आप मंजूर करें, उनसे वार्त्ता करें। देश में शांति और सुरक्षा के लिये वे हमारे अंग हैं। उनको हम जनतांत्रिक तरीके से पुष्ट कर के संतुष्ट कर के आगे बढ़ायें, दमनात्मक नीति हम त्यागें ।

हमारे देश में सैकुलरिज्म, सोशलिज्म और डैमोक्रेसी का लक्ष्य संविधान में निर्धारित किया गया है और हमने उसी रास्ते पर बढ़ने का निश्चय किया है । आप पुलिस पर्सनल्ज के लिये नीचे से ऊपर तक अफसरों के लिये और बातों का प्रशिक्षण देते हैं, क्या इस बात का भी प्रशिक्षण देते हैं की सामाजवाद, सैकुलरिज्म और जनतंत्र को पुष्ट करने के लिये उनका क्या कर्त्तव्य है ? मैं समझता हूं कि वह भी हमारे अंग हैं, सिर्फ हुक्म मानने वाले नहीं है, जिन्दा दिमाग के साथ हैं । उनको समाज को पुष्ट करने के लिये प्रशिक्षित करना आवश्यक है नहीं तो और खतरे पैदा हो जाते हैं ।

मैं बिहार और उत्तरप्रदेश की बात कह रहा हू । 1977 में खासकर बिहार में अफसरों के एक बड़े हिस्से ने बूथ पर कब्जा कराया । उन्होंने जनता पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया था और इस बार इन्दिरा कांग्रेस के नाम पर कुछ अफसरों ने खुद बूथ पर कब्जा किया है । मत-दाताओं को पीट-पीटकर भगाया है । मैं चाहूँगा कि सदन के सदस्य उसको सुनें । उस समय राष्ट्रपति का शासन था । बिहार के 81 क्षेत्रों में चुनाव के फल का एलान रोका गया और कुछ को मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि मधुबनी के रिटर्निंग आफिसर पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। उन पर व्यक्तिगत रूप में उस पर कब्जा करने का अभियोग है । बी०,एस०एफ० के जवानों ने इन्कार कर दिया कि हम इस जुल्म में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको हटा दिया गया । बिहार पुलिस के एक कमांन्डेंट ने कहा कि हम फेयर पोल करायेंगे, तो उसको भी हटा दिया गया । मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि यह सीधा राज्य का मामला नहीं है, यह राष्ट्रपति शासन का मामला है ।

एक माननीय सदस्य : आप तो आ गये ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं लाऊं या नहीं यह इतना कीमती मामला नही है । आप पूछ रहे हैं तो कहता हूं कि इस बार सिर्फ बूथ कब्जा नहीं हुआ, इस बार उमीदवार का भी कैप्चर हुआ । (व्यवधान) मैं सन 1940 से सरकारी दमन का सामना करता आ रहा हूं, आपकी पूरी सरकार झूठ बोलेगी तो भी हमारे लोग जान जायेंगे ।

मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि उन्होंने पूछा है । मतदान के रोज तीन बजे सुबह में गिरफ्तार हुआ और नतीजा आने के बाद मैं जेल से निकला हूं । तो वहां पर सिर्फ बूथ का ही नही, कैंडीडेट का भी कैप्चर हुआ । मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जानबूझकर कब्जा करते हैं, तो 1977 में जिन्होंने कब्जा किया, उसका नतीजा उन्होंने 1980 में चख लिया, अब आप 80 में हंस रहे हैं, कल वह खतरा फिर आ सकता है कि वही कब्जा करने वाले आपको हटा देंगे और देश में जनतंत्र खत्म

[श्री भोगेन्द्र झा]

हो जायेगा और आपको हमेशा के लिये पछताना पड़ेगा। सरकार से मेरा आग्रह है कि जो लोग इलैक्शन कमीशन के सामने मुजरिम साबित हो गये हैं, उन्हें नौकरी से मुअत्तिल किया जाये और उन्हें दंडित किया जाये, ताकि जनतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This was discussed threadbar during Half-an-Hour discussion raised by Shri Indrajit Gupta, belonging to your party. It would be a repetition; please go to the next point. You have already exhausted your time.

श्री भोगेन्द्र झा : जिन बातों का गृह मंत्रालय से सम्बन्ध है, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं।

हमने बांडिड लेबर की मुक्ति के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जान-बूझ कर बनाया। चूंकि राज्य सरकारों में सामन्ती और अर्द्ध-सामन्ती तत्वों का अधिक बोल-बाला है, इस लिए वे इस को लागू नहीं करना चाहती हैं। इस कारण एक केन्द्रीय कानून बनाया गया। फिर भी उसका उल्लंघन हो रहा है। क्या गृह मंत्रालय का प्रशासन या आरक्षी विभाग इस कानून को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा? मेरा मतलब है उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही, उन्हें जेल भेजना।

हम जानते हैं कि सारे देश में सूदखोरी कानून का उल्लंघन हो रहा है। सूद 12 परसेंट, और कहीं कहीं 15 परसेंट, से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में 60 परसेंट, 75 परसेंट और 100 परसेंट से भी अधिक सूद लिया जाता है। सारे देश में इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऋण-मुक्ति कानून का उल्लघन करने वाले महाजन को दो साल कैद की सजा मिल सकती है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय द्वारा सारे भारत में एक भी महाजन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? आखिर अमीरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्यों उसको लकवा मार जाता है? क्यों उसके हाथोंमें ताकत नहीं रह जाती है? क्या उसमें एक भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की ताकत नहीं है? उस तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ईमानदारी से समझते होंगे कि वे समाजवाद चाहते हैं। उन्हींको मैं यह कह रहा हूं कि वे प्रयास करें कि ऐसे मामलों में हमारे कानून लागू हों, ताकि देश के आम लोगों को यह विश्वास हो का कानून की नजर में सब बराबर है।

हमारे देश का जो उत्पादक तबका है, वह सब का अन्नदाता है। वहां से भाषण दिये जाते हैं कि गरीबों पर दया करों, मजबूरों पर रहम करो। मैं कहता हूं कि नहीं, वह आपका और हमारा अन्नदाता है, उत्पादक है, वह देश का निर्माता है। दया उसपर कीजिए, जो मुफ्तखोर है, कामचोर है जो कोई काम नहीं करता है और दौलत का मालिक बना हुआ है। जो देश का उत्पादक है, यह देश उसका है। अगर कानून में ताकत है, तो उसको सहारा दीजिए, नहीं तो वह बैठा नहीं रहेगा। कारखाने और खेत में काम करने वाले देश के उत्पादक हिम्मत के साथ बढ़ेंगे। वे जनता कांग्रेस आदि पूंजीवादी नामों के फेर में नहीं पड़ेंगे। वे पूंजीवादी व्यवस्था और सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ेंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम बहुत से लोग इस सदन में नये आये हैं। हम पुराने लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि वे इस देश को और इसदेश के लोगों को किस प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं।

माननीय सदस्य, श्री धनिक लाल मंडल, ने कहा कि कांग्रेस शासन ने आते ही नौ राज्यों को विधान सभाओं को भंग कर दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में ,जब जनता गवर्नमेंट बनी, उस वक्त वह गृह मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर थे। उस वक्त उन्होंने नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया था। तब उनको यह बात याद नही आई। कितनी जल्दी वह इस बात को भूल गये।

उन्होंने यह भी कहा कि वीकर सैक्शन्ज, आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम पिछड़े हुए प्रदेशों के पिछड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते है। सवाल यह है कि ये झगड़े क्यों खड़े हुए हैं।

जब 1975 में बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ तो इस देश के अन्दर पहली बार गरीबों, आदिवासियों और हरिजनों और वीकर सेक्शन के लोगों में एक आशा पैदा हुई मेरे जिले में एक करोड़ रुपये का कर्जा निवारण हुआ था, जिस में जो आम पैदा करते है वह आम जब बड़ा होता है, फल उसमें लगता है तो जिसकी जमीन है, जिस के नाम पट्टा है, कही पाच रुपये या दो रुपये, उस के बाप या बाप के बाप ने कर्ज लिया होगा और पाच या दो रुपये में उस आम को गिरवी रखा होगा उस के बदले में उसकी चौकीदारी वह करता है, खेत का पट्टा उसके नाम है उस का जो कुछ भी देना है, उसे वह भुगतता है, लेकिन जब आम पक जाता है तो वह उस बिचौलिये सेठ के घर में जाता है, उस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर वह जमीन और वह आम उस किसान को दिए गए थे। जनता पार्टी आई वह जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग थे, उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं को चन्दा दिया

था, वोट दिलाए थे, तो उनके राज में फिर से वह उनसे वापस लिए गए, वह भ्राम वापस ले लिए गए, जमीन वापस ले ली गई, कर्ज-निवारण वापस हो गया, इन्दिरा गांधी जी आज जब फिर आई है तो उन में आत्म विश्वास जागा है कि हम पुन: अपनी जमीन लेंगे, अपने आप लेंगे, अपने अधिकार लेंगे। इस बात को लेकर आज ये झगड़े खड़े हुए है। इसके लिए सब से दोषी अगर कोई है तो जनता पार्टी है, जनता पार्टी आदिवासियों और हरिजनों की दुश्मन है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दोष देना चाहते है मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन आदिवासियों हरिजनों और माइनारिटीज को अपने पसीने से सींचा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो खून से सींचने को तयार है यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की भावना है। वह उन लोगों को ऊपर उठाना चाहते है और इस बार के चुनाव में इस लोगों ने अपने थाक वोट इंदिरा गांधी जी को दिए है। उन को यह विश्वास है कि अगर हमारा इस देश में कोई भला हो सकता है हम को कोई ऊपर उठा सकता है तो यह इंदिरा गांधी और कांग्रेस ही उठा सकती है। झूठ बात कह कर के इन लोगों ने 1977 में लोगों को बरगलाया लेकिन आज हरिजन और आदिवासी उन के बरगलाने में नहीं आ सकते हैं। ये बातें जरूर कर सकते है, हाउस में जरूर बाते कर सकते हैं लेकिन उस एरिया में नहीं जा सकते है आज उन के अन्दर यह विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा नेतृत्व सही हाथों में है और हमें जो मौका मिला है उस का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। उन्हें हमारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है।

दूसरी एक बात यह कहना चाहता हूं कि कोई बलात्कार की घटना हो या कोई दूसरी बात हो तो आदिवासी और हरिजन का नाम लेते है। इस देश के अन्दर 16 करोड़ आदिवासी और हरिजन है। मैं पूछना चाहता हूं क्या दूसरे समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? उन की क्यों नहीं बात की जाती है? हमें अफसोस है कि जानबूझकर इस प्रकार उन आदिवासी लोगों में उन गरीबों में यह विचार पैदा करते है कि तुम हमेशा हीन रहोगे। ये अभी भी हीन नहीं है। मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, 87 प्रतिशत लोग वहां आदिवासी है और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह इतनी लड़ाकू कौम है, कि प्रति दिन एक मर्डर वहां होता है। वे तीर चलाने में इतने होशियार है कि बन्दूक की गोली चूक जाती है, मगर उन का तीर नहीं चूकता है। उन में इतना जोश पैदा हो गया है, उन का हौसला इतना बुलन्द हो गया है, मैं बताना चाहता हूं वहां जो मर्डर होते है झाबुआ जिले में, हिन्दुस्तान में नहीं, एशिया में उनका पहला नम्बर है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते है और अधिकारों के लिए मरते है, अपने शोषण के खिलाफ लड़ते है, संघर्ष करते है। तीस साल के भीतर उन के अन्दर यह भावना पैदा हो गई है। इसलिए वे संघर्ष करते है और यह संघर्ष होगा अगर शोषण करने वाले और बेईमान लोग यह कहते रहे कि ये आदिवासी, हरिजन और गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्सी पर नहीं बैठ सकते ये दुकान नहीं कर सकते, ये सर्विस नहीं कर सकते, तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आज उनके अन्दर जागृति पैदा हो गई है।

ऐसे पिछड़े हुए लोगों और पिछड़े हुए जिलों में जो हमारे गृह मंत्रालय ने विशेष योजनाएं लागू की है उस में बहुत सारा धन रखा है लेकिन मैं मांग करता हूं कि वह बहुत कम है, उस को और बढ़ाया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए, उन लोगों को इस देश की प्रगति में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वे सदियों से पिछड़े हुए है, पहाड़ी इलाकों में रहते है। उन्होंने रेलें नहीं देखी बस नहीं देखी, हवाई जहाज नहीं देखें।

जैसे यहां पर बात की गई कि हम टेलीविजन खोलेंगे तो ऐसे जितने कार्य होते है उन को हम शहरों के बजाय जहां पिछड़े लोग रहते है जिन्होंने ये चीजें नहीं देखी है उन के बीच में खोलें। अगर ऐसी जगह पर रेल की पटरियां आप बना दे तो वे लोग खुशी से नाचेंगे, कूदेंगें। अगर हम एक तालाब बना दें तो सारे गांव के लोग उसकी पूजा करेंगे कि इस से हमारी धरती की सिंचाई होगी तो ऐसे काम हम को जरूर लेने चाहिए, तब उन लोगों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, आदिवासियों का विकास होगा और तब हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदिवासियों की उपयोजना बनी है, उसमें पांच साला योजना बताते है। पांच साल के अन्दर कोई रिजल्ट आता नहीं है। हम को कम से कम 25 साल की योजना बनानी चाहिए। जब तक 25 साल की योजना पूरी नहीं होती तब तक उस को चलाना चाहिए। उन का एक रजिस्टर होना चाहिए कि हम ने कितने लोगों को पढ़ा लिखा कर नौकरी में लगाया है। कहां कितना इरीगेशन का रकबा बढ़ा है जब इस प्रकार की योजना होगी तभी आदिवासी और गरीब लोग ऊपर उठ सकेंगे। आज तो जो रिजल्ट आने चाहिए वह नहीं आ रहे है।

दूसरी बात यह है कि जो आदिवासी लोग हैं वे खेती पर निर्भर करते है वे पहाड़ी इलाकों में रहते है और वहां पर जो भी फसल हो सकता है उसको करते है लेकिन उनको उसका सही दाम नहीं मिलता है इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि उनकी मेहनत के अनुरूप उनकी उपज का दाम उनको मिल सके इस बात की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आज जो फाइनेंस

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

प्रोड्यूस होती है, जैसे काजू होता है उसको बिचौलिए लोग उससे नमक के बराबर ले लेते है। इसलिए सरकार को उनके लिये मारकेटिंग की मण्डी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जब तक आप इस प्रकार की व्यवस्था आदिवासी इलाकों में नहीं करेंगे, तब तक आपकी सारी स्कीमें और योजनायें सक्सेसफुल नहीं हो पायेंगी। आज जो पैसा आदिवासियों को मिलना चाहिए वह दूसरों की जेब में चला जाता है। इसलिए मार्केटिंग की, मण्डी की व्यवस्था करके उसकी मेहनत का वाजिब दाम उन को दिलाना होगा। फारेस्ट प्रोडयूस का सही दाम दिलाने के लिए मण्डियों का विकास करना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि सर्विस वाली जो बात है, अभी तक हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से जो सर्विस में हमारा कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। पता नही क्या कारण है कि 33 साल के बाद भी आज तक आप हरिजन आदिवासियों को बाबू तक नहीं बना पाए है यह एक विचारणीय प्रश्न है क्या एक हरिजन आदिवासी बाबू का काम भी नहीं कर सकता है?

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : First they should be given special training to pass the examination.

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हो सकता है उसकी उतनी नालेज न हो पाई हो कि ऊंची डिग्रियां लेकर आई० एस० आई० पी० एस० और सेन्ट्रल सर्विसेज में आ सके इस बात को हम कुछ हद तक मान भी सकते है—लेकिन क्या ये हायर सैकेन्ड्री पास बाबू और टीचर भी नही बन सकता है? दुर्भाग्य से वहां पर भी उस का कोटा पूरा नही हो रहा है। जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर्स है उनमें भी उसका कोटा पूरा नही है। इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्री जी को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। आज जितने रजिस्टर रखे जाते हैं और जो इन्वायसेज होती हैं उन में यह बात कह दी जाती है कि हरिजन, आदिवासी कांपिटेन्ट नहीं मिले इसलिए दूसरे लोगों को ले लिया जाए। इसको रोकने के लिए सख्ती के साथ कानून बना कर उसको लागू करना होगा कि इतने परसेंट हरिजन आदिवासियों की भर्ती अनिवार्य होगी।

" अभी मैंने यहां पर बाबू की बात की अब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखना होगा। इस देश में गवर्नर होते है और इस देश से बाहर राजदूत बनाकर भेजे जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी आदिवासी कहीं ऐसी पोस्ट पर नहीं है। अंग्रेज लोग इस देश में कहा करते थे कि भारत के लोग राज नहीं कर सकते हैं। इस देश में इन्दिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और जिस तरह से इस देश को कन्ट्रोल किया उसकी दूसरे लोगों ने भी तारीफ की। हरिजन आदिवासियों को भी अगर मौका दिया जाए तो वे भी राज करके दिखा देंगे। आपने महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ी होगी, भील और आदिवासी लोगों ने खुद को कटा दिया था लेकिन देश पर कोई आंच नहीं आने दी थी। इसलिए अगर उन को मौका दिया जाए तो वे भी काम करके दिखा देंगे।

मैं एक बात पुलिस भाइयों के बारे में कहना चाहता हूं हम लोग पुलिस के बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन पुलिस भी हमारा एक समाज है। अगर किसी परिवार में एक भाई नेता बन गया, एक भाई पुलिस कमिश्नर बन गया और एक भाई थानेदार बन गया तो यह भी हमारे समाज में हो सकता है। हम सब को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश की प्रगति कैसे हो, देश का उत्थान कैसे हो।

आज एक कान्सटेबल है, जो अंग्रेजों के जमाने की 10-10 किलो की बन्दूकें लेकर मीलों पैदल चलता है। हमारे देश ने साइंस और इनोलाजी में इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन हम अभी तक उस बन्दूक को हल्का नही कर सके है। वे लोग भी हमारे आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक है, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के बारे मे भी सोचना चाहिए जो गरीब है, पुलिस में हमारे कान्सटेबल जो मीलो पैदल चलते है, उनके लिए कोई मोटर नही है, कोई गाड़ी नही है, पहाडों पर चलते है, उनके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी जो सारी सुख सुविधायें हैं, हमें उनकी और भी ध्यान देना चाहिए। जो पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें अच्छी बातें है, उन बातों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू करना चाहिए, यह मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने उन की मांगों को मान लिया, तो वे ईमानदारी के साथ काम करेंगे और इस देश का सही तरीके से संचालन होगा।

अब मैं कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं हम चाहे जितने बड़े अधिकार लोगों को दें, लेकिन हमें उतनी ही बड़ी सजा भी देनी चाहिए। हम एक साधारण आदमी के लिए कानून बनाते है, लेकिन इस कानून की परिभाषा से बड़ा आदमी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको किस रास्ते से निकलना है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा आदमी हो उसको उतनी बड़ी सजा देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जनता पार्टी के राज में जितनी पुलिस के अन्दर भर्ती हुई है उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया फिक्स किया था, वह यह किया था कि जो आर० एस०एस० के स्कूल में जाता है, उसको हम पुलिस में भरती करेंगे, अन्दरूनी तरीके से। इसलिए जो लोग घुसे हुए है, वे जान-बूझकर जगह-जगह दंगे और फसाद करा रहे हैं। मैं माननीय होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ काम करते है, उनको निकालने के लिए यदि हमें कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े तो वह भी हमें उठाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन को सर्विस से भी निकाल देना चाहिए। मैं खासतौर से मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के चीफ-मिनिस्टर ने कहा कि इन-इन लोगों को थानेदार में लेना है, और इन-इन लोगों को कान्स्टेबल में लेना है। एक बाबू था, जो आर० एस०एस० का ट्रेनिंग स्कल चलाता था, उसका एक कलेक्टर ने इन्क्रीमेन्ट रुकवा दिया। वह भोपाल गया और दूसरे दिन ही उस कलेक्टर का बोरिया-बिस्तरा गोल हो गया और उसको टेलीफोन से कह दिया गया कि तुम्हें आज ही इस जगह पर जाकर ज्वाइन करना है। इस प्रकार शासन चलता था। ये लोग फिर इस देश में दंगा फसाद पैदा करके, इस देश को तबाह करके वही राज्य कायम करना चाहते है।

मैं एक बात भगत साहब की फिर दोहराना चाहता हूं। इस देश की जनता ने कांग्रस (आई) पार्टी को दो-तिहाई मेजोरिटी दी है, हमें इस देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह देश तरक्की करेगा और वे एक सुव्यवस्थित शासन इस देश को देंगी। मैं माननीय होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि देश में कालाबाजारी करने वाले, गुण्डागर्दी करने वाले, बेइमानी करने वाले जो लोग हैं, यदि उनको किसी भी कानून से बन्द करना पड़े तो उसको करना चाहिए इस काम को करने के लिए हिन्दुस्तान की जनता आपका स्वागत करेगी और हिन्दुस्तान की जनता आपको बधाई देगी।

इस देश में न शुगर की कमी है, न तेल की कमी है, न घासलेट की कमी है, जितना चाहो दरवाजे के पीछे से ले लो। लेकिन देने के लिए उनका दिल नहीं है। बेईमानों के खिलाफ अगर होम मिनिस्टर कानून बनायेंगे तो यह सदन उन का पूरा समर्थन करेगा और देश की जनता उनको बधाई देगी।

मैं अधिक वक्त न लेते हुए आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया। माननीय मंत्री जी ने जो मांगे यहां पर प्रस्तुत की हैं, वे अवश्य स्वीकार की जानी चाहिएं और यह देश श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इन शुभ कामनाओं, आशा और विश्वास के साथ समाप्त करता हूं।

SHRI B. K. NAIR (Quilon) : I am standing here to support the Budget and all the demands made by the Home Ministry.

I was listening to the speech made by Shri Niren Ghosh with all the fury and fire that he could emit. It is quite obvious that the Opposition parties here have reason to be so full of chagrin and anger about the situation that now obtains here. Before the elections they were expecting something different. Their calculation was that the Congress (I) would be routed and that with some sort of combination they will come to power. People were against it. The people voted otherwise. So, they have reason to be disappointed entirely and wholly. I can quite understand the fury, the criticism coming from the other side, although it is entirely without any sort of basis.

Shri Niren Ghosh was calling for some sort of mass revolution which is about to take place in this country. Perhaps, he was expecting that his own party was growing in power—extending from West Bengal to Kerala and Tripura and then it will strengthen by itself and they will one day capture power at the centre. But he is living in a dream world. That sort of thing is not going to come about in this country because we know the background of the people, the traditions of the people and the culture of the people. Our people are not so violently inclined. That sort of revolution is not going to take place.

There are certain situations and certain problems which should be the concern of all of us. I may take them one by one. Assam situation is one which has a considerable ground for concern. Assam situation has been there for a long period of time. Perhaps, many factors have contributed to the development of the situation. The Assam people, the people in the entire North Eastern Region area, are feeling that they have been alienated. Proper development has not taken place. On the economic front they have been neglected. It is their legitimate demand. I had an occasion to go to those areas and I saw the people and the miserable condition in which they live. That will certainly provoke anger and disgust. So far, most of them are living on petty cultivation. Their food is only some rice or some other corn and pork. They wear clothes made by themselves on handlooms. They have hardly any industry. There are hardly any roads. No developmental activity has taken place. They feel that they do

[Shir B. K. Nair]

not form part of the mainstream. They feel alienated. At the same time foreign agents are very active in that area, supported by certain tendencies, certain elements/ certain forces who are undermining the attachment and the emotional integrity that these people in the entire area should have to the mother land, bit by bit. I am referring to the activities of those elements. The Churches are actively engaged in converting people. I /can quite understand a man voluntarily converting himself and accepting another religion. But the first step in the process of conversion is subversion of one's own religion. Many of the people are some sort of Pagans but they are Hindus to the core. The first step in converting them is to subvert their faith in the traditional religion. And Hinduism is identified with India. That sort of subversion therefore means subversion of their faith in the country and love for the country. This is what it ultimately comes to. I /am sure many of the foreign missionaries are engaged in this sort of work. When I went there, I found a good many people were feeling that they were more attached to America than to India. They do not feel that they are Indians. They/do not care for India.

17. hrs.

By slow inculcation of this spirit of alienation, the people are getting farther and farther away from their motherland. So, these agencies are certainly to be curbed. Otherwise, we will find one day that the entire area is lost to/ us culturally and emotionally and we will have no control over them. With all this the situation need not arouse any sense of despair. We have had occasions in the past to face this sort of trouble. On one occasion, we had the Telengana agitation. On another occasion we had the Maharashtra agitation. Gujaratis and Maharashtrians were fighting each other and burning each other's houses. But in course of time, these wounds were healed by the process of persuasion. The situation in Telangana also was brought under control in course/of time and the wounds were healed. Therefore, I am sure, the present attitude and approach of the Central Government is the only way to bridge the gulf between the Assam people and the rest of India. The process of time and the process of /soft-pedalling and soft handling alone will solve the situation.

Assam is but only one of the trouble spots. There are certain other trouble spots also where too some people feel that they do not form part of the mainstream. I am referring particularly to/West Bengal, Tripura and Kerala. The developments in these States are very strange. These States have come together in a sort of sub-federation. Recently there was a circular issued by the Chief Secretary to the Kerala Government to the officers saying that whatever developments/are taking place in Kerala should be intimated to West Bengal and similarly, whatever developments are taking place in West Bengal should be intimated to Kerala. Some sort of undertanding or alliance or federation is being formed by these three Governments. This is very dangerous/ and the Central Government should take note of it. We should see the way in which the administration is being carried on. I will give one instance. As soon as Shrimati Indira Gandhi was restored to power immediately after the recent elections, the West Bengal / Government took three steps. The first was to repay overdrafts amounting to about Rs. 26 crores to the Reserve Bank. Another step was that Shri Jyoti Basu called upon the block officers to prepare accounts for whatever amounts they had received for flood relief/two years ago. For crores of rupees received from the Centre, no proper accounts were sent. Out of fear that the new Government at the Centre may take some steps against West Bengal, Shri Jyoti Basu called upon the officers to prepare some sort of/accounts to send them to the Centre. The third step was, the police were called upon to round up all the outlaws and criminals who apparently had been let loose on the people till then. Now, what were these criminals and outlaws doing in the/ countryside ? These people had been let loose to canvass support for their party candidates in the parliamentary elections. And obviously it was as a result of this that many of the members on the opposite side have been elected. These criminals and outlaws were rounded/up out of fear that the Centre might intervene because the law and order situation has become worse. In Kerala also a similar thing took place. Immediately after the present Government in the State came to power, the jails were opened and the latest information is/that about 400 criminals who had served 8 years in jail were released and let loose on the people. And now they go about looting and murdering people. During the past few months, not less than 200 murders have taken place in Kerala and not less than 300 temples have been looted. The police are restrained and are not free to act. Hardly any arrest has been made so far. The Chief Minister goes about saying. that the old criminals have nothing to do with these crimes, and none of them has been arrested. In fact, they have started organising the police into two associations—the constables' association on the one side and the officers' association on the other.

These associations are fighting against each other. So much so, the officers are reluctant to pass orders. Mr. T. K. Ramakrishnan, the Home Minister, goes in a procession led by the policemen shouting 'Inqlab Zindabad, T. K. Ramakrishnan Zindabad'. Inspectors are afraid of passing orders because nobody bothers. I asked a question in the Parliament the other day as to how many temples have been looted. The reply was that only 9 temples had been looted. But the press reports say that not less than 300 temples have been looted. The Chief Minister is on record saying why should the police bother about temples; the Gods are all powerful, they should be able to guard themselves. Mr. N. K. Krishnan who is incharge of Temple property and Endowments says that he does not believe in Gods—he is a Marxist—and that he is not supposed to be guardian of these institutions. With this sort of provocation, with this sort of inducement, crimes are taking place on a much larger scale than ever before. This is the situation in Kerala and West Bengal. The Chief Minister of Tripura has been on record saying that he had secret talks with the tribals and latter on, we found that massacre had taken place and so many people were murdered. Yesterday, we had the experience here in Parliament. A question was asked about North Bengal. The Minister of State for Home Affairs pleaded his inability to secure any kind of reply from the West Bengal Government. He said that he had sent so many telegrams to the West Bengal Government but they did not care to reply. Similarly, I am also in the same difficulty. After getting reply to my question that only 9 temples were looted, I wanted to pursue the matter further because the newspaper report's says that not less than 300 temples were looted. But the State Government do not send any reply. They say : why should the Centre send any q estion to them and why sho ld they reply ? In actual fact, these Governments are always on tenter-hooks.

In Kerala, there are other developments. I was mentioning about the number of murders that have taken place. Right in daylight, Government officers have been stabbed to death. Other party workers are being killed. If a Cong(I) worker is killed they say that he was an RSS man. They kill a man and call him an RSS man and no further inquiry is made, no arrest is made. They talk of crimes in Delhi. The atmosphere all over Kerala is much more tense. Everybody here in Parliament is afraid of mentioning about Kerala or West Bengal because they claim to be separate from India. They claim they can go on asking for relief money and all forms of assistance but no accounts should be asked for from them. That is the position. The people of Kerala feel that the limit has been reached, the limit of tolerance and patience has been reached. Many organisations have called for agitations. Demonstrations are taking place for protection against the criminals.

I was trying to mention certain things concerning freedom fighters. I have been receiving many complaints that the freedom fighters are not getting their due. I raised the question here. I also wrote to the officers of the Department conncerned. They say that under such and such clause or provision they are not entitled. We have a situation in Kerala where we are asked to produce a co-prisoner's certificate saying that the applicant had been in jail for six months continuously along with him. At this time, after a lapse of 30 years to call upon a man to produce that certificate is asking for too much. Another practical difficultyis that in those days Travancore was ruled by the Dewan Sir C. P. Ramaswamy was Aiyer. He was a very clever man. His men would not arrest satyagrahis, but would take them a little distance away, give them blows and then send him back.

MR. DEPUTY SPEAKER : Who was the Dewan ?

SHRI B. K. NAIR : Sir, C. P. Ramaswamy Aiyer. He would not jail a man, but the police would take him 15 or 20 miles away, give him blows and then release him. This continued for many days and no proper records were kept in jail or elsewhere. So, certificate of that kind is impossible to be produced.

In my constituency, Quilon, my predecessor was Mr Srikantan Nair. He was in the committee for sanctioning these pensions. I did not want to mention his name, but I have been receiving numerous complaints that just because of political differences he used to endorse applications coming from non-RSP men or Congress men, with the result that so many people have not got their pensions. I am sorry, this sort of rule is being strictly adhered to in spite of the fact that they are entitled to get pension on the basis of the sacrifices which they had made at that time and that they are denied of this little benefit. And so, I would request the Home Minister to examine the case for relaxation of the rule regarding co-prisoner's certificates in respect of all those people who cannot produce such certificates.

One more point I would like to mention and that is about the Indian Administrative Service people. This Service is an important service. But at the same time the importance of this Service is too much exaggerated. As it is, they are all-pervasive and they are posted everywhere whether it is an industrial establishment or anything else. They are controlling everything and that situation is not conducive to satisfaction in the lower ranks. The technocrats

[Shri B. K. Nair]

complain that they do not get opportunities because of these people dominating. When one IAS man leaves his post, another of the same cadre comes in his place. This situation is arising out of the monopoly of the IAS people. In spite of other people having capabilities, these IAS people are placed in all jobs. In many positions, administration is not the main thing. Technical management may be needed, but the talents of the technical people are not being utilised. They are all brought under the control of the IAS people who may not be the best candidates for filling those posts. This will have to be examined. I have come across a lot of discontentment from the side of the senior people in the industrial establishments and technical and scientific organisations.

Sir, with regard to Centre-State relations, that is another subject that has been covered in this Report. Anybody who is talking about Centre-State relations with the object of weakening the Centre to any extent will be doing a great disservice to the country. In spite of the fact that we have been free for 30 years and more, have we developed a sense of nationhood so far, a sense of integration ? No. All sorts of fissiparous tendencies and disintegrating forces are there. Anything will cause a conflagration, but there are no centrifugal forces so far developed. Any propaganda or claim under any guise whatsoever to weaken the Centre will be doing a disservice to the country. What is the ground on which they ask for revision of Centre-State relations? Maybe they want more powers for development. But let me ask them a question. Punjab and Haryana are the most prosperous States in the Country, and they have been working under the same Constitution, within its limits. Nor have they been unduly blessed with Central assistance any more than Kerala or West Bengal. Still they have thrived and prospered. Sir, it all depends upon the State Government's intrinsic devotion to the State and concern for the peoples interests and welfare. The Centre-State relationship question is now being raised because they are interested in pointing an accusing finger at the Centre all the time. They are themselves weak, incapable of administration, and they want to put the blame on the Centre. In Kerala, they were saying that a delegation was going to Delhi and that something would come out of it. Everybody knows that Cadburys have enjoyed monopoly in cocoa. What have the State Government done all these years ?

SHRI R. P. YADAV (Madhepura) : When important matters are being discussed in the House, there is no quorum.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have noted your point. Sometimes Members are unable to be present. You yourself may not be able to be present on some other occasion. You have got every right to press your point, but I am making a request to you that it is not necessary.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS(SHRI P.VENKATASUBBAIAH): He i an old Member of this House. I am not disputing his right, but I am only saying that the Deputy-Speaker can request him not to insist on this. If he insists, the Deputy-Speaker can direct the bell to be rung. If you stand on technicalities, we are not going to object.

SHRI R. P. YADAV : I am pressing my objection. There should be quorum.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The quorum bell is being rung.

Now, there is quorum. The hon. Member may continue his speech.

SHRI B. K. NAIR : I was submitting just now that when a State Government asks for more powers and raises the question of centre-State relationship and puts up the plea that the developmental works are not being taken up because the Centre is not extending the necessary assistance, they are only trying to cover up their own weaknesses. With all the limitations that we have in the matter of Centre-State relations, States like Haryana, Punjab and Maharashtra have prospered. It is not a question of the Centre being more powerful. It is only because of lack of political will and lack of honesty in administration at the State level that the States, which are weak and which have inhibitions, are pointing their finger to the Centre saying that the Centre is not doing anything. The State Governments in such cases are just evading their responsibility.

There is one more point. We all realise that the crimes are being committed and that they are on the increase in some places. But, Sir, is it that the police and the laws alone will take care of crimes ? Do we not have our hands in it, thought not in a direct way? The politicians may not commit crimes, but are they not shielding the criminals at one time or the other. Do we not propagate communalism ? We do, and more so at the time of elections. If a criminal belongs to my party, I try to shield him. If he belongs to some other party, I will throw him to the police. If only the politicians, as a class, withdraw their support, both at the time of elections and otherwise, to the criminals, the number of crimes will certainly come down.

If the police are committing any crimes, they deserve double punishment, a more severe punishment than ordinary citizens. We should all withdraw the political support to the criminals. I will give one or two instances. When Shri Morarji Desai was here, a question was raised about the increase in crimes and he gave a cold

reply : "Look here, this is nothing. Look at the developed countries like United States of America, where every four minutes, a man is being killed. Be patient, it is all right in our country." There was another occasion, when the former Home Minister, Mr. Charan Singh was asked about atrocities on Harijans and he said : "A village consists of so many Harijans and so many non-Harijans, the latter out-numbering the former by such and such a proportion and on this basis, the number of Harijans killed is so small, in the sense that on the basis of numbers non-Harijans could have killed many more Harijans." That sort of an attitude to crimes will not do. That has to undergo a change.

What happened during the Janata regime ? Just to deify Shri Jayaprakash Narayan, they brought all the smugglers, dacoits and criminals to the Express Towers where he was staying. The papers were full of them saying, so and so, Haji Mastan, for instance, had been converted into an honest man; that just because of the influence of Shri Jayaprakash Narayan, all the criminals and dacoits of Chambal Valley have become honest men. What was the result of that ? The criminals got acceptance in society ; the crime was accepted as if they had a right to commit crimes. It was made out that they had indeed made a sacrifice and came to the fold of honest men. All support from politicians as such to criminals and crimes has to be withdrawn. Hereafter, we should not shield criminals on political considerations. Only if we politicians withdraw support to criminals, I am quite sure that the degree of crimes will certainly come down and we will have a more peaceful life.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) . उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 33 साल के बाद जब मैं अपने देश की जनता की जो तस्वीर है और जो देश में वातावरण है उस को देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है । आत्मा में ग्लानि पैदा होती है और मन रोता है । हमारे देश को बहबूदी, यहां की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए, उस का अध्ययन करने के लिए सुदूर देशों से लोग यहां पर आया करते थे लेकिन उस की आज क्या दशा है ? जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है हम गरीबो के गर्त्त में जा चुके हैं। यहां की सभ्यता और संस्कृति की बात मैं कहूं तो आप को ताज्जुब होगा, आज का अखबार आप ने देखा होगा और एक जमाना वह था बौद्ध युग में जब कि दूर-दूर के आदमी यहां तहजीब, सभ्यता और संस्कृति सीखने के लिए आया करते थे । आज केन्या की तीन छात्राओं के घरों में घुस कर के बदमाश उन को लूट कर ले गए । जब इस तरह की खबरें अखबारों में निकलती हैं तो देश और विदेश में इस का क्या प्रभाव पड़ता है, इस का आप अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं । आजादी के 33 साल के बाद यहां की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, रोज इस सदन में उसे उठाया जाता है । अखबारों के पेज के पेज और कालम के कालम, कोई दिन नहीं जाता होगा जब मरे न रहते हों । हमारे देश में नारी जाति का एक बहुत ही ऊंचा स्थान रहा है, उस की मर्यादा, उस का मान सम्मान करना हर भारतवासी का कर्त्तव्य रहा है । लेकिन आज जब नारी जाति का सरे-बाजार और सरेआम अपमान हो, उस की बेइज्जती हो, उस की अस्मत लुटे और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे, तो ऐसी व्यवस्था पर अफसोस करना ही पड़ेगा । दिल्ली जो इस देश की राजधानी है और यहां पर राष्ट्रपति से ले कर प्रधान मंत्री तक पूरी सरकार, सेना के तीनों अंगों के मुख्य लोग रहते हैं । जब यहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं घटती हैं और सरकार उसका कोई उपाय नहीं कर पाती तो यह भी मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है ।

इस सदन में इन मांगों के ऊपर चर्चा करते समय मेरे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है । यहां पर उन लोगों की जो पद दलित कहलाते है, जो दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं, कहीं उन को हरिजन कहा जाता है, कहीं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता हैं, उनकी भी चर्चा अक्सर आई है । क्योंकि मैं एक शोषित समाज से सम्बन्ध रखता हूं इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि यह भयंकर स्थिति है, इस के ऊपर अगर शीघ्र ही काबू नहीं पाया गया, इन समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि स्थिति विस्फोटक बन जाय । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की समस्याओं को साल्व करने से पहले हमें इन की जड़ों में जाना पड़ेगा जिन के कारण उन के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं । मेरे बहुत से साथियों ने आर्थिक स्थिति को इस का सब से बड़ा कारण बताया है । लेकिन मैं कहता हूं कि आर्थिक स्थिति तो है ही, इस से भी भयंकर स्थिति यह है कि यहां पर जो धार्मिक ग्रन्थ हैं जिन में इस देश के अन्दर आदमी आदमी में फर्क किया गया है, आदमी आदमी में घृणा पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ऊंच-नीच, छोटे-बड़े और जात-पात का प्रचार करते है इसलिए उन पर बन लगाना चाहिए । अगर सरकार बैन लगाने में असमर्थ है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन धार्मिक ग्रंथों से उन अंशों को निकाल दे जोकि जात-पांत और ऊंच-नीच का जहर फैलाते हैं क्योंकि हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ हैं और यहां पर छोटी बड़ी तमाम जातियां हैं । बहुत से दूसरे मुल्कों में विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, सब कुछ है, वहां पर इन्सान से इन्सान नफरत नहीं करता है लेकिन

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

हमारे देश में इन्सान से इन्सान नफरत करता है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में तथाकथित उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही कुरूप हो, गंवार हो, अपढ़ हो, बदमाश हो, उसको हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है और जो लोग तथाकथित छोटे कुल में पैदा होते हैं वे चाहे कितने ही विद्वान हों, कितने ही पढ़े लिखे हों, उनको सदैव हीनता की दृष्टि से देखा जाता है । इस प्रकार की जो भावना धार्मिक ग्रथों के द्वारा पैदा की गई है इसको दूर करना होगा ।

जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, यह सही है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग आज बहुत ही गरीबी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं । हमारे देश में भूमि-सुधारो की अत्यन्त आवश्यकता है । जब तक भूमि सुधार नहीं होंगे और भूमि का उचित बटवारा नही होगा, तब तक यह स्थिति दिन प्रति दिन बिगडती ही जायेगी । पिछले 33 सालों में सरकार को कम से कम इस बात पर जोर देना चाहिए था कि भूमि का बटवारा समानता से हो जाए । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज भी इस देश में ऐसे परिवार हैं जिनके पास हजारों एकड जमीन है जबकि दूसरी तरफ बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास एक इंच जमीन भी नही है ।

एक चीज इस देश में अधेरे में चल रही है जिसकी तरफ शायद सरकार का ध्यान नही गया है । देहातों मे जों मकान हैं उनका कहो कोई लेखा-जोखा नही है, कही उनकी कोई एन्ट्री नही है । जहां जिसकी मर्जी होती है मकान बानव लेता है । नतीजा यह होता है कि जो बैकवर्ड और अछूत लोग हैं, जो कि किसी बडे जमीदार के यहां आते जाते है, उसकी जमीन पर कूड़ा डालते हैं तो झगडा होता है । जब मामला अदालत या पुलिस में जाता है तो पुलिस भी असमर्थ होती है, उनकी कोई मदद नही कर पाती है । अछूतों पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं उन मामलो की ज्यादातर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नही होती है । अगर दर्ज भी की जाती है तो नान-काग्निजेबिल आफेन्स में दर्ज की जाती है और कहा जाता है कि यह कोई जरूरी नही है कि पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए जाए । इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी गम्भीर समस्यायें हैं, कुछ ऐसी परेशानिया हैं जिन पर हम सभी माननीय सदस्यों को राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना होगा ।

इस देश में 25 प्रतिशत लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं लेकिन आज तक हमने क्या प्राप्त किया है ? मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1947 को यह देश आजाद हुआ था उस समय इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग थे, उनका क्या प्रतिशत था और आज उनका क्या प्रतिशत है ? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज इस देश में 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं । आज तक हमने क्या पाया है ? आपने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है ? उन गरीबों, मजदूरों के लिए जो कि गावों में रहते हैं, जोकि फैक्टरीज में, कल कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए आपने क्या किया है ? एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर हम खुल्लम-खुल्ला समाजवाद की धज्जियां उडाते हैं । आप इस सरकार को राय दें कि वह उन लोगों के भविष्य के लिए कुछ करे ।

मैं चन्द सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो इण्डियन पीनल कोड है, वह मैकोले के जमाने में बना था और उस जमाने की परिस्थितियों के अनुकूल बना था, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था । आज इस इंडियन पीनल कोड में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है । इसका प्योर भारतीयकरण करना चाहिए आज का जो माहौल है, वह इसको नही चाहता है, इसलिए इसका नवीनीकरण करना चाहिए । मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज कमीटेड थी, हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है, जिसकी इस देश की जनता ने चुना है, जो इस देश के प्रति कमीटेड है, उसने वायदा किया है, उसने वचन दिया है, उसने संकल्प लिया है कि वह इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश के लोगों की उन्नति के लिए, इस देश के विकास के लिए काम करेगी । इसलिए . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Shailani you want the Indian Penal Code to be changed into Independent India's Penal Code ?

SHRI CHANDRA PAL SHAILANI : Yes, Sir. Thank you.

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज के समय को देखकर, आज के वातावरण को देखकर इस तरह के कानून बनाये जाय, ताकि देश की तरक्की हो ।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं । हमारी सरकार गरीबों के लिए खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत जोर शोर से चिल्लाती है । उसने बड़े-बड़े वायदे किए हैं, बड़े-बड़े अच्छे कानून बनाए हैं, बड़े-बडे अच्छे काम किए हैं, बड़े-बडे नाटक किए हैं और यह सिर्फ किताबों और फाइलो व मंत्रालय तक ही सीमित हैं । हम यह चाहते हैं कि आप जितना कहें, उतना करें, जिसको आप नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं कहना चा

केन्द्रीय सरकार में 12 प्रतिशत रिजर्वेशन है, राज्य सरकारों में 18 प्रतिशत रिजर्वेशन है, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 3 प्रतिशत भी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकारों की नौकरियों में 6 प्रतिशत रिजर्वेशन भी पूरा नहीं हुआ। कानून के पुलिन्दे के पुलिन्दे बनते चले जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, नाटक किया जा रहा है और बड़े-बड़े बहलाने के काम किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितना सरकार कर सकती है, उतना करे और जो नहीं कर सकती है, उसका प्रोपगेंडा करना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि यह रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए।

जहां तक पुलिस का सवाल है, उसमें होता यह है कि जहां पर जुल्म और अत्याचार होते हैं, पुलिस निकम्मी और निठल्ली बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से जुल्म और अत्याचार होते हैं, कभी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचारों की बाढ़ आती है, कभी बलात्कार की बाढ़ आती है, कहीं नौकरियों में अपमान किया जाता है, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं इसके लिए हमको कोई प्रभावी ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचार की बात है मैं चाहता हूं कि हर जिले में कम से कम एक डी० एस पी० रैंक के अफसर के तहत स्पेशल पुलिस की व्यवस्था हो और उनके साथ कम से कम 10 आदमियों की टीम हो, जिसमें इन्सपैक्टर, सब-इन्सपैक्टर, कान्सटेबल, हैड कान्स्टेबल रैंक के लोग हों और इनके साथ एक एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी जुड़ा हुआ हो। जहां इन लोगों पर अत्याचार हो उन पर जल्दी से जल्दी पुलिस कार्यवाही करे, रिपोर्ट दर्ज करे और उस मैजिस्ट्रेट द्वारा जल्दी से जल्दी फैसला सुना दिया जाए। इसके अलावा हर जिले में मोबाइल कोर्टस भी बहुत जरूरी है। जहां तक मेरी अपनी बात का सवाल है, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने भूमिहीनों को जमीनें दी हैं, वे कागजों तक ही सीमित हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन अफसोस तो यह है इनमें से अधिकांश काम ऐसे हुए हैं जो कागजों तक ही सीमित हैं।

पहले तो वहां पर जमीनें मिली ही नहीं हैं, अगर मिली भी हैं तो कब्जा नहीं दिलवाया गया है और इस तरह के झगड़े पैदा हो गये हैं, जिन को लैंड डिस्प्यूट्स कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन झगड़ों को निबटाने के लिये अलग से स्पेशल कोर्ट्स और सेल्स बनाये जाने चाहियें।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जिन-जिन विभागों में रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, वहां स्पेशल रिक्रूटमेन्ट होना चाहिये, खास तौर से पुलिस में स्पेशल रिक्रूटमेन्ट होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में कैसे सुधार हो, हम ने जड़ को अभी तक पकड़ा नहीं है, असलियत को नहीं देखा है। इस मुल्क की जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उस का 80 प्रतिशत नौकरों को तनख्वाहों पर खर्च होता है और नौकर कितने हैं—इस देश की जितनी आबादी है, उस का 5 प्रतिशत सरकारी नौकर हैं। इस देश के राजस्व का 80 प्रतिशत नौकरों पर खर्च हो जाता है, देश के विकास के लिये, सोशल वेलफेयर और दूसरे अच्छे कामों के लिये धन कहां से आये? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सरकार देखे और इस में सुधार करे ताकि जनता को उस का लाभ पहुंच सके।

अन्त में, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—वह इस समय गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जिस पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे, जिस की शोभा किसी समय पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने बढ़ाई थी और जिस की शोभा किसी समय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बढ़ाई थी। ये वे नेता हैं जिन के ऊपर हमारे देश को गर्व है। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे-ऐसे काम किये जिन को देश हमेशा याद रखेगा . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are leaving the Janata Home Minister.

श्री धर्मपाल शैलानी : आज उस कुर्सी पर ज्ञानी जैल सिंह जी विराजमान हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी नीयत, उन का कार्य, इस गौरव को मेन्टेन कर सकेगा या इन को गर्क मे डालेगा। यह ये जाने, इन का मन जाने, इन का धर्म जाने, इन का काम जाने।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jai Ram Varma.

You can complete your speech by 6 p.m. You are complaining that you are not given a chance.

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं और माननीय गृह मंत्री जी को उन के उन तमाम प्रयासों और कार्यों के लिये जो देश के ज्वलंत प्रश्नों को हल करने के लिये मुस्तैदी और नेकनीयती के साथ कर रहे हैं, बधाई देता हूं । मुझे पूरी उम्मीद है, उन के प्रयास सफल होंगे और देश के वे ज्वलंत प्रश्न हल होंगे ।

इधर और उधर के सदस्यों की बातों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी इस बात को मानते हैं कि इस समय देश के सामने तीन ज्वलंत प्रश्न हैं । एक—हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा—महिलाओं और देवियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन के शील को भंग किया जा रहा है और तीसरा ज्वलंत प्रश्न है—हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में जो खराब स्थिति है, बिगड़ती हुई स्थिति है—उस का समाधान। इन तीन ज्वलंत प्रश्नों पर सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी इन प्रश्नों को हल करने में एक मत दिखाई पड़ते हैं । सब की यह राय मालूम पड़ती है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिये सभी अपना सहयोग देने को तैयार हैं । मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर हमारे देश के सभी राजनीतिक दल इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिये नेकनीयती से तैयार हों, तो फिर इन प्रश्नों के हल होने में क्या कठिनाई हो सकती है । मैं मानता हूं कि ये प्रश्न कैसे हल किये जाएं, उन के तरीके में भिन्नता हो सकती है, अन्तर हो सकता है लेकिन सभी चाहते हैं कि ये प्रश्न हल हों और मैं कहता हूं कि अगर यह हमारे हरिजन भाईयों, महिलाओं और देश के पूर्वी और उत्तरी भाग के निवासियों को यह बात मालूम हो जाए कि हमारे देश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर एकमत हैं कि इन ज्वलन्त प्रश्नों का हल निकालना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि जिस दिन यह बात मालूम हो जाए कि सभी इस में सहमत हैं, उसी दिन आधे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे और कठिनाइयां दूर हो जाएंगी लेकिन असलियत यह है कि उन लोगों के दिलों में यह बात बैठ नहीं पाती है कि सभी एकमत है, सभी एक राय के हैं और सभी इन प्रश्नों को हल करना चाहते हैं । हमारे तरीकों में जो थोड़े-थोड़े से भेद हैं, उन भेदों को इतना उछाला जाता है, इतना बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है कि इन लोगों के दिलों में यह बात बैठती हैं कि ये सब एक नहीं हैं और यह बात उन को मालूम होती है कि केवल कहने भर की यह बात है और दिल से यह बात नहीं कही जाती है । अगर सब लोग दिल से यह बात कहें, तो फिर कठिनाई हल होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से और सदस्यों से इस बात के लिए अपील करना चाहता हूं कि जो हम यह कहते हैं कि हम इस मामले में एक हो जाएं, सचमुच में हमें एक हो जाना चाहिये । हम सब एक राय के हो जाएं, तो प्रश्नों का हल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी और इस देश के ज्वलन्त प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे और फिर अपने देश को ऊपर उठाने और विकसित करने में हमें प्रयास करने का मौका मिलेगा ।

श्रीमन्, मैं पहले हरिजनों के प्रश्नों पर आता हूं । हरिजनों के साथ जो ये ज्यादतियां होती हैं, जो अत्याचार होते हैं, वे अगर गौर से देखा जाए, तो उन का हल केवल कानूनी ढंग से या जोर-जबर्दस्ती से नहीं होने वाला है । हमारे जो हरिजन या जनजाति के लोग हैं, उन की आर्थिक स्थिति खराब हैं और वे काफी परेशानी में रहते हैं । उन की आर्थिक स्थिति का खराब होना सीधा सम्बन्ध रखता है, उन ज्यादतियों के साथ जो उन के साथ की जाती हैं और अगर हमें हरिजनों के प्रश्नों को हल करना है, तो यह जरूरी है कि उन की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, जो उन के सामने कठिनाइयां हैं, उनका हल निकाला जाए । अगर उस का हल निकालना है, तो हम सभी लोग सचमुच में दिल से इस बात को मान लें कि हरिजन भी हमारे बराबर हैं, उन को भी मानवीय अधिकार हैं हमारी तरह से आराम से रहने के लिए, तो फिर इन प्रश्नों के हल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी । जो हमारे कानून की दृष्टि है, जिस तरह से कानून ने हम सब को बराबर कर रखा है, असलियत यह है कि सभी लोग अपने को उससे सहमत नहीं कर पाए हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों की विचारधारा उस के अनुरूप परिवर्तित नहीं हुई है, उस में तब्दीली नहीं हुई है जिस की वजह से अगर हरिजनों को उठाने की कोशिश की जाती है, जनजाति के लोगों को उठाने की कोशिश अगर की जाती है, तो कुछ लोग उस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन में जलन पैदा होती है और इस जलन के कारण ही उन के साथ ज्यादतियां होती हैं । इसलिए उन के आर्थिक प्रश्न हल हों और दूसरे लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आए । केवल आर्थिक प्रश्न ही न हल हो पाएं बल्कि विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए क्योंकि अगर यह परिवर्तन नहीं आया तो झगड़े बराबर होते रहेंगे । इसलिए इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि विचारों में परिवर्तन हो और उन के आर्थिक प्रश्न भी हल हों ।

मैं इस बात को बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री ने इन के आर्थिक प्रश्न को हल करने के लिए, उन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरह की कुछ गाइडलाइन्स स्टेट्स के गवर्नर्स को और दूसरे बड़े अधिकारियों को दी हैं, अगर सचमुच में वे उनको टालने की कोशिश न करें और जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, उनके प्रश्नों को हल करते रहें तो ये प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं ।

जहां तक बोन्डेड लेबर का प्रश्न है, उनको खेत में मिनिमम वेजिज मिलने चाहिएं । जो जमीन उनके पास हैं और दूसरे लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको उस पर रहने नहीं देना चाहते, इस प्रश्न को भी अगर ठीक से देखा जाए और इन मामलों में जो झगड़े होते हैं उनके बारे में भी अगर हमारे जिला अधिकारी सचत रहें और बराबर इस बात को देखते रहें कि कौन-सी जगह है जहां पर इस तरह के झगड़े पैदा होते हैं, इस तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, वहां पर उन प्रश्नों को तुरन्त हल करने की कोशिश करें । जब वे ऐसा करेंगे तो जो इस तरह की ज्यादतियां करने की गुंजाइश जो पैदा हो जाती है वह नही पैदा होगी । ऐसे मामलों में जब थोड़ी लापरवाही हो जाती है तो वे मामले बढ़ते जाते हैं और वे आगे भीषण रूप अख्तियार कर लेते हैं ।

इसी तरह से हमारे हरिजन भाई उचित मजदूरी मांगते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ठीक मजदूरी मिलनी चाहिए और वे चाहते हैं उनका उनकी जमीनों पर कब्जा बना रहे । ऐसे मामलों में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका जब वे विरोध करना चाहते हैं तो ऊची जाति के लोगों को वे पसद नही आते हैं । इसी तरह से हरिजन महिलाओं के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है । जब वे उसका भी प्रतिरोध करने को तैयार होते हैं तो उसको भी वे पसन्द नही करते है । इसलिए नही करते है कि उनके दिल नही बदले है, परिवर्तित नही हुए हैं । इस तरफ भी कोशिश होनी चाहिए ।

हरिजनो की पढाई के लिए जो वजीफे दिये जाते हैं, उनको जो किताबें दी जाती हैं, उनके लिए जो स्कूल खोले जाते हैं, पुस्तकालय स्थापित किये जाते हैं, उनके खाने के लिए अच्छे साधन किये जाने हैं इस मामले में भी गड़बड़ होती है । जो उन्हें थोडी-सी स्कारशिप दी जाती है बहुत-सी पाठशालाओं के अध्यापक अभी भी इस तरह के हैं जो इस चीज को ठीक से नही देखते हैं और उस थोड़ी-सी छात्रवृत्ति की रकम में से भी वे कुछ काटने की कोशिश करते है । अगर हमारे अधिकारी सचेत रहें और जिसके बारे में भी शिकायत मिले उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाए तो इस तरह के काम करने की किसी में हिम्मत न हो । ये जो थोड़ी सी सुविधाएं हरिजनों को मिलती हैं यदि ये ही ठीक से उन्हें बराबर मिलती रहें तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में थोड़ी मदद मिल सकती है ।

हरिजनों का जो रिजर्वेशन मुकर्रर है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए । इसमें अभी बहुत कमी है । इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको उचित ढंग से रिक्रूटमेंट करके पूरा किया जाए । बहुत दिनों तक इसको पूरा करने का इंतजार नहीं करना चाहिए । बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं होता तब तक उनकी परसेन्टेज को बढ़ा कर भी उनका कोटा जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए । खासकर जो पुलिस विभाग है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो परसेन्टेज है, उतना ही नही बल्कि ज्यादा परसेन्टेज में भर्ती करके जल्दी से जल्दी उनका कोटा पूरा करना चाहिए । ताकि वे भी दूसरों के बराबर की स्थिति में हो जायें । इस बात की कोशिश करनी चाहिये ।

हरिजनों के अलावा बीकर सेक्शंस और दूसरे गरीब तबके के लोगों का भी सवाल है जो गांवों में रहते हैं । उनके बारे में भी इस तरह का ख्याल रखना चाहिए । जो आदिवासी या जनजाति के लोग हैं वे तो हैं ही और जो दूसरे कमजोर वर्गों के लोग हैं उनका भी इस मामले में ध्यान रखा जाना चाहिए । उनको भी उठाने की, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश होनी चाहिए तो ये मसले जल्दी हल हो जाएंगे । फिर जब मौका मिलता है हरिजनों के साथ हुई ज्यादती की बात को उठाने का तो उसको बहुत उछालने की कोशिश की जाती है । जिस तरह से उसको हल करने की कोशिश की जानी चाहिये उस तरह से उसका हल करने की कोशिश नही होती है । आप बुरा न मान तो मैं एक बात कहना चाहूंगा । जब उसको उछाला जाता है तो उसके पीछे नेक नीयती उस समस्या को हल करने की दिखाई नही देती है बल्कि उससे राजनीतिक लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है, उसकी फिक्र ज्यादा रहती है । राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से आप उस समस्या को कभी भी हल नही कर सकते हैं ।

इस मौके पर हमारे जो पत्रकार हैं, पत्रों के प्रतिनिधि है उनसे भी मैं एक अपील करना चाहता हूं । इस प्रकार की सूचनाएं जब उनके पास आती हैं तो बहुत जिम्मेदारी से इन पर विचार करके और तथ्यों का पता लगा कर के फिर उनको अपने अखबारों में छापना चाहिये । बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि गलत खबरें छप जाती हैं और उन से बड़ा नुकसान होता है, बहुत उससे हमारे देश को हानि भी होती है और हो रही है । इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से ऐसे मसलों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिये । इस दृष्टि से कि इस तरह की खबरें आम तौर पर लोग पढ़ना चाहते हैं इस वास्ते उनको छाप देनी चाहिये, ठीक नहीं है । छोटे अखबार इस तरह की खबरे छाप कर कोशिश कर सकते हैं उनके अखबार ज्यादा बिके लेकिन उनका असर इतना नहीं होता है । बड़े अखबारों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है इस वास्ते उनको और भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिये और

[श्री जयराम वर्मा]

देखना चाहिये कि उनके अखबारों में इस तरह का खबरें न छपे जिन की तस्दीक न हुई हो, और हर तरह की खबर को वह सही मान न लें । कभी कभी गलत बातें भी छप जाती हैं । अभी कुछ अखबारों में ऐसी खबरें छपी थीं जो बाद में निराधार और बेबुनियाद निकलीं । लेकिन वे खबरें छप गई और उन्होंने जो जहर फैलाना था फैला दिया, जो नुकसान करना था कर दिया । बाद में अगर कंट्रडिक्शन भी हो जाता है तो भी जो गांठ बध जाती है वह पक्की बंध जाती है और मामला बिगड़ जाता है ।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है हमारे देश की यह परम्परा रही है और यह कहा जाता है कि जहां स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहां देवताओं का निवास होता है । यह हमारे देश की विचारधारा रही है । आज इस तरह की बात हो, उनके साथ इस तरह से ज्यादती हो, उनके खिलाफ इस तरह के कुकृत्य किए जाए. यह सब के लिए शर्म की बात है और इससे हर किसी का शर्म से सिर झुक जाता है । लेकिन उनकी समस्याओं को जिस तरह से हल करने की कोशिश होनी चाहिये उस तरह से नही हो रही है । इनकी समस्याओं को उछाल कर नही बल्कि दिल से हल करने की कोशिश होनी चाहिये । पुलिस वालों की इस मामले में बडी भारी जिम्मेदारी है । इन चीजो को देखने के लिए उनका स्टैंडर्ड जरा कुछ ऊंचा होना चाहिये ..

MR. DEPUTY SPEAKER : Are you concluding your speech ? Or, do you want to speak further ?

श्री जयराम वर्मा : अभी नही । मुझे और समय चाहिये ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : Sir, it was decided in the Businesss Advisory Committee that we can go beyond 6 O' clock. Many members on this side and on the other side have to participate in the discussicn. We can sit beyond 6 o' clock also..

PROF. N. G. RANGA : Let him speak on monday.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : Let him speak otherwise how can everybody be accommodated ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is the House deciding to sit further ?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : It was decided by the Business Advisory Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How long?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : Up to 7 O' clock we can sit .

MR. DEPUTY-SPEAKER : One hour- it is all right, You may please continue.

18 hrs.

श्री जयराम वर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि महिलाओं के प्रश्न को हल करने के लिये जरूरी है कि पुलिस विभाग में और सुधार किया जाये । हमारी पुलिस जरा और ऊंचे स्टैंडर्ड पर आ जाये, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिये कि उनके दिल में गरीबों के प्रति, महिलाओं और बच्चो के प्रति एक आदर की भावना पैदा हो जिससे जब इस तरह की कोई बात हो तो वह ईमानदारी के साथ, नेकनीयती के साथ इस प्रकार के मसलो को हल करने की कोशिश करे और लापरवाही न करे ।

यह प्रश्न एकदम पैदा नही हो गया है, यह बहुत पहले से हमारे देश के सामने है । इन मामलों में लापरवाही हुई है, उनको ठीक से देखा नही गया । आज यदि कोई एक मामला पैदा हो जाता है तो हमारे साथी बड़े जोरों के साथ अपनी बात कहने को तैयार हो जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह की चीजें उनको बहुत खलती हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये ।

लेकिन इसके पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी इससे भी बड़ी-बडी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमने देखा कि उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई हल करने की कोशिश नही की गई । इस तरह की कोशिश की गई कि वह घटनाएं लोगों के सामने आयें ही नहीं, उन पर पर्दा पड़ जाये । परिणाम यह होता था कि पुलिस वालो की तरफ से ज्यादती होती रही और दूसरे लोगों की तरफ से भी ज्यादती होती रही । जब जुल्म करने वालों को सजा नही दी जाये तो उनको जुल्म करने के लिये प्रोत्साहन मिल रहा था । इस तरह के खराब लोग जो समाज को गिराना चाहते हैं, उनको मौका मिल रहा था और वह इस तरह की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते रहे । इसलिये यह मसला नया नही है, पहले से ही चला आ रहा है और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि इधर जो कोशिश अब हो रही है उसके अच्छे परिणाम जल्द सामने आयेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कोशिश जारी रहेगी और उधर के लोग अगर इस मामले में साथ हों जाय तो फिर इस प्रश्न को हल करने में देर नहीं लगेगी, मसला आसानी से हल हो जाएगा ।

हमारे देश के पूर्वी-उत्तरी भाग का जो प्रश्न है, जहां पर एक तरह से यह कहा जा सकता है

कि वहां आग लगी हुई है, इस तरह की स्थिति हमारे देश के एक हिस्से में फैलती हो, जहां डिस-एन्टेग्रेशन का डर हो, जहां विदेशियों को लाभ उठाने का मौका हो, घुसपैठ करने वालों को मौका हो, जहां पर इस तरह के आन्दोलन शुरू हो जाने से हमारे भाषायी अल्पसंख्यक या दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक या दूसरे प्रदेशों के जो वहां रह रहे हैं, वह खतरे में पड़ जायें, हमेशा वह खतरे की जिन्दगी व्यतीत करें, ऐसी स्थिति हो जाये तो सबकी जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे किसी राजनीतिक दल के लोग हों। यह देश का प्रश्न है, किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी चाहिये कि इस तरह की बात न हो।

सभी इस बात को मानते हैं इसका कि हल राजनीतिक है, कोई केवल जोर-जबरदस्ती से मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए सब मिलकर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें तो हमारे देश का बड़ा कल्याण होगा।

कभी कभी कुछ लोग यह कहते है कि कांग्रेस की सरकार इसको हल करना नहीं चाहती लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार इस क्यों नहीं हल करना चाहती कांग्रेस सरकार की अपनी नीति है वह इस बात को मानती है कि अगर हमें शांति लानी है, देश का विकास करना है, तो हमको धीरे-धीरे अपने काम उसी तरफ ले चलन होंगे। गांधी जी की यह फिलासफी थी, उनका यह सिद्धान्त था कि उस तरफ हमको धीरे-धीरे चलना होगा। हम चूंकि शांति लाना चाहते है, विकास करना चाहते है, जो हमारे गरीब भाई वहां के निवासी, मूलवासी परेशानियों में है, उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं ताकि वे आराम से रह सकें, एक-दूसरे के साथ प्रेम से रह सकें, वह स्थिति हम लाना चाहते हैं इसलिये धीरे-धीरे हम उस तरफ चलना चाहते हैं जिससे वह स्थिति पैदा हो। हम क्यों चाहेंगे कि वहां अशान्ति रहे, क्यों चाहेंगे कि वहां झगड़ा बना रहे? हम तो इस सिद्धान्त के मानने वाले नहीं है कि क्यास में कोई चीज पैदा हों सकती है जो समझते हैं कि क्यास से, अशांति से चीज पैदा होगी, वह तो इस बात को कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो मानते ही नहीं कि क्यास से, अशांति से कभी शांति पैदा हो सकती है, वह क्यों इसके करने को कोशिश करेंगे?

हम शांति और विकास की तरफ जाना चाहते हैं देश के प्रश्न को करने की तरफ जाना चाहते है तो उस तरफ हमारा कदम धीरे-धीरे चलना चाहिये, उसके खिलाफ हम क्यों जायेंगे? अगर हम खिलाफ जायेंगे, तो अपने गंतव्य और अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकेंगे। गांधी जी हमेशा इस बात को मानते थे कि जिधर हमको चलना है, धीरे-धीरे उधर चलना होगा।

इसलिये इस हिस्से के प्रश्न को हल करने के लिये सरकार, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की तरफ से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर यह सभी राजनीतिक दल के लोग, जो कहते है कि राजनीतिक तौर पर यह मसला हल होगा, और समझते है कि हल होना चाहिये, मजबूती से कह दे कि यह प्रश्न हल होना चाहिये,तो प्रधानमंत्री और और गृह मंत्री के प्रयास सफलीभूत होंगे और ये सब मसले हल हो जायेंगे। पार्टियों के मतभेदों से लाभ उठाकर कुछ लोग उनको उकसाते रहते है, जिससे मामला बिगड़ रहा है पार्टियों में एकमत होने से उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं की जायेगी, यह प्रश्न हल हो जायेगा और देश के उस हिस्स में आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम आदि में उत्पन्न विस्फोटक स्थिति में सुधार होगा।

यह बात सही है कि वहां के मूल निवासि। की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसको सुधारन की आवश्यकता है। अगर सरकार की तरफ से उन्हे यह आश्वासन दिया जाये कि उनके हक कोई दूसरा नहीं छीनेगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनकी ट्रेडीशन्ज और संस्कृति की रक्षा की जायेगी, जिसके लिये प्रयास हो रहा है तो वे लोग मान जायगे। अगर वहां के लोगों को सदबुद्धि आये और यह झगड़े बन्द हो जायें, तो कई तरह की योजनाओं के द्वारा उस क्षेत्र का विकास तथा सुधार किया जा सकता है। मैंने देखा कि कार्य-दल की सिफारिशो के आधार पर कृषि विभाग ने कृषि फिशरीज और वनों आदि के विकास के लिये कई नई योजनाओं को हाथ में लिया है। अगर वहां ये झगड़े होते रहे, तो इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं उठा सकेगा और वहां की स्थिति और भी खराब हो जायेगी।

वहां के झगड़ों की वजह से देश के दूसरे हिस्सों को नुकसान हो रहा है। आज रिफाइनरीज बन्द पड़ी हुई है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों में अनुशासनहीनता पैदा हो गई है। वे भी ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हे कुछ लोगों से मदद मिलती रहती है। इस स्थिति में वे बेजा फायदा उठाने की कोशिश करते है। अगर वहां के निवासी, विद्यार्थी संगठन और गण संग्राम परिषद टैबल पर बैठ कर बातचीत के द्वारा इस मामले को हल करने के लिए तैयार हो जाय, तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा और देश के दूसरे हिस्सों को जो हानि हो रही है, वह भी बन्द हो जायेगी, देश के सब लोग मिलकर तेज गति से विकास की तरफ बढ़ सकेंगे और हम फिर मजबूती के साथ दूसरे देशों के सामने खड़े हो सकेंगे।

1980 के शुरू में जो चुनाव हुए उन में देश की की जनता ने कांग्रेस (आई) को इतने बड़े बहुमत से जिता कर यह प्रकट कर दिया कि जनतांत्रिक तरीकों में उसका विश्वास है। उनके दिलों में यह

[श्री जयराम वर्मा]

इत्मीनान पैदा हुआ कि देश की महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री है। उन के दिल में इतमीनान हो गया कि अब देश में एक मजबूत हुकूमत एक स्थिर हुकूमत कायम हो गई, अब देश के सभी मसले हल हो जायेंगे। ये जो उन की आशाएं और भावनाएं हैं ये पूरी हो सकें, यह प्रयास होना चाहिए। यह बात सही है कि जब एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वह मजबूत होगी, मसलों को हल कर सकेगी। उन लोगों के मसलों को हल करने में कोई कठिनाई पैदा हो, उनके किसी काम से, इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि और मैं सभी राजनैतिक दलों के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन अत्यन्त ज्वलंत प्रश्नों को हल करने में, जिस तरह की बातें वे यहां करते हैं, उसी तरह नेकनीयती से और ईमानदारी से उसी तरह का प्रयास भी वे करेंगे जिस से हमारे देश के प्रश्न हल हों और हमारे गृह मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जो इस देश को सुखी और शांत बनाने में सफल हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

18.10 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before I call the next here. Member to speak. I have got to make a some observations.

The Committee on subordinate legislation in their Twelth Report (Fifth Lok Sabha) had recommended that Notifications making changes in export duties, major changes in procedures and changes in import and Central Excise duties involving revenue of more than Rs. 50 lakhs per annum, if issued before 6 p.m. on a day should be laid on the Table of the Houses of Parliament on the same day. This recommendation was reiterated by the Committee in their Twenty-first Report (Sixth Lok Sabha) presented to the House on 17 May, 1979. TheNotifications included in to-day's Supplementary List of Business involve revinue of more than Rs. 50 lakhs. The Notifications have been issued to-day and the Deputy Minister of Finance has sought permission to lay them on the Table to-day. These notifications have been allowed to be laid in pursuance of the Committee.

Shri Maganbhai Barot may now lay the papers.

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGNABHAI BAROT) :

I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(1) Notification No. 144-Customs/80 and 145-Customs/80 published in Gazette of India dated the 19th July, 1980 together with an explanatory memorandum regarding exemption to Diammonium Phosphate and Ammonium Nitro Phosphate from basic and auxiliary duties of customs when imported for use as manure or in the production of complex fertilizers. [*Placed in Library. See.* No. LT-1106/80]

(2) Notification No. 146-Customs/80 and 147-Customs/80 published in Gazette of India dated the 19th July, 1980 together with an explanatory memorandum regarding exemption to Muriate of Potash from basic and auxiliary duties of customs when imported for use as manure or in the production of complex fertilizers [*Placed in Library, See.* No. LT-1107/80)].

18.14 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

श्री बलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा जो मांगें रखी गयी हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। गृह विभाग के अन्तर्गत जो यह सब-प्लान आते हैं उसके सम्बन्ध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। सन् 71 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो हिन्दुस्तान में बतायी गई वह 3.80 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 6.94 प्रतिशत है और इसी तरह से अनुसूचित जन-जाति की जो जनसंख्या बताई गई है वह 4.11 करोड़ है जो देश की जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र का जो उत्थान हो उसमें इन वर्गों को भी लेकर हम आगे बढ़ें। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सब-प्लान पांचवी पचवर्षीय योजना में रखा गया था उसमें यह नियम रखा गया था कि जहां की आबादी 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की होगी उसी में यह लिया जाएगा। अपने बजट में यह दर्शाया गया है कि 70 करोड़ रुपया जो उनके लिये आंका गया है यह बहुत काफी रुपया है। सारे हिन्दुस्तान के जो ऐसे खण्ड थे और जो नान-शेड्यूल एरियाज को शेड्यूल एरिया में आपने जोड़ा है उसको देखते हुए यह अन्दाजा लगाया

जा सकता है कि वह राशि बहुत कम है। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 350 करोड़ रखे गए हैं, उसमें 250 करोड़ की वृद्धि हो रही है, इस तरह से 750 करोड़ की योजना है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 300 करोड़ की योजना रखी गई है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आर्थिक दशा अनुसूचित जनजाति की है वह बहुत गिरी हुई है इसलिए अनुसूचित जाति के लिए जो 750 करोड़ की योजना रखी गई है उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए भी 750 करोड़ की योजना रखी जाये। तभी हम उनके उत्थान की बात सोच सकेंगे।

मैं गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट से कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1979-80 में जो नौकरियों में इनका प्रतिशत रहा वह इस प्रकार है :

प्रथम श्रेणी : अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत के स्थान पर 4.75 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.49 प्रतिशत रहा।

द्वितीय श्रेणी : अनुसूचित जाति का 7.37 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 1.03 प्रतिशत।

तृतीय श्रेणी : अनुसूचित जाति का 12.50 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 3.11 प्रतिशत।

चतुर्थ श्रेणी : अनुसूचित जाति का 19.32 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 5.19 प्रतिशत।

इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है उस पर सही ढंग से विचार करना होगा। या जो सब-प्लान बने हैं, पंचवर्षीय योजना में जो सब-प्लान का ढांचा बनाया गया है उसका रूप बदलना चाहिये। हमारे जितने सब-प्लान्स बने हैं वहां पर प्रोजेक्ट आफिसर्स रखे जाते हैं। सारे देश में हमारे हरिजन भाइयों के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, उनके उत्थान के उद्देश्य से जो बहुद्देशीय सहकारी समितियां बनी हैं वह लगभग 2400 सहकारी समितियां सारे देश में काम कर रही हैं, उनका जो काम है हरिजन आदिवासियों को जो अपलिफ्ट करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके ढांचे और स्वरूप को बदलना होगा।

आजकल आये दिन जो हम देखते हैं कि हरिजन आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं इस सम्बन्ध में हमको राग द्वेष और राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में विचार करना होगा और यह सोचना होगा कि हम इसका निराकरण कैसे करें। देश के कम से कम 11 राज्यों में ऐसे सेल बनाए गए हैं और एक दो राज्य निरीक्षण करा रहे हैं तथा चार राज्यों ने इसकी जानकारी लेकर इनके लिए अलग से न्यायालय बनाए हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अस्पृश्यता निवारण के लिए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत और नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय की स्थापना की है। जो अनटचेबिलिटी है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हमें बड़े गौर से देखना होगा तभी इस सम्बन्ध में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं।

आज जनजातियों की जो आर्थिक दशा है वह बहुत गिरी हुई है। मैं यहां पर मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां पर जो फारेस्ट प्रोड्यूस है, उदाहरण के लिए जो साल सीड होता है जिससे तेल निकाला जाता है, उस को ठेके के माध्यम से खरीद लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जो सहकारी समितियां बनी हैं उनके माध्यम से इसकी खरीददारी की जाये। आदिवासी लोग जोकि जंगलों में रहते हैं वे साल सीड इकट्ठा करते हैं लेकिन साहूकार लोग 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उनसे साल सीड ले कर डेढ़ रुपये प्रति किलो के भाव पर शासन को दे देते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो योजनायें बनी हैं उन पर जब तक आप पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, बहुत सी जमीनें जो सीलिंग में निकली थी उनको हरिजनों में बांटा गया था। जो शासकीय जमीनें हैं उनके वितरण के लिए भी कानून लागू करना होगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का एक कानून बना था कि 1959 के बाद आदिवासियों की जमीन अगर ले ली गई है, उसकी सेल-डीड हुई है या मार्टगेज किया गया है, उसके बाद जो भी हस्तांतरण हुए हैं मध्य प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 170-ए के अन्तर्गत ऐसी जमीनें वापिस कर दी जायें। लेकिन आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही जनता प्रशासन आया, उसने इसको बन्द कर दिया, इस कानून और नियम को भंग कर दिया और जितने साहूकार और सेठ थे, आज वे हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जहां पहले कोआपरेटिव सोसायटीज या दूसरे ऐसे संस्थानों के माध्यम से सामान दिया जाता था, अब उन पर यह दबाव डाला जाता है कि हमसे खरीदो। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषि के मामले में और औद्योगिक संस्थानों के माध्यम से भी देखें---हिन्दुस्तान को आजाद हुए 33 वर्ष हो चुके हैं, आपने कितने लाइसेंस हरिजनों, आदिवासियों को स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए दिए हैं? उनकी इकानामिक कण्डीशन तभी अच्छा होगी जब हम उनको स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज देंगे और बैंकों के माध्यम से उनकी

[श्री दलबीर सिंह]

कर्ज दिलायेंगे । आप उनको मछली पालन और दूसरे कुटीर उद्योगों में लगायें--जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं चाहे शासकीय हों या आशसकीय, उनमें उनको नौकरी नही मिलती है । आप हमारे शहडोल में देखिए वहां एक "ओरिएन्ट पेपर मिल" की स्थापना हुई थी । वहां सभी आदिवासी की जमीनो का लैंड एक्वीजीशन किया गया, उसके बदले में उनको कोई कम्पेन्सेशन नही दिया गया । यह नीति भी तय की गई थी कि जिनकी जमीन ली गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, चाहे उसका नाम एम्प्लाइमेंट के दफ्तर में रजिस्टर हो या न हो, लेकिन इस नीति का भी पालन नही किया गया और उनके लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहा 15 कोल माइन्स हैं, जहां पर आदिवासी निवास करते हैं । उनकी बहुत सी जमीनें ओपन-कास्त मे चली गई है और वे आज भिखारियो की तरह से भाग रहे हैं, परन्तु उनको कम्पेन्सेशन नही मिला । मेरा आपसे निवेदन है कि उनको कम्पेन्सेशन दिलाया जाय तथा उस नीति के अनुसार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मे प्राथमिकता दी जाय ।

आदिवासियो के लिए रक्षात्मक उपाय होने भी बहुत आवश्यक हैं । जो आदिवासी हिन्दुस्तान मैं निवास करते है, वे स्लागन लगाना नही जानते, कोई नारा लगाना नही जानते, वे चाहते हैं कि हमारा भी विकास हो । आज बहुत आदिवासी नवयुवक पढ-लिख गये है, अच्छे-अच्छे टेकनीशियन हैं, वे जिस स्तर की नौकरी चाहते हैं, वह उन को नही मिल पाती है । इस लिए मै निवदन करना चाहता हू कि जो आकडे मुझे गृह विभाग से प्राप्त हुए है, वे सतोषजनक नही हैं । आदिवासियो का यदि आप को सही रूप में उत्थान करना है तो इन के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम बनाये । इस के साथ ही छठी योजना में जो उन के अपलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है वहा पर सब-प्लान में ऐसे लोगो को रखे जो उस कार्य मे रुची रखते हो, गाव मै रहना जानते हो और रहने के लिए तैयार हो । प्राय: यह होता है कि सब-प्लान में ऐसे लोगो को रख दिया जाता है, जिन की उस काम मे रुचि नही होती हैं । रुचि रखने वालो को डेपुटेशन न दे कर दूसरे अधिकारियो को भेज दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ है । वहा पर पचासो सब-प्लान चल रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रुचि न लेने वहां पर जिस तरह से उन का उत्थान होना चाहिए था, वह नही हो रहा है । इस लिए में निवेदन करुगा कि जो कार्यक्रम आदिवासियों और हरिजनों के अप-लिफ्ट के लिए है, वह रचनात्मक ढंग से बनाया जायें और चलाया जायें ।

मेरा गृह मंत्री जी से यह निवदन है कि 1953 में जो काका कालेलकर आयोग स्थापित हुआ था, उसकी सिफारिशों को दृष्टि में रखकर हरिजनों के अपलिफ्ट के लिए जो समिति बनी थी, उसका कार्यकाल मार्च, 1980 तक बढ़ा दिया गया है इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वह रिपोर्ट जल्द आनी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत हरिजनों तथा आदिवासियों का उत्थान होना चाहिये ।

आप ने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और गृह मंत्री जी का भी अभारी हूं कि उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए 7 5 करोड रुपयें का प्रावधान किया है । मैं आशा करता हू कि आदिवासियों के लिए जो 3.5 करोड़ रुपया रखा गया है उसको बढा कर 7.5 करोड़ कर देगे तभी हरिजनो और आदिवासियों का एक साथ विकास होगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सवाल उठाना चाहता हूं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जहा तक मेरी जानकारी है, सरकार उस पर विचार भी कर रही है । वह सवाल है--स्वतन्त्रता सेनानियो का । हमारे देश के प्रेरणा-स्रोत स्वतन्त्रता सेनानियो की भूमिका बताने की आवश्यकता नही है । उन्ही की भूमिका की वजह से हम यहा मौजूद हैं और अभी भी 4 लाख स्वतन्त्रता सेनानी जीवित है, जिनमें एक लाख 20 हजार के करीब सेनानी ऐसे है, जिनको सरकार पेन्शन दे रही है । खैरियत है कि जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, नही तो वह बन्द ही कर देती . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have raised this point earlier also many times, I think this is the fourth time that you are raising it.

श्री रामावतार शास्त्री . मैं इसी लिए उठा रहा हूं कि सरकार शीघ्र कोई निर्णय करे । सरकार ने उनकी दो बातें तो मान ली हैं--पेन्शन का नाम बदलकर "स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेन्शन" कर दिया है । हमारी ऐसी मांग भी थी और उनको ताम्र पत्र देने का फैसला भी किया है ।

इस सदन में और उस सदन में मिलाकर 225 के लगभग सदस्य ऐसे हैं जो स्वतन्त्रता सेनानी रह चुके हैं, हम सबकी यह मांग है कि पेन्शन की राशि जो आप 200 रुपए दे रहे हैं, वह इस महंगाई के जमाने में कुछ भी नहीं है, इसमें वृद्धि की जाय और इसको 500 रुपया कर दिया जाये ।

दूसरी मांग यह है--आपका नियम है कि 3000 रुपया जिनकी वार्षिक आय हो उनको पेन्शन नहीं दी जाती है । अब यह सीमा उठा लेनी चाहिये, क्योंकि जब आप सम्मान कर रहे हैं तो इसमें सीमा क्यों ? दूसरे किसी के साथ सीमा नहीं है आप भूतपूर्व संसद् सदस्यों को पेंशन देते हैं, उनके साथ सीमा नहीं है, लखपति भी ले सकता है और बेरे जैसा गरीब भी ले सकता है, तब फिर इनके लिए सीमा क्यों ? इसको उठा दीजिए ।

तीसरी बात--अभी बहुत से सेनानी बूढ़े हो गये हैं, लेकिन उनको यह पेन्शन नहीं मिल रही है । कारण यह है कि उन्होंने समय पर अपनी दरख्वास्त नहीं दी थी । एक बार अगर आप उनको मौका दे दें, तो इसमें क्या हर्ज है ? उनको एक बार और मौका दे दीजिए । जो सेनानी दिवंगत हो गये हैं यदि पति जिन्दा है तो 200 रुपए, लेकिन मरने के बाद उसकी पत्नी को 100 रुपया देते हैं। यह फर्क नहीं होना चाहिये, इस अन्तर को मिटा दीजिए । जितना आप सेनानी को देते थे, उसकी विधवा पत्नी को भी उतना ही दीजिए । कुछ और कैटगरीज के लोग भी बचे हुए हैं । उनकी सेवाओं पर भी गौर कीजिए और उनको भी पेंशन दे दीजिए । 15-20 वर्ष से ज्यादा कोई भी सेनानी जिन्दा नहीं रहने वाला है तो उनको क्यों महरूम करते हैं ।

सेनानियो के सवालों पर हम आपसे बात कर सकें, अपनी राय दे सकें--इसके लिए आप सेनानी-संसद् सदस्यों की एक कमेटी बना दें तो उससे आ को बहुत मदद मिलेगी ।

जो जाली सेनानी हैं--उनकी पेन्शन बन्द होनी चाहिये, हम भी इसके हक में हैं । जाली सेनानियों का पता लगाने के लिए हर राज्य में सेनानिकों की कमेटी बना दीजिए, ताकि वे लोग इस काम में सरकार की मदद कर सकें । इसी तरह से जिन सच्चे सेनानियों की पेंशन बन्द कर दी गई है, जिन जाली सेनानियों की बन्द की गई वह तो ठीक है, लेकिन जो सच्चे लोग हैं या किसी दुश्मनी की वजह से किसी ने चिट्ठी लिख दी, उसके आधार पर बन्द कर दी गई, उनको आप ठीक से जांच करवाइये ताकि उनक कठिनाइयों दूर हो।

मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर विचार हो और शीघ्र निर्णय लिया जाय । इससे सेनानी आपको बराबर याद रखेंगे, वैसे भी आपको याद करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने उनको पेन्शन दी है । परसों या जब भी मंत्री महोदय जवाब दें, इन सवालों में से कुछ पर तो ऐलान कर ही दिया जाय । ताकि हमारे जैसे सेनानियों को संतोष हो और पूरे देश में जो चार लाख सेनानी हैं उनके दिल में यह भरोसा हो कि सरकार हमें भूली नहीं है, हमने जो देश की सेवा की है, हमारी सेवा भी सरकार करने को तैयार है, हमारी खोज-खबर लेने को तैयार है । तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब देते समय इन बातों का एलान करें ताकि हमारे जो सेनानी बचे हैं जो अभी जिन्दा हैं, वे देशवासियों को प्रेरणा देते रहें कि देश की एकता, समाजवाद और जमूहरियत की नीति पर चलें और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करते रहें ।

इन शब्दो के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बाते कहने का मौका दिया ।

PROF. N. G. RANGA ((Guntur) : Sir, let me add my word of support to the demands prsented before the House by my friend, Shri Shastri. I am all in favour of it, except one thing, Members of Parliament should not be asked to decide who should not be given. We should be asked to decide who should be given.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I have not said like that. I have only suggested a committee should be formed, so that the Government may take our views into consideration. The Government will decide ultimately.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों की पुष्टि में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं ।

सर्व प्रथम माननीय गृह मंत्री, श्री जैल सिंह जिस ज्ञान, शक्ति और सूझबूझ से गृह मंत्रालय को चला रहे हैं, उस के लिए मैं उन का अभिनन्द करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, 'गृह' कहते है 'घर' को । घर के अन्दर हर व्यक्ति यह चाहता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी न हो । गृह की मलाणी होती है स्त्री, जो घर को चलाती है । उस के सामने बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं दाल, आटे, चने और गुड़ की । उस की पूर्ति घर का मालिक पति करता है । फिर भी शिकायत वह शिकवा रहता है । भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ता है, बाप-बेटे से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ता है । बर्तन भी आपस में ठनकते हैं, टूटते है, फूटते हैं और फिर आपस में प्यार भी होता

[आचार्य भगवान देव]

है । ठीक इसी प्रकार से यह राष्ट्र है, जो हमारा घर है और उस की मालिक प्रधान मंत्री हैं और गृह मंत्री हमारे माननीय जैल सिंह हैं । इन के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, झगड़े टंटे की बात आती हैं । ये बाते आदिकाल से हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है । यह कर्म-भोग चक्र है जो इन्सान को घुमाता रहता है । यह चाहते हुए भी कि समस्याएं पैदा न हों, फिर भी वे पैदा हो जाती हैं क्योंकि कर्म का जो भोग है, वह इन्सान को घुमाता रहता हैं । ठीक इसी प्रकार से हम भी नही चाहते, विरोधी दल के लोग भी नही चाहते, परन्तु जिस ढंग से विरोधी पार्टियों के नेताओं ने गृह मंत्रालय की आलोचना की है, मैं उस से सहमत नही हूं । क्यों ? इसलिए कि उन की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है । एक कहावत है, "मुख मे राम, बगल में छुरी" । विरोधी पार्टियो का जितना भी टोला है, उन के मुख में तो राम है पर बगल मे छुरी है इन की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है । यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । मुझे यदि समय होता, तो मैं एक एक पार्टी और एक एक मेम्बर की कलई खोल कर रख देता । . . . (व्यवधान) . . . . कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । इस समय इन की बैंचेंज खाली हैं क्योंकि इन की दुकान का दिवाला निकल चुका है । बागपत की बात करते हैं और बागपत प्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह हाउस मे हाजिर नही । बागपत की चर्चा हुई और उस पर वे बोले नही । हाउस छोड़ कर के चले गये और बाहर जाकर के प्रेस वालो से मिल कर के वे जिस ढग से प्रोपेगण्डा कर रहे है उसके पीछे "राजनीतिक स्टन्ट" के सिवाय और कुछ नही है । ये लोग जो दिल्ली में आगामी चुनाव होने वाले है, उत्तर प्रदेश मे जो तीन-चार सीटो के लिए, जो कि लोक सभा की खाली हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए यह सारी 'स्टन्टबाजी' कर रहे है । राजनीतिक स्टन्टबाजी इस देश का दुर्भाग्य रहा है । कुछ सूझबूझ वाले पत्रकार भी, पता नही कि षड्यंत्र का शिकार हो उनके हाथो में खेल रहे है और देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे है ।

श्री चन्द्रजीत यादव ने यहा पर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन चलायेगे । किस के लिए चलायेंगे । बागपत की घटना के लिए । बागपत की घटना की जो हीरो है उसके बारे मे मैं कह सकता हूं कि उस माया को श्री मधु दंडवते जी ने और श्रीमती दंडवते जी ने दो दिन तक अपने घर में रखा और उसके बाद ही वह प्रधान मंत्री और गृह मत्री तक पहुंचायी गयी । महिलाओं के सम्बन्ध में आज चौधरी चरण सिंह और दूसरे विरोधी ग्रुप के लोग बात कर रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं । चौधरी चरण सिंह जब उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर थे, वहां के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे कि "हिन्दुस्तान की महिलाओं को घरों में बैठ कर खाना बनाना चाहिए" । किन्तु जब वे स्वयं विधान सभा में गये तो अपनी पत्नी को भी विधान सभा में सदस्य बना कर ले गये । जब वे इस लोक सभा में आये तो यहां भी अपनी पत्नी को लोक सभा का सदस्य बना कर ले आये । आज ऐसे लोग यह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री संजय गाधी को प्रोत्साहन दे रही हैं, उन्हें लोक सभा में ले आयी हैं । मैं पूछना चाहता हू कि चौधरी चरण सिंह अपनी पत्नी को क्यो लाते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा से उनकी पार्टी के लोगों से कि वे श्रीमती बहुगुणा को मेम्बर बना कर क्यों लाये ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस हाउस मे कहना चाहता हू कि ये लोग दिल्ली के अन्दर लोकशाही की बात करते है, मेट्रोपालिटन काउंसिल के अन्दर लोकशाही की बात करते हैं । भारतीय जनता पार्टी जिसने तीन रंग बदले हैं, शराब वही है, सिर्फ बोतल बदली है, जब उस पार्टी के लोग दिल्ली कारपोरेशन में चुन कर गये तो उन्होंने बिना चुने हुए व्यक्ति श्री हंसराज गुप्त को और उसके बाद उनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को दिल्ली का मेयर बनाया । आज ये इस बात की शिकायत करते है । यह है इनकी कथनी और करनी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने मे महिलाओं की दो महत्वपूर्ण घटनाए हुई जिनका कि हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ा चर्चा रहा है । एक चर्चा पेपरो मे आया था सुषमा और सुरेश का । मैं जनता पार्टी के इन आकाओ से पूछना चाहता हू कि क्या आपने उस घटना की यहां पर याद दिलायी । सुषमा और सुरेश काड जो पेपरो में बड़ा प्रसिद्ध रहा, उसका हीरो कौन था ? उसका हीरो, मैं इस सदन मे कहना चाहता हू कि वह अनेक रगो से घिरा हुआ था । उस तत्कालीन स्वास्थ्य मत्री, राजनारायण के बारे मे क्या कहूं जो कि राजनीतिक रगमच का जो कहा जाता है, उसका नाम मै नही लेना चाहता । उस व्यक्ति की कोठी से वह षडयत्र चलता था । वह प्रोपेगण्डा, चौधरी चरण सिंह के यहा जो सम्बन्धित लोग आते जाते थे उनमे उस प्रोपेगण्डे को प्रोत्साहन मिलता था । आज इस देश के ये नेता यह चाहते हैं कि इस राष्ट्र के अन्दर अच्छा शासन चले परन्तु उनकी कथनी और करनी मे अन्तर है । क्या सुषमा महिला नही थी ? उस समय क्या इनकी अक्ल मारी गयी थी ? कहा गया था उस समय उनका दिमाग, कहा गयी थी उस समय महिला के सम्मान की बात ?

आज बागपत में माया की एक घटना को लेकर ये चलते हैं । पेपरों में इस घटना ने इसलिए महत्व प्राप्त किया क्योंकि राजनीतिक

व्यक्ति इसके साथ जुड़ गये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी महिला के सामने यदि दो व्यक्ति भी खड़े हों तो क्या उनका उससे आंखें मिलाने की हिम्मत हो सकती है ? हजारों आदमियों के सामने पुलिस किसी महिला के साथ बलात्कार करे, क्या यह बात दिमाग में उत्तर सकती है ? दोनों घटनाओं को ले कर हीरो बनने चला था और वह राजनारायण जी थे । जब गृह मंत्री जी हमारे वहां जांच करने के लिए गए तो वह भी वहां पहुंच गए । समझने लगे कि वह भी राजनीतिक रंगमंच के एक हीरो हैं और उनके सामने उन्होंने हुड़दंगबाजी करने की कोशिश की । राजनारायण जी ने कोई ठोस काम जीवन में नहीं किया, कोई रचनात्मक काम महिलाओं के बारे में, हरिजनों के बारे में नहीं किया । स्टंटबाजी करके झूठा प्रोपेगंडा करके, झूठी बातें और झूठे वक्तव्य अखबारों में देकर वह चौदराहट करते रहे हैं । ये चेयरसिंह बने हुए हैं । कुर्सी की भूख ने इनको इकट्ठा किया । यह मेढ़की टोला टांय टांय करता रहा । मैं तो इनको बरसाती मेंढक कहता हूं । जब बरसात होती है तब ये टांय टांय करने लग जाते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं और बरसात समाप्त होते ही इनका पता नहीं चलता है । अपना उल्लू सीधा करने के लिये ये एक मंच पर आकर मिलना चाहते हैं और एक तराजू पर तुलना चाहते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संसार का इतिहास आप देख लें । मेंढकों को कोई तराजू में तौल नहीं सका है । यदि आप दो मेंढ़कों को एक बार तराजू के एक पलड़े में रख दें और उसके बाद चार और मेंढक उस पलड़े में डाल कर तौलना चाहें तो दो जो पहले से मेंढक आपने रखे हैं वे बाहर निकल जाएंगे । उनका यह स्वभाव है । यही कारण है कि ये लोग अपवित्र गठबन्धन करके, अपने अपने स्वार्थों को साधने के लिए एक मंच पर आने का प्रयास करते रहे परन्तु इनके विचार मिलते नहीं थे इस वास्ते ये एक नहीं रह सके । कहां चौ० चरण सिंह और कहां जगजीवन राम जी और कहां ये जनसंघ वाले और कहां ये मार्क्सवादी । क्या मेल है इन सब में ? एक पूर्व है और दूसरा पश्चिम है । इनकी विचार-धारायें पूर्व और पश्चिम चल रही हैं । इनका जो भी गठबन्धन था वह बरसाती मेंढ़कों के माफिक था और स्वार्थ साधने के बाद इन्होने फिर से एक दूसरे को हिट मारने का प्रयास किया और उस हिट मारने का जो परिणाम निकला वह आपको नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वे सारे के सारे उधर बैठे हुए हैं । हरिजनों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए पुलिस को दोष दिया जाता है । मैं एक बात कहना चाहता हूं श्री चरण सिंह यहां पर गृह मंत्री थे । कंझावाला के अन्दर बीम सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों को जमीनें दी गईं । वहां पर चरण सिंह जी की जाति के लोगों ने उन पर अत्याचार किया, शरारतें कीं, उनको तंग किया । जब राष्ट्र का रक्षक ही भक्षक बन जाए, गांव का कोतवाल ही चोर हो जाए तो गांव की रक्षा कौन करेगा ? जिन के ऊपर जवाबदारी थी हरिजनों, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, वे तब कहां गए थे ।

यत्र नारियस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता :

यह हमारे देश की प्राचीन परम्परा रही है । जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है । एक नारी एक महान शक्ति दुर्गा स्वरूपा, श्रीमती इंदिरा गांधी—अध्यक्षा, प्रधान मंत्री पद पर हैं । आज ये सब मिल कर शम्भु टोला उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और वह यहां पर सिंहासन पर आसीन हैं ।

खाकी नीकर वाले हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री--जिनको मैं नागपुरी सन्तरे कहा करता हूं, चीन दौड़ते हैं कबड्डी खेलने के लिए, खाकी वर्दी पहन कर और सारे नेता चक्कर काटते रहे, इनको पूछने वाला कोई नहीं था । लेकिन आज कांग्रेस आई के सत्ता में आने के बाद सारे संसार की ताकते हमारे प्रधान मत्री के चरणों में आकर विचार विमर्श करती हैं ।

जहां तक कम्युनिस्ट भाइयों का या मार्क्सिस्ट भाइयों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म देने वाले श्री अमृत पाद डांगे थे और उनकी तपस्या और साधना का ही यह फल था कि यहां हमारे देश में साम्यवाद की विचारधारा फैली । सारा जीवन उन्होंने साम्यवाद को फैलाने में लगा दिया है । अब बुढ़ापे में आ कर उनका तीसरा नेत्र खुला है और उन्होने कहा है कि गरीब जनता का कोई भला कर सकता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है । इनके आका ने जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म दिया और इतना ताकतवर बनाया उनके ये विचार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि संसार की कोई ताकत इस देश को झुका

[आचार्य भगवान देव]

नहीं सकी, परन्तु इस देश में जो रहे हुए गद्दार है, उन्होंने इस देश के साथ विश्वासघात कर के इस देश को हानि पहुंचाई है । किसी ने ठीक कहा है--

दिल के फफोले जल उठे,
सीने के दाग से ।

इस घर को आग लग गई,
घर के चिराग से ।

ये लोग रहते यहां पर हैं, लेकिन इनके दिल और दिमाग मास्को, चीन और पीकिंग की तरफ हैं । खाते-पीते यहां पर हैं, यहां पर पलते हैं और दिमाग अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की तरफ चलता है । इन देशघाती, देशद्रोही लोगों से, मैं गृह-मंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगो से सावधान रहना है ऐसे व्यक्ति....

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, वह देशद्रोही किस को कह रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the proceedings.

श्री रामावतार शास्त्री : ये तमाम विरोधी दल के लोगों को कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बोलते-बोलते उन्होंने बात कही देशद्रोही की । मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिये, आप इस तरह की बात को प्रोसीडिंग्ज से निकाल दें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your interests and your party's interests are safe in my hands. I will go through the proceedings and take appropriate action.

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हू कि मैंने कहा है कि यहां रहकर जो दिल और दिमाग उधर रखते हैं, उसमें कोई आपत्ति नही है ।

संविधान के आधार पर और यहां पर जो हम शपथ लेते हैं उसमे भारत के साथ वफादारी के लिये हम प्रतिज्ञा करते है । जो प्रतिज्ञा लेकर इस देश के साथ वफादार है, उनके लिये कोई दो मत नहीं'**

मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि छोटी-छोटी बातें तो चलेंगी, चोरी-डाका, मार-मरी, खूंरेजी यह कोई नही चाहता, न गृह-मंत्री, न प्रधान मंत्री और विरोधी दल के लोग भी नही चाहते । यह तो जो लोग करते हैं वह अपने कर्म-भोग के चक्र के आधार पर करते है । प्रयास हर व्यक्ति करता है कि हम मिलकर कुछ करें कि इस देश में इस तरह की बातें न हों, परन्तु उसके लिये रचनात्मक सुझाव होने चाहियें ।

आज माया के साथ कोई कांड हुआ है, गृह-मंत्री ने कोई बात कही है, हमें चाहिये कि जाकर माया को कहें कि तू चल, तेरे साथ किस ने क्या किया है । गृह-मंत्री ने यहां इस हाऊस में यह बात कही है कि आप बताओं हमें, परन्तु इस तरह से आन्दोलन चलाना, दिल्ली, बुलन्द शहर, रोहतक में आन्दोलन चलाना, यह नाटक क्यों हो रहा है ? इस नाटक के पीछे राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर ऐसी अनेक बातें हर प्रकार की होती हैं जैसे उदाहरण दिया घर का । घर में समस्याएं होती है, लड़ाई भी होती हैं, परन्तु राष्ट्र की बड़ी-बड़ी समस्याओं को ध्यान में न रखकर, छोटी-छोटी बातो के पीछे, रोज मैं यह देखता हूं कि इस हाउस के शुरू होते, शून्य काल में यह विरोधी टोला नियम की बात करता है, नियम आपको दिखाते हैं । नियम यह है कि अध्यक्ष की परमीशन लेकर आराम से बात कहनी चाहिए, परन्तु यह टोला खड़ा हो जाता है । (व्यवधान)

शास्त्री जी मैं पहले पर दहला तभी मारता हूं जब आप नियमो का उल्लघन कर के खड़े हो जाते हैं । मैं पहले कभी खड़ा नही हुआ । जब आपको देखता हू कि सभद, जो हमारा सर्वोच्च स्थान है, यहां देश और विदेश की समस्याओ को लेकर हमें गभीरता से विचार करना चाहिये,** छोटी-छोटी बातें पेपर पर लेकर खड़े हो जाते हैं, वह दिखाकर इस सर्वोच्च स्थान का समय बर्बाद करते हैं 5,7 आदमी । इस पर नियंत्रण भी रहना चाहिये, आपको इस पर विचार करना चाहिये ।

मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हू कि छोटी-छोटी बाते आती हैं, ध्यान देना चाहिये, परन्तु जानबूझकर जो शरारत करता है, उस पर "हमे किसी को छेड़ना नही चाहिये, परन्तु हमें कोई छेड़े तो उसको छोड़ना नही चाहिये ।" आपको यह नीति बनाकर चलना चाहिये ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि "अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक पापी है, मेरी दृष्टि में ।" क्यो सहन करते हैं जो पाप होता है, अत्याचार होता है? परन्तु जो प्रोत्साह न

**Expunged as ordered by the Chair.

दे रहे हैं उन पर भी दृष्टि रखनी पड़ेगी कि ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन क्यों और कौन देते हैं । विदेशी ताकतें बाहर से हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाकर आर्थिक मदद देकर, कुछ और लोभ-लालच देकर इस देश में तोड़-फोड़ करने का प्रयास करती हैं इस देश में डर है, देश के अन्दर रहने वाले गद्दार और दुश्मनों से । उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा ।

असम की बात है, झारखंड की बात है । झारखंड में क्या हो रहा है ? छोटा नागपुर और सिंहभूम की तरफ कौन आन्दोलन कर रहे हैं ? विदेशी तत्व विदेशी मिशनरी काम कर रहे हैं । हम किसी को निकालने के पक्ष में नहीं हैं परन्तु देशद्रोह का काम कर के, देश में बगावत करना चाहते हों तो सिर उठाने के पहले दिन ही उसको कुचल देना चाहिये । ऐसे तत्वों को राष्ट्र से निकालना भी पड़े तो हमें उनको निकालना चाहिये ।

मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें गृह-मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर और गृह-मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाने के लिये जो कुछ समस्याएं हैं वे मैं आपके सामने पेश करता हूं, आपको इस देश में तोड़-फोड़ बन्द करानी है, इस देश में शोषण को दूर करना है । स्मगलरों डाकुओं सग्रहखोरों, बदमाशों और गुंडों को तुरन्त गिरफ्तार कर के उन्हें जेल में ठूंस देना चाहिए, जैसा कि इमर्जेन्सी के समय किया गया था । अगर एक काम यह कर लिया, तो राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

जनता पार्टी के राज में स्मगलरों को ला कर श्री जयप्रकाश नारायण के सामने हाजिर किया गया । सर्टिफिकेट दे दिया गया कि देवता लोग हैं । जिन्होंने सारा जीवन इस धंधे में बिताया हो, उनके हाथ साफ कैसे रहेंगे ? उन स्मगलरों को सार्टिफिकेट मिल गया कि ये लोग श्री जयप्रकाश नारायण के यहां हाजिर हो गये, अब उन्होंने सब पाप-कर्म, सोने-चांदी की चोर बाजारी छोड़ दी होगी । उन लोगों को प्रोत्साहन मिला । उन्होंने काला-बाजारी के पैसे के आधार पर इस देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया । राजनैतिक पार्टियों की मदद दे कर जो आन्दोलन और शरारतें की जा रही हैं, उनकी भी तहकीकात कीजिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कीजिए ।

जैसा कि कहा गया है, अति वर्जित है । गृह मंत्री ने, और परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भी, आसाम के सम्बन्ध में, और समस्याओं के सम्बन्ध में, बहुत ढील दे दी है । परन्तु अब तो पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है । इन शरारती तत्वों को कुचलने के लिए आप को दंड का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राज्य तो दंड-व्यवस्था के बिना नहीं चल सकता । जो बलात्कार करता है, उसके हाथ काट दीजिए, उसकी आंखें निकाल दीजिए, तो दूसरे किसी को साहस नहीं होगा । सख्ती से कानून का पालन कराइये ।

पुलिस तथा अन्य तमाम सरकारी विभागों में कुछ ऐसे विदेशी तत्व भरे हुए हैं, जो मदद कर रहे हैं देश में रहने वाले कुछ लोगों की । आपको उनका भी सफाया करना पड़ेगा । आज देश में टेलीफोन खराब हैं, बिजली खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों टाइम पर नहीं आ रही हैं । ये समस्यायें क्यों हैं ? उसका कारण यह है कि वहां गद्दार बैठे हुए हैं, आर एस एस के लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट लोग जो जान-बूझ कर शरारत कर के लाइनों को खराब करते हैं और जनता में सरकार को नीचा दिखाने का षडयंत्र करते हैं । ऐसे तत्वों की जांच कर के उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा ।

आज यहां पर बागपत की बात करते हैं, या दिल्ली में कोई घटना होती है, उसकी बात करते हैं । कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने ऊंट निकल जाये, तो नजर नहीं आता है, पर चींटी नजर आ जाती है । पता नहीं, इन्होंने कैसे चश्मे लगा रखे हैं । त्रिपुरा में सैकड़ों आदमी मर गये वहां के गरीब आदिवासियों का कत्ले-आम किया गया, उनके घरों को जलाया गया । परन्तु उन पर जूं तक नहीं रेंगी । कोई लोक दल का व्यक्ति नहीं बोला, कोई मार्क्सिस्ट नहीं बोला, कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं बोला । यदि चौ० चरण सिंह ने सत्याग्रह करना है, तो उनसे प्रार्थना है कि त्रिपुरा में जा कर सत्याग्रह करें । इस बहन के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री और सारे देश ने ले रखी है । उनकी तो जांच होगी, जो दंड देना होगा, देंगे । परन्तु सत्याग्रह वहां करो, जहां कत्ले-आम हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहे है । **और ये जनता पार्टी के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जो थे धनिक लाल मंडल, इन को सी० आर० पी० के नौजवानों ने समस्तीपुर चुनाव के समय गिरफ्तार किया और ये दूसरे व्यक्ति जिन के मैंने नाम लिए उन के खिलाफ दफा 307, 379 और 147 के अधीन केस दायर किए गए । ये जनता रक्षक रोज हरिजनों की बात अखबार लेकर सदन में दिखाते है । इन्होंने आइने में अपना चेहरा देखा है कि इन की करतूत क्या है ? मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार कीजिए कि जो हरिजनों पर अत्याचार करते हैं वह अत्याचार करने वाले कौन सी जाति के लोग हैं ? मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये लोग जो रोज यहां खड़े हो कर हुड़दंगबाजी करते हैं इन लोगों की जाति इन लोगों से प्रेरणा ले कर के जरायम कर रही है । अत्याचार ये स्वयं करते है, आग भी लगाते हैं और फिर चिल्लाते भी हैं कि आग लग गई, आग लग गई । चोर को कह गए कि चोरी करो और साधु को कह गए कि सावधान रहो ।....

**Expunged as ordered by the chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have mentioned about certain hon. members who are outside and who are not members of this House. Such of those names I will have to expunge from the proceedings of the House. I think, you would also agree with me.

आचार्य भगवान देव : यहां पर विरोधी पार्टी के लोगों ने हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पी० एस० भिन्दर साहब के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कहीं । ये लोग यहां के रहने वाले बहुत कम हैं । मैं 13 साल से दिल्ली में रहता हूं । इन्होंने अपने राज में चतुर्वेदी को यहां कमिश्नर बनाया । यह परम्परा इन्होंने चालू की । भिन्दर के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वह महान देशभक्त और हिम्मत वाले व्यक्ति हैं । उन का सम्मान होना चाहिए । मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं, उन को आज बढ़िया से बढ़िया कोई पद मिलता हो तो दें । उन को कोई प्रमाण पत्र देना पड़े तो दें । दिन रात एक कर के वह दिल्ली की रक्षा पहले भी करते रहे और आज भी करते हैं । आज उस के सम्बन्ध ये बातें करते हैं । उस के ऊपर अनुचित और झूठे आक्षेप लगाते हैं जो व्यक्ति निर्दोष साबित हो चुका है कोर्टस के अन्दर क्यों कि वह हमारे साथ और देश के साथ वफादारी करके चलता है । मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि भिन्दर जैसे पुलिस कमिश्नर को कोई ताम्रपत्र या और कोई ऊंचा पद दे सकते हैं तो जरूर दें ।

पुलिस के अन्दर उन की आवश्यकताएं बहुत हैं । वह आप को भी पता है । मुझे कुछ कहना नहीं है । उन के आवास के बारे में, उन की और अनेक समस्याओं के बारे में आप को सारा पता है । उस का आप ध्यान करेंगे ।**

18. 58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 21, 1980/Asadha 30, 1902 (Saka).

**Expunged as ordered by the Chair.

GMGIPND—L—1498 LS—23-9-80—890